खण्ड–14, अंक–03
गुरुवार, 28 आश्विन, शक संवत् 1927
(20 अक्टूबर, 2005 ई०)

# उत्तरांचल विधान सभा

# की

# कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2005)

(खण्ड 14 में 05 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2007

मूल्य :

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थिति ... ... | क |
| कतिपय विषयों को नियम-311 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग | 1-4 |
| प्रश्नोत्तर ... ... | 4-11 |
| कतिपय विषयों को नियम-311 के अन्तर्गत पुनः सुने जाने की माँग | 12 |
| लैपटाप के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की सूचना ... | 13 |
| नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... | 13 |
| जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ की पट्टी गमरी के ग्राम पंचायत गमरी, रौन्तल, चमियारी, महरगाँव जसपुर और खाण्ड में भयंकर ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 14 |
| जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट में स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय शाखा के भवन निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना | 14 |
| जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल एवं जयहरीखाल के गाँवों में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 15 |
| हरिद्वार नाई सोता घाट हर की पैड़ी से सटे अस्थि घाट पर बंद पड़ी सीवरेज के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 15 |
| जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रोडवेज वर्कशाप को भवाली में ही अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 15-16 |
| जनपद रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ के ग्राम पंचायत तुलंगा में वर्ष 1992 में हुई भारी हिमपात से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 16 |
| प्रदेश में कार्यरत सहकारी कैडर सचिवों की वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 16-17 |
| औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ... ... | 17 |
| उत्तरांचल विधान सभा के द्वितीय सत्र वर्ष 2005 में प्राप्त नियम-301 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 18-19 |
| उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 19 |
| उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग, 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 19 |

| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उत्तरांचल लोक सेवा आयोग का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 19 |
| उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) (नियम, 2005 (सदन के पटल पर रखा गया) | 19 |
| उत्तरांचल राज्य हज समिति के वर्ष, 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 20 |
| उत्तरांचल लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त का 1–1–04 से 31–12–04 का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 20 |
| जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनाली के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) | 20 |
| जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सनियाणा में जूनियर हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ... ... | 20 |
| जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के ग्राम अठाली में पेयजल लाइन व्यास बढ़ाने एवं विस्तार के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ... ... | 20 |
| जनपद उत्तरकाशी के राजकीय जूनियर हाई स्कूल स्यानाचट्टी (नौ गाँव) का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ... ... | 21 |
| जनपद नैनीताल में दोगडा के तोक घटगाड़ में बलियानाले से उपयोगी भूमि कटाव रोकने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)... | 21 |
| उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ... | 21 |
| उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ... | 21–22 |
| कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) ... | 22–26 |
| कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... ... | 26–38 |
| उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित) ... ... | 38–45 |
| सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित)... ... ... | 46–49 |

| विषय | पृष्ठ संख्या |
| --- | --- |
| उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 (पारित) ... ... ... | 49—62 |
| उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 (पारित) | 62—88 |
| उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2005 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक) (पारित) ... ... | 88—91 |
| उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 (पारित) ... ... ... | 92—128 |
| उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक द्वारा दी गई नियम—103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (अस्वीकृत) ... ... | 128—132 |
| प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम—103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (अस्वीकृत) ... ... | 132—138 |
| जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर धुत्तू को चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम की कार्ययोजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री बलबीर सिंह नेगी द्वारा दिये गये नियम—103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (संकल्प वापस) ... ... | 138—142 |
| उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण—पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक द्वारा नियम—103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)... ... | 143 |
| नियम—51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... | 143 |
| उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन विकल्प के आधार पर उत्तरांचल राज्य हेतु सचिवालय सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति का कोटा समान न होने के सम्बन्ध में डा० हरक सिंह रावत, श्री फूल सिंह बिष्ट, डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गणेश गोदियाल, श्री रणजीत सिंह रावत एवं श्री उम्मेद सिंह मांजिला स०वि०स० द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य | 143—147 |

क

## उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा० अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा देवी
6—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
13—श्री गोपाल सिंह
14—श्री गोविन्द लाल
15—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
16—श्री चन्द्रशेखर
17—श्री तसलीम अहमद
18—श्री तिलक राज बेहड़
19—श्री तेजपाल सिंह रावत
20—श्री दिनेश अग्रवाल
21—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
22—श्री नव प्रभात
23—श्री नारायण पाल
24—श्री नारायण राम आर्य
25—श्री नारायण सिंह जंतवाल
26—काजी निजामुद्दीन
27—श्री प्रकाश पंत
28—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29—डा० प्रताप बिष्ट
30—श्री प्रदीप टम्टा
31—श्री प्रीतम सिंह
32—श्री प्रीतम सिंह पंवार
33—श्री प्रेमानन्द महाजन
34—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
35—श्री फूल सिंह बिष्ट
36—श्री बलवीर सिंह नेगी
37—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
38—श्री बिशन सिंह चुफाल
39—श्री भगत सिंह कोश्यारी
40—श्री मदन कौशिक
41—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
42—श्री महेन्द्र भट्ट
43—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
44—श्री मातबर सिंह
45—चौ० यशवीर सिंह
46—श्री रणजीत सिंह
47—श्री राम प्रसाद टम्टा
48—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49—श्री सहजाद
50—श्री साधू राम
51—श्री सुबोध उनियाल
52—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
53—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
54—श्री सुरेश चन्द
55—डा० हरक सिंह रावत
56—श्री हरबंस कपूर
57—श्री हरिदास
58—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
59—श्री हीरा सिंह बिष्ट
60—श्री हेमेश खर्कवाल
61—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

## कतिपय विषयों को नियम–311 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, लाल बत्ती की संख्या बढ़ती जा रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनता की गाढ़ी कमाई बरबाद हो रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नियम–311 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें, कृपया बैठ जायें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह अस्थाई राजधानी कब तक देहरादून में रहेगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें। माननीय ऐरी जी, कृपया बैठ जायें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नियम–311 में कहा है कि सरकार ने बड़ी संख्या में लाल बत्तियों का वितरण किया है, यह बहुत बड़ा बोझ है और दूसरा बिन्दु विवेकाधीन कोष के दुरूपयोग का है। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, राजधानी का मामला बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के श्री प्रीतम सिंह पंवार को छोड़कर सभी माननीय सदस्य सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाह रही है, इसलिए मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन का त्याग कर चले गये)

श्री हरीदास–

मान्यवर, मेरी सूचना को नियम–56 में स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें अल्पसूचित प्रश्न लगा है, बाद में दें।

श्री हरीदास–

मान्यवर, नियम–56 में सुन लें।

(भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, टिहरी बाँध का मसला बहुत ही गम्भीर है, पूरी जनता देख रही है, पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–56 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित प्रश्न लगा है इसलिए मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ, आप अपनी बात को कल कह सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, टिहरी बाँध पर चर्चा होनी चाहिए।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सत्ता दल के माननीय सदस्यों द्वारा खुद नियम–311 की नोटिस दी गई है और नियम–56 में सुनने के लिए कह रहे हैं। सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है, ऐसे में सरकार को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर नारेबाजी करने लगे–"ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" और "वेल" में बैठ गये)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री प्रदीप टम्टा, श्री बलवीर सिंह, श्री फूल सिंह, श्री उम्मेद सिंह माजिला "वेल" में खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रश्नकाल विपक्ष का होता है..........

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे– "मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, 'दमन के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी', मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो")

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जायें और अपने–अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ही सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। इसलिए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। (घोर व्यवधान)

("वेल" में मौजूद बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण पूर्व की भाँति नारे लगाते रहे :– किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण पूर्व की भाँति अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाते रहे :– मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उपाध्याय जी, टिहरी बाँध की टनल–2 के सम्बन्ध में नियम–52 में चर्चा की सूचना प्राप्त हुई है। उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। चर्चा स्वीकार होने के बाद कार्य–मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रश्नकाल विपक्ष का होता है और उसे बर्बाद किया जा रहा है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

(भाजपा के सभी सदस्य सदन का बहिर्गमन कर चले गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोल्हू के सम्बन्ध में कल अल्पसूचित प्रश्न लगा है, यदि आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं अवसर दूंगा।

(श्री पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा पत्रकार दीर्घा में बैठें पत्रकारों को कुछ कागज आदि बांटे जाने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय पुष्पेश त्रिपाठी, कृपया ऐसा न करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 12:20 तक के लिए बढ़ा दिया है।

## प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित प्रश्न

### राज्य में चीनी मिलों की पिराई सत्र 2005–06 में गन्ने की उपलब्धता

**1–काजी निजामुद्दीन–

क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि राज्य में स्थापित समस्त चीनी मिलों के पेराई सत्र 2005–06 में माँग के सापेक्ष राज्य में गन्ने की मात्रा में कमी के कारण चीनी मिलें बन्दी के कगार पर हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध करवाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

### पेराई सत्र, 2005–06 हेतु गन्ने का मूल्य निर्धारण

**2–श्री मदन कौशिक–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार द्वारा वर्तमान पेराई सत्र 2005–06 हेतु गन्ने का मूल्य निर्धारित कर लिया है ?

यदि हाँ, तो मूल्य निर्धारण हेतु क्या नीति अपनायी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

---

नोट– उ0प्र0 वि0स0 की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

गन्ना मूल्य निर्धारित करते समय राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित सांविधिक गन्ना मूल्य (एस0एम0पी0) कृषक हित, पड़ोसी राज्यों द्वारा घोषित गन्ना मूल्य एवं चीनी मिलों व गन्ना समितियों के अभिमत को ध्यान में रखा जाता है जिसके तहत पेराई सत्र, 2005–06 हेतु गन्ने के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया विचाराधीन है।

## तारांकित प्रश्न

## राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु खाद्यान्न योजना

*1–श्री मदन कौशिक–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए खाद्यान्न की कोई योजना बनायी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

जी हाँ।

वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

## उद्यान विभाग में निदेशकों के पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्तियाँ

*2–श्री प्रीतम सिंह पवार–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य स्थापना से वर्तमान तक उद्यान विभाग में 6 निदेशक बिना सेवानिवृत्त हुए बदले गये तथा विभाग में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लाए निदेशक नियुक्त किये गये हैं ?

क्या प्रतिनियुक्ति पर निदेशक पद पर नियुक्ति किये जाने के स्थान पर विभागीय अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा नियमित निदेशक नियुक्त किया जाएगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

राज्य स्थापना से वर्तमान समय तक उद्यान विभाग के 03 अधिकारियों द्वारा कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्य किया गया। सचिव, उद्यान के द्वारा अपने कार्य दायित्वों के साथ–साथ निदेशक, उद्यान का अतिरिक्त कार्य भी कुछ अवधि तक सम्पादित किया गया। इसके अतिरिक्त 03 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर निदेशक, उद्यान के पद पर नियुक्त किये गये, जिनमें से एक अधिकारी वर्तमान में निदेशक के पद पर कार्यरत है।

संगत सेवा नियमावली में निहित व्यवस्था के अनुरूप यथासमय निदेशक के पद पर नियमित चयन की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

## उत्तरांचल के ओलम्पिक संघ द्वारा सरकारी धन के दुरूपयोग की शिकायतों की जाँच

*3—श्री प्रकाश पंत—

क्या खेल मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के ओलम्पिक संघ को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगितायें कराने हेतु प्रदत्त धनराशि के दुरूपयोग की शिकायतों की जाँच सरकार द्वारा की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या जाँच का विवरण प्रस्तुत करेंगे?

श्री प्रीतम सिंह—

जी हाँ।

जाँच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

## राज्य की औद्योगिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समितियों को प्रभावी बनाने की योजना

*4—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वर्तमान समय में कितनी औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार कोई ठोस योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

राज्य में वर्तमान समय में 17 औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समितियाँ सक्रिय रूप में कार्य कर रही हैं।

सम्प्रति उद्यान विभाग के स्तर पर कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

सहकारी समितियों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वयं ही कार्य योजना तैयार की जाती है।

## अतारांकित प्रश्न

## ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले के राशन को उठाने हेतु त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में संशोधन

1—श्री हरबंस कपूर—

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी गल्ले के राशन को उठाने हेतु त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गयी है ?

यदि हाँ, तो उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कोटेदार को राशन उठाने से पूर्व किस से अनुमति लेनी पड़ती है ?

क्या मंत्री जी अवगत है कि पटवारियों का अधिकांश समय क्षेत्रीय कार्यों में व्यतीत होने के कारण उन की उपलब्धता कम रहती है, फलस्वरूप कोटेदारों एवं ग्रामीणों को खाद्य आपूर्ति हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था में व्यापक सुधार करेगी ?

यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

कोटेदार को राशन उठाने से पूर्व ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से पूर्व में प्राप्त खाद्यान्न के वितरण का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होता है किन्तु इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

जी हाँ।

संशोधन जारी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तरांचल खेल विभाग में विभिन्न खेलों हेतु प्रशिक्षकों की नियुक्ति

2–श्री कैलाश शर्मा–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल खेल विभाग से विभिन्न खेलों के कितने प्रशिक्षक नियुक्त है ?

क्या सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक जनपद में विभिन्न खेलों हेतु खेल प्रशिक्षक नियुक्त करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

उत्तरांचल खेल विभाग में निम्नलिखित प्रशिक्षक नियुक्त हैं:–

| | |
|---|---|
| फुटबाल | 04 |
| बाक्सिंग | 05 |
| एथलेटिक्स | 01 |
| हाकी | 03 |
| बास्केटबाल | 01 |
| टी०टी० | 01 |
| बैडमिन्टन | 01 |
| वालीबाल | 01 |
| कुल | 17 |

खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति विभिन्न जनपदों में स्थापित खेल अवस्थापना सुविधाओं के अनुरूप की जाती है। अतः प्रत्येक जनपद में भी खेलों के प्रशिक्षक नियुक्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

## भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उत्तरांचल को स्पोर्टस एथलैटिक से प्रशिक्षक दिये जाने की जानकारी

3—श्री कैलाश शर्मा—

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल को स्पोर्टस एथलैटिक से प्रशिक्षक उत्तरांचल को दिये गये हैं ? यदि हाँ तो कितने ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह—

जी हाँ।

वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेल विभाग में 1 एथलैटिक प्रशिक्षक तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित अन्य योजनाओं में 4 अर्थात् कुल 5 एथलैटिक प्रशिक्षक राज्य में तैनात किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में खाद्यान्न प्रति यूनिट वितरित करने की योजना

4—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में गेहूँ व चावल प्रति कार्ड के हिसाब से वितरित किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार प्रति कार्ड के बजाय प्रति यूनिट के हिसाब से रसद वितरित कराना सुनिश्चित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह—

जी हाँ। भारत सरकार के निर्देश पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रचलित सभी खाद्यान्न योजनाओं ए0ए0वाई0, बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 परिवारों को राज्य में 35 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड की दर से वितरित किया जा रहा है। जिसमें गेहूँ 11.50 किलो ग्राम एवं चावल 23.50 किलो ग्राम है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न योजनाओं को भारत सरकार के दिशा–निर्देश पर ही राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें राज्य नोडल के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न प्रति यूनिट की दर से वितरित किया जाना सम्भव नहीं है।

## राज्य में जिला क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी तथा खेल प्रशिक्षकों के जनपदवार रिक्त पदों की स्थिति

5–श्री प्रकाश पंत–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुल कितने पद जिला क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी तथा खेल प्रशिक्षकों के जनपदवार रिक्त हैं ?

क्या सरकार पदोन्नति के माध्यम से तथा सीधी भर्ती के माध्यम से उक्त पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि हाँ तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह–

राज्य में जिला क्रीड़ा अधिकारी उप क्रीड़ा अधिकारी तथा सहायक प्रशिक्षकों की जनपदवार रिक्तियों से सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार है :–

| क्रम सं० | जनपद | पद का नाम | रिक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | नैनीताल | जिला क्रीड़ाधिकारी | 01 |
| 2. | पौड़ी (गढ़वाल) | जिला क्रीड़ाधिकारी | 01 |
| 3. | ऊधमसिंह नगर | उप क्रीड़ा अधिकारी | 01 |
| 4. | अल्मोड़ा | उप क्रीड़ा अधिकारी | 01 |
| 5. | उत्तरकाशी | उप क्रीड़ा अधिकारी<br>सहायक प्रशिक्षक | 01<br>01 |
| 6. | गोपेश्वर (चमोली) | उप क्रीड़ा अधिकारी<br>सहायक प्रशिक्षक | 01<br>01 |
| 7. | नरेन्द्र नगर (टि०ग०) | उप क्रीड़ा अधिकारी<br>सहायक प्रशिक्षक | 01<br>01 |
| 8. | हरिद्वार | उप क्रीड़ा अधिकारी<br>सहायक प्रशिक्षक | 01<br>01 |
| 9. | रुद्रप्रयाग | उप क्रीड़ा अधिकारी<br>सहायक प्रशिक्षक | 01<br>01 |
| 10. | बागेश्वर | जिला क्रीड़ा अधिकारी<br>उप क्रीड़ा अधिकारी | 01<br>01 |
| 11. | टनकपुर (चम्पावत) | जिला क्रीड़ा अधिकारी<br>उप क्रीड़ा अधिकारी | 01<br>01 |

सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध जिला क्रीड़ा अधिकारी–01 पद, उप क्रीड़ा अधिकारी–01 पद एवं सहायक प्रशिक्षक–04 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश को जड़ी–बूटी प्रदेश बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

6–श्री नारायण पाल–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश को जड़ी–बूटी प्रदेश बनाये जाने की दिशा में सरकार की कोई कार्ययोजना है ?

क्या सरकार इस दिशा में कोई कारगर प्रयास कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

जी हाँ।

जड़ी–बूटी के कृषिकरण को बढ़ावा देने हेतु 26 प्रजातियों को चिन्हित किया गया है, जिनके कृषिकरण लागत मूल्य पर शासन द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है। सीमावर्ती जनपदों के सभी किसानों को तथा अन्य जनपदों में बी0पी0एल0 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को औषधीय पौध 03 नाली व सगन्ध पौध 05 नाली भूमि हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

जड़ी–बूटी कृषिकरण कर रहे काश्तकारों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु वन विभाग, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर एवं भेषज संघों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा काश्तकारों के निःशुल्क पंजीकरण की कार्यवाही भी संस्थान द्वारा सुनिश्चित की गई है।

जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर के नियंत्रणाधीन सगन्ध पादप केन्द्र, सेलाकुई में सगन्ध पौधों की गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में जड़ी–बूटी के संरक्षण, विकास एवं विदोहन हेतु सरकार द्वारा स्पष्ट कार्ययोजना एवं रणनीति तैयार की गई है। वन क्षेत्र में जड़ी–बूटी संरक्षण हेतु सी0डी0एच0 प्लान लागू किया गया है, जिसके अनुसार 1.01 लाख है0 क्षेत्र संरक्षण हेतु 94.76 हजार है0 क्षेत्र विकास हेतु एवं 12.27 लाख है0 क्षेत्र संग्रहण कार्यों हेतु चिन्हित किया गया है तथा जड़ी–बूटियों के प्रचार प्रसार हेतु वन विभाग द्वारा ऋषिकेश के हर्बल गार्डन की स्थापना भी की गई है, साथ ही जड़ी–बूटियों के विपणन हेतु राज्य में 03 मण्डियाँ ऋषिकेश, टनकपुर एवं रामनगर में स्थापित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## प्रदेश में क्षमतानुसार खाद्य भण्डारण हेतु भण्डारागार बनाये जाने की योजना

7--श्री नारायण पाल--

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खाद्य उपज के भण्डारण की पूर्ण क्षमता है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार की नये भण्डार गृह बनाये जाने की कोई कार्य योजना है ?

क्या सरकार की ब्लाक सितारगंज जिला ऊधमसिंह नगर में भी नया भण्डारागार बनाये जाने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह--

जी हाँ। राज्य की विभिन्न एजेन्सियों क्रमशः केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भण्डारण निगम तथा प्रादेशिक सहकारी संघ एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित भण्डार गृहों में लगभग 3,00,000 मी0टन भण्डारण क्षमता उपलब्ध है।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकता के आधार पर बेस गोदामों तथा आन्तरिक गोदामों की कमी को दृष्टि में रखते हुए इन क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार गोदामों के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। वर्तमान में नैनबाग तथा देहरादून में गोदाम निर्माणाधीन है।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रदेश में कार्यरत पंचायत कर्मियों को सरकार द्वारा राज्यकर्मी घोषित किये जाने की योजना

8--श्री हरबंस कपूर--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत पंचायत कर्मियों को सरकार द्वारा राज्यकर्मी घोषित किये जाने की कोई योजना है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह--

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 12:20 पर पुनः आरम्भ हुई।)

## कतिपय विषयों को नियम–311 के अन्तर्गत पुनः सुने जाने की माँग

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के "वेल" में खड़े होकर तथा सत्ता पक्ष के श्री किशोर उपाध्याय जी, श्री फूल सिंह बिष्ट जी, श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी, श्री उम्मेद सिंह मांजिला जी, श्री बलबीर सिंह जी, श्री रणजीत सिंह रावत जी तथा श्री प्रदीप टम्टा जी व भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। ये सदन को नहीं चलाना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के हमारे साथी टिहरी बाँध से सम्बन्धित अपनी पीड़ा सदन में कहना चाहते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि नियम–52 के अन्तर्गत इनकी सूचना स्वीकार कर ली जाय। कार्य–मंत्रणा समिति में इसके लिए तिथि निर्धारित कर ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं इस सूचना को नियम–52 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयी तथा सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन ने कहा– "मान्यवर, गरीब किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा है।")

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि इस सम्बन्ध में कल अल्पसूचित प्रश्न लगा है, आप उसमें अपनी बात कह सकते हैं।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

माननीय हरीदास जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरीदास–

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि इसको नियम–56 में ही स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरीदास जी, इस सम्बन्ध में कल अल्पसूचित प्रश्न लगा हुआ है, यदि आप उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम आपको सुन लेंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

## लैपटॉप के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की सूचना

*श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे सचिव, विधान सभा का दिनांक 1 अप्रैल, 2005 का पत्र प्राप्त हुआ है। सम्भवतः सभी माननीय सदस्यों को यह प्राप्त हुआ होगा। मान्यवर, सचिव, विधान सभा के पत्र संख्या 81/वि0स0/21/व्यवस्था/2003, दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 के माध्यम से सूचित किया गया है कि 25 मार्च, 2004 को सम्मानित सदन में एक निर्णय लिया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि सभी माननीय सदस्यों को लैपटॉप उपलब्ध कराये जायेंगे लेकिन अब इस पत्र के माध्यम से यह सूचना दी जा रही है कि इसके क्रय मूल्य का 60 प्रतिशत वार्षिक ह्रासित मूल्य के आधार पर कार्यकाल समाप्ति के उपरान्त धनराशि जमा करने पर माननीय सदस्यों को लैपटॉप अपने पास ही रखने की स्वीकृति दी जायेगी। जबकि श्रीमन, सम्यक् रूप से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सरकार की ओर से सदन को आश्वस्त किया था कि 27 जुलाई, 2004 को माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराये गये लैपटॉप वापिस न करने की बात की थी। मान्यवर, मेरे संज्ञान में आया है कि वित्त विभाग की ओर से अशासकीय पत्र संख्या 1557 दिनांक 17–09–2005 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जो माननीय सदस्य 60 प्रतिशत ह्रासित मूल्य का भुगतान करेंगे, वे माननीय सदस्य ही अपने पास लैपटॉप रख सकेंगे।

मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि यदि कोई बात विधायिका द्वारा कही जाती है और तदोपरान्त कार्यपालिका इस बात को स्वीकार नहीं करती है तो यह सम्पूर्ण सदन की अवमानना है। इस अवमानना के साथ ही मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह संविधान की मूल भावनाओं तथा संविधान के अनुच्छेद 194 और 208 का भी उल्लघंन है। मैं इस सम्बन्ध में सम्मानित पीठ की व्यवस्था चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं नियम–64 के तहत मुख्य रूप से सचिव, वित्त के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रहा हूँ तथा मुझे बड़े दुःख के साथ यह भी आग्रह करना पड़ रहा है मैं सचिव विधान सभा के प्रति भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रहा हूँ। यह पूरे सदन की अवमानना से जुड़ा हुआ है। अभी तो मैं मौखिक रूप से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रहा हूँ बाद में मैं इसे लिखित रूप में आप तक पहुँचा दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

## नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं मैं इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मदन कौशिक, डा0 नारायण सिंह जन्तवाल तथा श्रीमती आशा नौटियाल की सूचनाओं को नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ की पट्टी गमरी के ग्राम पंचायत गमरी, रौन्तल, चमियारी, महरगाँव, जसपुर और खाण्ड में भयंकर ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मुख्यालय चिन्यालीसौड़ की पट्टी गमरी के ग्राम पंचायत गमरी, रौन्तल, चमियारी, महरगाँव, जसपुर और खाण्ड के लगभग 15 गाँवों के काश्तकारों की धान की खड़ी फसल 9–10–2005 को भयंकर ओलावृष्टि के कारण बरबाद हुई है। धान का एक दाना भी नहीं बचा है, काश्तकारों की खड़ी और तैयार धान की फसल पूरी तरह बरबाद हुई है। काश्तकारों के समक्ष भुखमरी की विकट स्थिति पैदा हो गई है।

उपरोक्त गाँवों की क्षतिग्रस्त फसलों का उप जिलाधिकारी डुण्डा से आकलन मंगाकर काश्तकारों को समुचित मुआवजा शीघ्र प्रदान करवाया जाय।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

## जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट में स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय शाखा के भवन निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत तहसील द्वाराहाट में तत्कालीन उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 1988 में राजकीय जिला पुस्तकालय की शाखा खोली गयी, तत्पश्चात् सरकार ने वित्तीय वर्ष 1997–98 में विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत "राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता की परियोजना को कुछ पुस्तकालय शाखाओं के भवन निर्माण" हेतु, जिसमें उक्त शाखा भी सम्बद्ध थी, बजट आवंटित किया लेकिन राज्य अलग बन जाने के बाद भी आज तक समस्त कार्यवाही अधूरी लटकी हुई है और भवन किराये में ही चल रहा है।

पुनः क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त निर्माण हेतु राजकीय इण्टर कालेज के समीप भूमि, भवन का नक्शा और अनुमानित लागत सहित समस्त कागजात शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये। लेकिन सकारात्मक उत्तर न मिलने से क्षेत्रीय जनता में बड़ा आक्रोश व रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी का नाम पुकारे जाने पर उस समय श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल एवं जयहरीखाल के गाँवों में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल एवं विकास खण्ड जयहरीखाल के कई गाँवों में हमेशा पेयजल का संकट रहता है। स्रोतों का जल लगातार घट रहा है। इस संकट से जनता को निजात दिलाने के लिए नयार नदी से भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना लगभग तीन वर्ष पहले प्रस्तावित की गई थी। विभाग द्वारा पम्पिंग पेयजल योजना का आगणन भी तैयार करवा दिया है। लेकिन कई वर्षों से भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य नहीं प्रारम्भ किया जा रहा है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले विकास खण्ड द्वारीखाल एवं विकास खण्ड जयहरीखाल के लगभग पचास-साठ गाँवों की जनता में घोर निराशा व असंतोष व्याप्त है। क्योंकि पेयजल संकट दूर करने के लिए उक्त पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करती हूँ।

## हरिद्वार नाई सोता घाट हर की पैड़ी से सटे अस्थि घाट पर बंद पड़ी सीवरेज के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, हरिद्वार नाई सोता घाट हर की पैड़ी से सटे अस्थि घाट पर सीवरेज बन्द पड़ी है, जिससे सीवरेज का दूषित जल गंगा में गिर रहा है। साथ ही घाट की सफाई धुलाई का जल भी गंगा में गिरकर प्रदूषित कर रहा है। जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। इसके समाधान हेतु संजय पुल से लेकर शताब्दी पुल तक दूषित पानी की निकासी के लिए गंगा किनारे एक नाला बनाकर सीवर से टैप कर दिया जाय, जिससे गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। पुरोहित जागृति मंच द्वारा हरिद्वार में लगातार आन्दोलन चलाया जा रहा है। विषय अविलम्बनीय लोक महत्व एवं तात्कालिक है। अतः सदन का ध्यान आकर्षित कर प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

## जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रोडवेज वर्कशाप को भवाली में ही अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण सिंह जंतवाल-

मान्यवर, जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भवाली विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाला केन्द्र है तथा यहाँ पर रोडवेज की वर्कशाप व स्टेशन बहुत पहले से बने हैं। वर्तमान में वाहनों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होने के साथ-साथ भवाली नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत व्यवसायिक और आवासीय निर्माण कार्य हो गये हैं। उत्तरांचल परिवहन निगम का वर्कशाप शहर के मध्य में स्थित है। वर्कशाप में पर्याप्त स्थान न होने तथा वाहनों की संख्या बढ़ने से भवाली नगर में अव्यवस्था का वातावरण बन जाता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस वर्कशाप को भवाली के ही पास दरसौली या अन्य स्थानान्तरित करने हेतु रोडवेज कर्मचारी, विभाग कई बार प्रस्ताव प्रस्तुत कर आग्रह कर चुके हैं।

मैं शासन से माँग करता हूँ कि जनहित में इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर आवश्यकीय सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर दें।

## जनपद रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ के ग्राम पंचायत तुलंगा में वर्ष 1992 में हुई भारी हिमपात से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा देवी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग में विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तुलंगा में वर्ष 1992 में भारी हिमपात के कारण क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन की मरम्मत कराये जाने की ओर लाना चाहती हूँ। मान्यवर, ग्राम पंचायत तुलंगा के अन्तर्गत वर्ष 1992 में भारी हिमपात से गाँव के ऊपरी क्षेत्र तालपौंगा, जागतोली, जौलो, लदला डौंगा, केणियणी, कुलफौंगा, बेलखूर इत्यादि क्षेत्रों में विद्युत लाईन ध्वस्त पड़ी हुई है। उक्त विद्युत लाईन को क्षतिग्रस्त हुए 13 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन सम्बन्धित विभाग द्वारा मात्र सर्वेक्षण के अलावा और कोई कार्य उक्त लाईन पर नहीं हुआ है। जबकि क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया है, लेकिन विभाग द्वारा मात्र आश्वासनों के अलावा विद्युत लाईन बनाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है, तथा अब स्थिति यह है कि यदि शीघ्र ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया, तो क्षेत्रीय जनता आन्दोलन के लिए बाध्य हो जायेगी। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर, कार्यवाही किये जाने की माँग करती हूँ।

## प्रदेश में कार्यरत सहकारी कैडर सचिवों की वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र भट्ट-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रदेश के सहकारिता विभाग में कार्यरत सहकारी समितियों के कैडर सचिवों का वेतन विसंगति का समाधान न होने के कारण इन सचिवों में व्याप्त आक्रोश की ओर दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, उत्तरांचल के विकास में सहकारिता ही एक ऐसा विभाग बन सकता है, जिसके माध्यम से जन-जन तक विकास के आयाम स्थापित किये जा सकते हैं। प्रदेश में सहकारिता एक आन्दोलन बन सके इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने वाले इन सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

महोदय, राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं से इन्हें वंचित रखा गया है। महोदय, आश्चर्य पूर्ण बात यह है कि तीन मैदानी जनपदों में कार्यरत सहकारी कैडर

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सचिवों को ऊधमसिंह नगर, नैनीताल एवं हरिद्वार में एक शासनादेश के माध्यम से पंचम वेतन मान दिया जाता है तथा पर्वतीय जनपदों के कैडर सचिवों को इससे वंचित रखा गया है।

महोदय, मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 13 मार्च, 2005 को सम्पूर्ण प्रदेश में कैडर सचिवों को समान वेतन देने के आदेश करने के बाद भी आज तक उक्त संदर्भ को कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी जिससे इनमें आक्रोश व्याप्त है।

अतः महोदय, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान दिलाते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

## औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सहजाद ने एक सूचना दी है, जिसमें उन्होंने दि0 28–03–2005 को पिरान कलियर के ठेके में हुई कथित धांधली के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। वस्तुतः यह प्रकरण दि0 29–03–2005 का है। जिसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिलाधिकारी से जाँच की बात कही थी। पीठ से कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं तथापि मैं निर्देश देता हूँ कि यदि जाँच को सार्वजनिक करने में कोई विधिक कठिनाई न हो तो उसे सार्वजनिक कर दिया जाये।

मैं माननीय सदस्य की इस सूचना को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

दूसरी सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दी है जो भारत के नियत्रक महालेखापरीक्षक के सदन में रखे गये प्रतिवेदन के विभिन्न प्रस्तरों के सम्बन्ध में है। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी आप विद्वान हैं, अनुभवी हैं आप जानते हैं कि महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किये जाने के बाद इस पर शासन के विभाग त्वरित कार्यवाही करते हैं और विधान सभा की लोक लेखा समिति भी प्रस्तरों पर विस्तृत चर्चा करती है। जहाँ गल्तियाँ या दोष समिति को दिखायी देते हैं वह शासन के अधिकारियों को साक्ष्य के लिए बुलाती है और स्थल निरीक्षण भी करती है। ऐसी स्थिति में इस नियम–300 के अन्तर्गत उठाये गये औचित्य के प्रश्न को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या इसमें जाँच होगी, क्योंकि इस प्रतिवेदन में कई आरोप लगे हैं और कई विकास कार्य अधर में लटके हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा कि लोक लेखा समिति में होगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, सम्बन्धित विभाग स्वतः नोटिस लेकर कार्य करता है, पी0ए0सी0 को भी अधिकार है और यहाँ कार्यवाही करने का अधिकार नहीं कह सकते हैं।

## उत्तरांचल विधान सभा के द्वितीय सत्र वर्ष 2005 में प्राप्त नियम–301 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष, 2005 के द्वितीय सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–301 के अन्तर्गत कार्यवाही के विवरण से अवगत कराया और उसकी प्रति सम्भवतः यहाँ पर वितरित हो रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो निदेश संख्या–14 की बात माननीय मंत्री जी ने कही, इसमें सर्वप्रथम नियम–301 के आधार पर यहाँ पर सम्मानित सदस्य सूचनायें रखते हैं। जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें तो सचिव को लिखित रूप में सूचना देंगे जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों तथा साथ में कारण भी बतायेंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जायेगी, ऐसी व्यवस्था कार्य–संचालन नियमावली में है। इसके आधार पर किस आधार पर नियम–301 में सूचना रखी जायेगी यह निदेश में दिया गया है। निदेश संख्या–10 में सूचनाएं स्वीकार करने की प्रक्रिया बताई गई और निदेश संख्या–14 में है कि 'इस अध्याय के अधीन सदन के संज्ञान में लायी गई सूचनाओं का अन्तिम उत्तर मंत्री के हस्ताक्षर से एक माह के भीतर सम्बन्धित सदस्य को भेजा जायेगा'। मान्यवर, इस सूचनाओं में अधिक से अधिक एक माह में उत्तर पहुँचता है या नहीं यह तो आप ही बतायेंगे। निदेश संख्या–14(2) में है कि 'मंत्री द्वारा सम्बन्धित सदस्य को दिये गये ऐसे प्रत्येक उत्तर की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जायेगी'। मान्यवर, वह भेजी जाती है या नहीं इसका भी आप परीक्षण करा लें। इसके बाद निदेश संख्या–14(3) में है कि 'प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी, जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण हो'। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि जो भी सदन में प्रस्तुत की गई सूचना है वह सब सदन की सम्पत्ति है और सदन को यह पूरा अधिकार है कि उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें और सरकार की जवाबदेही तय करें, इसके लिए संसदीय प्रणाली है, इसमें कहा है कि माननीय सदस्य को बाद में अवगत करा दिया जायेगा। इसमें व्यवस्था चाहते हैं कि जो सरकार गैर जिम्मेदारी से कार्य कर रही है इसमें अपनी व्यवस्था दें, ताकि प्रभावी कार्य हो सके। मान्यवर, जिससे विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 301 के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित को सरकार के माध्यम से उत्तर प्राप्त होता है, यह तो आज ही आया है, इस पर लगा होगा। यह तो संवैधानिक दायित्व है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पहले इसकी सूचना विधान सभा सचिवालय को देनी चाहिए, लेकिन वह विधिवत जाती है। हमारी यह बाध्यता है जो भी कार्यवाही होती है वह सदन की सम्पत्ति बन जाती है, इस पर सबका अधिकार है, चाहे वह श्री महेन्द्र भट्ट हों या श्री मदन कौशिक जी हों इस पर सदन का अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

श्री पंत जी, प्रति विधान सभा सचिवालय को प्राप्त होती है और जहाँ तक उत्तरों का प्रश्न है उसमें शासन द्वारा ऐसे विवरणों में कृत कार्यवाही का पूरा उल्लेख किया जाता है।

## उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 की धारा 71 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

## उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग, 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 13 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग, 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

## उत्तरांचल लोक सेवा आयोग का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखती हूँ।

## उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 की उपधारा (4 के अन्तर्गत उत्तरांचल भवन) और अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

## उत्तरांचल राज्य हज समिति के वर्ष, 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल राज्य हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा–8 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार, उत्तरांचल राज्य हज समिति के वर्ष, 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखती हूँ।

## उत्तरांचल लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त का 1–1–04 से 31–12–04 का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अनुसार माननीय लोक आयुक्त का दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक का प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखती हूँ।

## जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनाली के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनाली के उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में" श्री विनोद रावत एवं अन्य निवासीगण जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

## जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उनियाणा में जूनियर हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उनियाणा में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री यदुवीर सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

## जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के ग्राम अठाली में पेयजल लाईन व्यास बढ़ाने एवं विस्तार के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी ग्राम अठाली में पेयजल लाईन व्यास बढ़ाने एवं विस्तार बढ़ाने के सम्बन्ध में" श्री जयेन्द्र सिंह पंवार एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

## जनपद उत्तरकाशी के राजकीय जूनियर हाई स्कूल स्यानाचट्टी (नौ गाँव) का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के राजकीय जूनियर हाई स्कूल स्यानाचट्टी (नौ गाँव) का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती पुष्पा राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

## जनपद नैनीताल में दोगड़ा के तोक घटगाड़ में बलियानाले से उपयोगी भूमि कटाव रोकने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद नैनीताल में दोगड़ा के तोक घटगाड़ में बलियानाले से उपयोगी भूमि कटाव रोकने के सम्बन्ध में" श्री कैलाश सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

## उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981] (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

## उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

## कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 की बैठक में दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 से दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 तक के उपवेशन के कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>अक्टूबर, 2005</u>

20 गुरुवार

<u>1–विधायी कार्य</u>

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(3) उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(4) उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(5) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

(6) उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

2–नियम–103 के विगत सत्रों की लम्बित निम्न सूचनाओं पर चर्चा

(क) श्री मदन कौशिक

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए।"

(ख) श्री नारायण पाल

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।"

(ग) श्री बलवीर सिंह नेगी

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तू को चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्य–योजना से जोड़ा जाए।"

(घ) श्री मदन कौशिक

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाए।"

<u>21 शुक्रवार</u>

<u>असरकारी दिवस</u>

1. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा के असरकारी विधेयक "उत्तरांचल सीमान्त क्षेत्र (विकास एवं प्रबन्ध) विधेयक, 2005 का पुरःस्थापना विचार एवं पारण।

<u>2–दिनांक 20 जनवरी, 2005 के लम्बित निम्नलिखित संकल्पों पर चर्चा :–</u>

(1) श्री प्रकाश पंत

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तरांचल में राजस्व पुलिस को सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनायी जाए।"

(2) श्री काशी सिंह ऐरी

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों, निगमों, परिषदों एवं अन्य अर्धसरकारी संस्थानों में रिक्तियों को भरने हेतु ली जाने वाली परीक्षा एवं साक्षात्कारों का परीक्षाफल अंक तालिका सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।"

(3) श्रीमती विजय बड़थ्वाल — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम तथा ग्राम सभा जौंक को मिलाकर नगर पंचायत बनायी जाए।"

(4) श्री मदन कौशिक — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के भू–गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण पर संस्तुति हेतु भू–गर्भ विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए।"

(5) श्रीमती आशा देवी — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ की ग्राम पंचायत ऊखीमठ ग्राम पंचायत अगस्त्यमुनी तथा ग्राम पंचायत गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाया जाए।"

<u>3–निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–</u>

(1) श्री प्रीतम सिंह पंवार — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद उत्तरकाशी के वरुणावत भूस्खलन पीड़ितों को शीघ्र पुनर्वासित किया जाए।"

(2) श्री मदन कौशिक — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए जो एक निश्चित समयावधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।"

(3) श्री प्रकाश पंत — "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला तथा मुनस्यारी एवं जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को, जनजाति क्षेत्र में रहने वाली समस्त जातियों को जनजातियों हेतु अनुमन्य सुविधाएं प्रदत्त की जाएं।"

(4) श्री बलवीर सिंह नेगी — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रतिवर्ष होने वाली सहस्त्रताल, क्यार्खी बुग्याल, मासरताल यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं तथा बूढ़ाकेदार सहस्त्रताल तक सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को तीर्थ मार्ग के रूप में विकसित किया जाए।"

(5) श्रीमती विजय बड़थ्वाल — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल के समस्त राष्ट्रीय पार्क, पशु विहार, मृग विहार एवं संरक्षित वनों के आसपास के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाकर विकास किया जाए।"

4–नियम–103 की विगत सत्रों की लम्बित निम्न सूचनाओं पर चर्चा :–

(1) श्री काशी सिंह ऐरी — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गुलदार, भालू एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा मारे गये तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजे की धनराशि बढ़ाते हुए मानक तय किये जायें और इसे जल्द से जल्द पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु एक समयबद्ध नीति बनाई जाए।"

(2) श्री नारायण सिंह जन्तवाल — "इस सदन का सुनिश्चित मत है ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जायें।"

(3) श्री महेन्द्र भट्ट — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में गौ–हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाए।"

(4) श्री गगन सिंह — "यह सदन सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तरांचल के पर्वतीय अंचलों में निवास करने वाली लुप्त प्राय: वन राजि आदिम जनजाति के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान की व्यवस्था करें।"

(5) श्री मदन कौशिक — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों को अधिक से अधिक आकर्षित करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए।"

24 सोमवार — 1–औपचारिक कार्य

2–विधायी कार्य

(1) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें जिनकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है से, यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

## कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से मैं श्री प्रकाश पंत, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री बिशन सिंह चुफाल तथा श्री अजय भट्ट जी की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 58 के अन्तर्गत मेरी कार्य स्थगन की सूचना को ग्राह्यता पर सुनने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमन्, आज जिस सूचना को मैं सम्मानित सदन के सम्मुख रख रहा हूँ वह विषय उत्तरांचल राज्य में काम करने वाले विभिन्न विभागों के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। हम सब जानते हैं कि यह मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी जो प्रशासनिक तंत्र एवं जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं और साथ–साथ इन विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जिसमें स्थापना, योजना, लेखा, कम्प्यूटर, टंकण तथा न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य भी इस संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा सम्पादित होते हैं।

लेकिन बड़े खेद का विषय है कि यह मिनिस्ट्रीयल कर्मी विगत लम्बे समय से अपनी कुछ माँगों के सम्बन्ध में आन्दोलनरत हैं। मान्यवर, आन्दोलन करने के कारण पर यदि जाएं तो इसके पीछे एक ऐसा जायज कारण है, जिसके प्रति सम्पूर्ण उत्तरांचल की जनता से इनको समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। कारण यह है कि इस संवर्ग के कर्मचारी अपने पूरे सर्विस काल में 35–40 वर्ष कार्य करने के पश्चात् भी एक ही पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वे आर्थिक बदहाली में रहते हैं। यह हम सब जानते हैं और पूरे प्रदेश की जनता जानती है। इनके द्वारा अपनी माँगों को लेकर 17–18 फरवरी, 2005 को प्रान्तीय अधिवेशन किया गया था। इन्होंने अपना माँग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को भी प्रेषित किया था। सम्भवतः इसके सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उस बैठक में कुछ बिन्दुओं पर चर्चा हुई लेकिन जो मूल माँगें थी, वह आज भी जहाँ की तहाँ खड़ी हैं।

जिसके कारण इन कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। इन्होंने आन्दोलन की एक रूपरेखा बनायी है, जिसके तहत पहले 3 और 4 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में इन्होंने 11 बजे से 4 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया था, इन्होंने पैन डॉप हड़ताल की थी। उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के पश्चात् इन्होंने कार्य नहीं किया। जिसके कारण अत्यन्त अव्यवस्था का माहौल पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में पैदा हो गया है। मान्यवर, 5 अक्टूबर को जब हमारा विधान सभा का सत्र चल रहा था तो इन्होंने विधान भवन के सामने एक दिवसीय धरना भी दिया और सायं 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इनका आगे का जो कार्यक्रम मुझे प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार 17-10-2005 से 24-10-2005 तक हर जनपद में रैलियाँ निकाली जाएंगी। इसमें नवम्बर और दिसम्बर, 2005 तक कार्यक्रम दिया गया है।

इन कार्यक्रमों को देख कर यह पता चलता है कि पूरे उत्तरांचल में लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी अपनी माँगों के सम्बन्ध में आन्दोलन की भूमिका बना चुके हैं। इस आन्दोलन से प्रदेश के सभी जनपदों के विकास खण्ड प्रभावित होने वाले हैं। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय बन गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार को निश्चित ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इनकी माँगों को देखें तो यह बहुत छोटी हैं। इनके यहाँ 7 कैडर हैं, इनकी माँग है कि इनकी जगह केवल 4 कैडर कर दिये जाएं। इनकी माँग है कि कनिष्ठ सहायक के वेतनमान 3050-4590 तथा वेतनमान 4000-6000 को एकीकृत करते हुए मिनिस्ट्रीयल वर्ग का न्यूनतम वेतनमान रु0 4500-7000 किया जाय, वेतनमान 4500-7000 एवं 5000-8000 को एकीकृत करते हुए प्रवर सहायक का वेतनमान रु0 5500-9000 किया जाय, जनपद के समस्त कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित करते हुए प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड प्रथम का वेतनमान रु0 6500-10500 निर्धारित किया जाय। मान्यवर, इसी प्रकार इनकी कुछ अन्य माँगें भी हैं। लेकिन मान्यवर, इनकी मूल माँग, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, वह है 7 कैडरों को समाप्त कर केवल 4 कैडर बनाये जाएं। मान्यवर, 4 कैडरों की स्थापना की जाए। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है और चूँकि जब 27 अक्टूबर और 3 जनवरी को इनके प्रान्तीय नेताओं के साथ सरकार के माध्यम सरकारी अधिकारियों के बीच हुई बैठकों के उपरान्त इनके पदनाम परिवर्तन की माँग को स्वीकार किया गया लेकिन मूल विषय वेतन विसंगतियों से सम्बन्धित था। इस सम्बन्ध में कहा गया कि इस पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। तत्पश्चात् नियमानुसार वेतनमानों में विसंगति एवं विषमता है, उस पर विचार किया जायेगा। मान्यवर, 35-40 वर्षों के बाद भी कर्मचारी आर्थिक बदहाली से गुजरते हैं। इस विषय में सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इन चार वर्षों में कोई चर्चा स्वीकार नहीं हुई है, कृपया इस विषय पर चर्चा स्वीकार कर लें। मान्यवर, यह मामला राज्य की जनता से जुड़ा हुआ है। यह उत्तरांचल से जुड़े हुए कर्मचारियों का मामला है। इसलिए कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है। इस मामले को लेकर सरकार अतिसंवेदनशील है। इस मामले पर दिनांक 14–09–05 को माननीय लोक निर्माण मंत्री जी की अध्यक्षता में यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। सरकार ने इस मामले को अतिसंवेदनशील मानते हुए दिनांक 26–07–05 को प्रमुख सचिव कार्मिक के साथ फैडरेशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसमें 17 बिन्दुओं पर चर्चा हुई। अधिकांश बिन्दुओं में पदों के वेतनमानों को उच्चीकृत करने की माँग अथवा उच्चतर वेतनमान के पद सृजित करने की माँग है। इन माँगों पर विचार–विमर्श करने के पश्चात् यह निर्णय हुआ कि वेतनमान उच्चीकृत करने की माँग उचित नहीं है। जब छठा वेतन आयोग बैठेगा तभी इस पर वित्त विभाग द्वारा विचार होगा। बीच में किसी विभाग का वेतनमान बढ़ा दिया जाय यह सम्भव नहीं है। मान्यवर, यूनियन 17 सूत्रीय माँगों में कुछ माँगें जो वित्तीय विभाग से सम्बन्धित थी वित्त विभाग को और जो कार्मिक विभाग की थी वे कार्मिक विभाग को रैफर कर दी गई। पदनाम परिवर्तन के सम्बन्ध में एसोसिएशन की माँग पर विचार करने के उपरान्त वर्तमान पदनामों में परिवर्तन कर दिया गया है। वेतनमान रु0 4000–6000 और रु0 4500–7000 का वेतनमान तथा रु0 5000–8000 तथा 5500–9000 के के वेतनमानों को एकीकृत करके 5500–9000 का एक ही वेतनमान प्रभावी कर दिया जाए। मान्यवर, सरकार के लिए फिलहाल सम्भव नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–प्रथम का वेतनमान 6500–10500 तक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का वेतनमान 8000–13500 करते हुए इन पदों को राजपत्रित कर दिया जाए। मान्यवर, यह सरकार के लिए फिलहाल सम्भव नहीं है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश वित्त (वेतन आयोग) के अनुसार उत्तरांचल में भी लेखा संवर्ग में 1–04–01 में संशोधित उच्चीकृत वेतनमान यथा लेखाकार 4500–7000 वरिष्ठ लेखाकार 5500–9000 अनुभाग अधिकारी 6500–10500 तथा सहायक लेखाधिकारी 7450–11500 स्वीकृत किया जाए। मान्यवर, यह माँग वित्त विभाग के पास लम्बित है। यह उनको संदर्भित कर दी गई हैं आशुलिपिक संवर्ग में प्रारम्भिक वेतनमान रु0 5500–9000 निर्धारित करते हुए पदनाम वैयक्तिक सहायक किया जाए। प्रथम पदोन्नति पर वेतनमान रु0 6500–10500 तथा पदनाम निजी सचिव ग्रेड द्वितीय किया जाए। यह माँग स्वीकार नहीं की गई है।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में एक शासनादेश निर्गत किया गया था कि जनपद स्तर पर जिन कार्यालयों में 50 या अधिक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए। इस सम्बन्ध में संघ से सूचना अपेक्षित है। तकनीकी विभाग जैसे लो0नि0वि0, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण में खण्डीय लेखाकारों की नियुक्ति विभागीय कर्मचारियों से की जाए तथा महालेखाकार द्वारा नियुक्त प्रथा को समाप्त किया जाए। मान्यवर, यह उचित नहीं है इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। नॉन तकनीकी पदों पर पदोन्नति के लिए मिनिस्ट्रीरियल संवर्गों हेतु आरक्षण की व्यवस्था की जाए जैसे नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर मिनिस्ट्रीरियल कर्मियों के लिए पद आरक्षित किये जायें। इस सम्बन्ध में माँग की पृष्ठभूमि ज्ञात की जा रही है कि किस आधार पर किया जा सकता

है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा। उत्तरांचल में कतिपय विभागों में निदेशालय से न्याय पंचायत स्तर तक अनुसचिवीय संवर्ग में एकल संवर्ग प्रणाली लागू की गई है, यह प्रणाली समस्त विभागों में लागू की जाए। मान्यवर, यह स्वीकार्य नहीं है। यह समस्त विभागों में सम्भव नहीं है। उत्तरांचल में जिन विभागों का अभी पुनर्गठन नहीं हुआ है, उनका पुनर्गठन तत्काल किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विभाग में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में कम से कम तीन पदोन्नतियाँ सुलभ हो ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में कम से कम तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त कर सके। मान्यवर, यह पूर्व से ही विद्यमान है, गतिमान है। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य को बने हुए अभी मात्र चार साल हुए हैं। मान्यवर, सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी-अपनी नियमावली बनायें। मान्यवर, नव सृजित जिला चम्पावत बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में भी मानकानुसार पद सृजित किया जायेगा। मान्यवर, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संघों/परिसंघों के बीच अनावश्यक टकराव को रोकने पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। मान्यवर, नगदीकरण की माँग को हम अस्वीकार कर चुके है। मान्यवर, उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीरियल सर्विसेज एसोसियेशन जो नियमतः उत्तरांचल का प्रथम परिसंघ के रूप में मान्यता प्राप्त संगठन है, के लिए पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भाँति सर्वप्रथम कार्यालय कक्ष का आवंटन करने पर विचार कर रहे हैं। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य बनने के बाद जनपद हरिद्वार को इसी भाँति पर्वतीय विकास भत्ता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। मान्यवर, सभी कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहित करने हेतु पत्र भेजा जा रहा है। मान्यवर, उत्तरांचल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को वाहन भत्ता के सम्बन्ध में हमने वित्त विभाग को रिपोर्ट भेजी है, वित्त विभाग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, चूँकि जिस समझौते का जिक्र माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, वह 27 अक्टूबर, 2004 का जिक्र कर रहे हैं। मान्यवर, इसमें पद नाम परिवर्तित करने की बात सरकार ने स्वीकार कर ली है और इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। परन्तु मान्यवर, इसमें कनिष्ठ लिपिक का जो वेतनमान रु0 3050-4590 का है, वही इनको दिया जा रहा है, जबकि कनिष्ठ सहायक का वेतनमान रु0 4500-7000 का है। मान्यवर, वरिष्ठ लिपिक का वेतनमान रु0 4000-6000 का है और प्रवर सहायक का वेतनमान रु0 5500-9000 का है, इनको यह वेतन नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, इसी तरह प्रशासनिक अधिकारी का वेतनमान रु0 5500-9000 का है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 का वेतनमान 6500-10500 का है। मान्यवर, केवल पदनाम बदल दिया गया है जबकि इनको वेतनमान नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ इनको पदनाम के अनुरूप वेतनमान भी दिया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि इनके 7 ग्रेडों को हटाकर इनके स्थान पर 4 ग्रेड कर दिये जायं, इसका व्यय भार सरकार पर नहीं पड़ेगा। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इनको पदनाम के साथ-साथ वेतनमान भी दिया जाय।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, चूँकि कर्मचारियों की भावनाओं के अनुरूप जैसा कि वे पदनाम परिवर्तित करना चाह रहे थे, वह हमने कर दिया है। जहाँ तक आपने वेतनमान की बात कही है तो वह उन्होंने नहीं की थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रकाश पंत जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कार्य स्थगन के प्रस्ताव के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय की ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक ऐसे प्रस्ताव की ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का एवं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो हमारे राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग से सम्बन्धित है।

मान्यवर, राज्य बनने के बाद उस विभाग की परिसम्पत्तियों और आमदनी के लिए उत्तर प्रदेश ने बहुत कोशिश की कि उसे मिले, लेकिन हमारे यहाँ के कुशल अधिकारियों ने बहुत लगन से काम करते हुए उसका मुकाबला किया और आज स्थिति यह है कि मत्स्य विभाग से जो आमदनी हमारे राज्य को होनी थी उसमें कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन शासन स्तर पर उस विभाग के साथ क्या सलूक किया जा रहा है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मान्यवर, मत्स्य विभाग का जो ढांचा है, विभिन्न पदों का सृजन है, उसकी नियमावली है वह शासनादेश 7 मई, 2005 को स्वीकृत हुआ, लेकिन उसके पहले ही शासन ने बड़ी चालाकी से और पता नहीं किस प्रयोजन से विभाग के संवर्गीय अधिकारियों को प्रोन्नति देने के बजाय विभाग के बाहर से लाकर उसे विभाग का निदेशक बना दिया। मान्यवर, शासनादेश संख्या 78/15–मत्स्य 4(6)/2002 के द्वारा 7 मई, 2005 को यह अंगीकार किया गया, लेकिन इसके ठीक 7 दिन पूर्व पता नहीं किस प्रयोजन और भावना को लेकर एक विभाग से बाहर के व्यक्ति को उस विभाग का निदेशक बना दिया और निदेशक ही नहीं उसके साथ ही साथ इस विभाग के अन्तर्गत जो राज्य मत्स्य पालन विकास अभिकरण है उसका पदेन सचिव भी बना दिया और यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि पदेन सचिव बनने का जो आदेश था उसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को नहीं दी गई। शासन स्तर से आदेश जारी किया गया और लुके–छिपे तौर पर जिसे लाभ पहुँचाना था उसे लाभ पहुँचाया, तो यह कार्यप्रणाली लोकतंत्र के लिए घातक है।

अभी माननीय प्रकाश पंत जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है जिसमें इस माननीय सदन में जो विनिश्चय हो गया और सरकार की ओर से घोषणा कर दी कि लैपटॉप वैसे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी उस निर्णय को शासन स्तर पर परिवर्तन किया जाता है, ठीक ऐसी ही स्थिति इस प्रकरण में है। शासन ने तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए किसी बाहर के व्यक्ति को निदेशक बना दिया और जो उस विभाग के संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं उनकी शैक्षिक योग्यता पूरी तरह से उच्च स्तर की है और राज्य बनने के बाद उस अधिकारी ने रात–दिन एक करके न केवल ढांचा तैयार किया।

मान्यवर, इन्होंने मत्स्य विभाग की आमदनी में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रयास किया, ऐसे अधिकारियों को छोड़ दिया गया। सबसे बडा उल्लंघन यह भी हुआ कि मत्स्य विभाग की जो नियमावली है वह उत्तर प्रदेश की है, विभाग ने अभी तक अपनी कोई नियमावली नहीं बनायी है, वह 1993 की है। उसमें यह है कि विभागीय प्रोन्नति द्वारा निदेशक का पद भरा जायेगा। मान्यवर, मत्स्य विभाग में नियमावली का उल्लंघन हो रहा है, इसे एक तरफ करते हुए 30 अप्रैल, 2005 को एक अधिकारी की बाहर से निदेशक पद पर तैनाती कर दी गई है। मान्यवर, ऐसे बहुत सारे दृष्टान्त हैं। विभागों में छूट देकर प्रोन्नति दे दी गई है चाहे वह सचिवालय हो या अन्य विभाग। मत्स्य विभाग में योग्य और कर्मठ अधिकारी के होते हुए भी निदेशक के पद पर बाहर से नियुक्ति दे दी गई यह बहुत गम्भीर मामला है, इससे विभाग के अधिकारियों में और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों में आक्रोश व्याप्त है। विभाग के जो कर्मठ लोग हैं वह समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ न देने का यह नया निर्णय लिया गया है। मान्यवर, इससे उनके कैडर में आक्रोश है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की आज की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये ताकि इस विभाग का भला हो सके, जनता में गलत संदेश न जाये। मान्यवर, जिन्होंने उत्तरांचल में पहले से ही पर्वतीय संवर्ग एडाप्ट किया और सोचा होगा कि हमारा प्रदेश बनेगा और हम इसे आगे ले जायेंगे। मान्यवर, उनको अनदेखा करके बाहर से निदेशक के पद पर तैनाती की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर सरकार वक्तव्य दे।

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, नियम 56 में जो निदेशक की तैनाती के बारे में चर्चा की गई है यह पूरा प्रकरण उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है। इसमें अगली तारीख 24–10–2005 है। इस पर तो कोर्ट का निर्णय आना है। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया इसे अग्राह्य करना चाहें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, सरकार के पास एक बहुत बडा शस्त्र है कि मामला कोर्ट में है। मान्यवर, शासन ने इसमें गलती की है, शासन ने नियमावली की अनदेखी की है, शासनादेश के विरुद्ध काम किया है। शासन की गलती से कोई भी अपने हक के लिए न्यायालय में जा सकता है। सरकार इस गलती पर क्या कार्रवाई कर रही है, कृपया यह बताने का कष्ट करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया है कि मामला कोर्ट में है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री काशी सिंह ऐरी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त तहसील मुन्स्यारी में 18 अगस्त, 2005 को ग्राम नापड़, मूर्ति, रौड़ा, खतेड़ा, सुरखेत, मकुण्डा आदि गाँवों में दैवी आपदा से एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने वाले 7 पुल बह गये हैं और गाँवों की पेयजल व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है, बिजली की लाइनें ध्वस्त हो गयी हैं और धान की फसल भी पूरी तरह चौपट हो गयी है। इस दैवी आपदा के कारण 9 परिवारों के मकान ध्वस्त हो गये हैं। श्री गंगा सिंह के मकान में दरार पड़ने के कारण रास्ता बन्द हो गया है। इसी प्रकार नापड में बसंती देवी का मकान ध्वस्त हो गया है, राम सिंह का मकान भी ध्वस्त हो गया है। श्री मोहन सिंह के मकान में 7 बकरियाँ दबकर मर गयी हैं। इसी प्रकार पूरे क्षेत्र में जन–जीवन अस्त व्यस्त है। जो पेयजल की योजनाएं ध्वस्त हो गयी थीं आज 2 माह बाद भी विभाग द्वारा उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा है। 2–2 कि0मी0 दूर से लोग पीने का पानी ला रहे हैं। मान्यवर, दैवी आपदा का जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। हर जनपद में पिथौरागढ़ में भी इस पैसे से अन्य कार्य किये जा रहे हैं। जबकि इस पैसे को केवल दैवी आपदा के सम्बन्ध में ही खर्च किया जाना चाहिए। यह दैवी आपदा विभाग इस लिए बनाया गया था ताकि दैवी आपदाओं से निपटा जा सके। जहाँ दैवी आपदा आयेगी वहाँ पर इस पैसे को खर्च किया जायेगा लेकिन इस सरकार द्वारा इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।

मान्यवर, हिमालय से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, तिब्बत का जो क्षेत्र है उसमें वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय 3 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष खिसक रहा है जबकि उसकी ऊँचाई एक से0मी0 बढ़ रही है अभी अगस्त माह में ही एक ग्लेशियर टूट जाने के कारण मंदागनी के मदकोट में तबाही आ गयी थी, वहाँ के लोगों का जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो गया था, सारे पुल बह गये थे, लोगों का सम्पर्क एक दूसरे से टूट गया था। आज दैवी आपदा विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मान्यवर, दैवी आपदा में कार्यों के लिए जो ऐस्टीमेट बनाया जाता है उसमें टी0एस0सी0 द्वारा 30–40 प्रतिशत की कटौती कर दी जाती है। इसलिए योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। मेरे क्षेत्र में जो भी योजनाएं थीं वे सारी ही अधूरी पड़ी हुई हैं क्योंकि ऐस्टीमेट के हिसाब से पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। आज दैवी आपदा विभाग में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसे सारे देश की जनता देख रही है। मान्यवर, यह लोक महत्व का विषय है, अविलम्बनीय है तात्कालिक है। अतः मैं सारे सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में 18 अगस्त, 2005 को ग्राम नापड़, मूर्ति, सुरखेत, खतेड़ा, रौड़ा, मकुण्डा तथा नौलड़ा गाँव में अतिवृष्टि से क्षति हुई है। दैवी आपदा से प्रभावित रौड़ा गाँव में अहेतुक सहायता, अनुग्रह सहायता रु0 5,361/–मूर्ति गाँव में अहेतुक

अनुग्रह सहायता रु0 2,169/—व गृह अनुदान रु0 6000/— नापड़, सुरखेत गाँव में अहेतुक अनुग्रह सहायता रु0 6119/— गृह अनुदान रु0 12000/—खतेड़ा में अहेतुक व अनुग्रह अनुदान रु0 5969/—वितरित किया गया है। ग्राम नापड़ से तारपुलिया तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कार्य हेतु एक लाख की धनराशि तथा ग्राम नापड़ एवं खतेड़ा की विद्युत लाइनों की मरम्मत हेतु रु0 1.25 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। समस्त जिलाधिकारियों को दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत कार्य हेतु 25 लाख रुपये की धनराशि पूर्व में ही स्वीकृत की जा चुकी है। जिसमें 2 लाख रुपये की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी और 5 लाख रुपये तक की धनराशि आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जायेगी। अतिवृष्टि से प्रभावित सम्पत्तियों की त्वरित मरम्मत भी इसमें सम्मिलित की जा सकती है। इस आशय से जिलाधिकारी द्वारा प्रभावित क्षेत्र में राहत सहायता दी जा चुकी है। मानसून सत्र में प्रदेश में भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ आदि दैवीय आपदाओं से जनपदों में हुई क्षति को आपदा राहत कोष के अन्तर्गत अनुमन्य अवस्थापना सुविधाओं, जिसमें विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण होना है, त्वरित गति से कराने के आशय के कुछ सीमा तक विकेन्द्रीकृत करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की तत्वरित मरम्मत कार्यों के लिए प्रति विधान सभा क्षेत्र में 25 लाख रुपये की दर से 13 जनपदों हेतु कुल 17.50 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। उपरोक्त स्वीकृति माननीय विधायकगणों की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 5 लाख रुपये तक तथा आयुक्त द्वारा 10 लाख रुपये तक के कार्यों पर स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् दी जायेगी।

क्षतिग्रस्त खतेड़ा रोड़ा–नापड़ सम्पर्क मार्ग मरम्मत नापड़ में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण एवं खुनखुनिया से मकुण्डा सम्पर्क मार्ग के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं, परीक्षणोपरान्त नियमानुसार वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है। समस्त जनपदों को दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान में व्यय हेतु 15–15 लाख रुपये की धनराशि और आवंटित कर दी गई है। वर्ष 2005–06 में आपदा राहत कोष से जनपद पिथौरागढ़ को अहेतुक सहायता, गृह अनुदान व अनुग्रह अनुदान मद में 27.50 लाख रुपये पेयजल मद में 3 लाख रुपये, विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्यों हेतु 211.65 लाख रुपये, कुल 2 करोड़ 42.17 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

इस धनराशि के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर भी दैवीय आपदा आती है वहाँ पर तुरन्त ही राहत कार्य प्रारम्भ किये जा सकें। उक्त गाँवों में भी तत्काल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। जहाँ पर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था उनके आगणन प्राप्त किये जा रहे हैं, जैसे ही आगणन प्राप्त हो जायेंगे उनके लिए निश्चित रूप से धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने पेयजल के बारे में कुछ नहीं कहा, मान्यवर, पेयजल की समस्या आज बहुत गम्भीर समस्या है। जो पेयजल योजनायें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनके लिए सरकार क्या करेगी तथा जो किसानों की धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, किसानों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है क्या उनके लिए उन्हें मुआवजा मिलेगा ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, पेयजल योजनाओं के आगणन मंगाये गये हैं, आगणन प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, धान की फसल के सम्बन्ध में क्या किसानों को मुआवजा दिया जायेगा?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, इसकी जानकारी जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–56 की सूचना पर सुनने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं एक ऐसी समस्या के बारे में, यहाँ पर आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ जिसने आज पूरे उत्तरांचल को हिलाकर रख दिया है। बेरोजगारी आज उत्तरांचल की प्रमुख समस्या बन गई है और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ युवाओं को रोजगार मिल गया है। सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में चारों ओर अपना स्वागत करा रहे हैं, सभायें कर रहे हैं जैसे कि लोगों को रोजगार मिल गया है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि उत्तरांचल में बेरोजगारी की समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या है और गम्भीर बनी हुई है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मेरी एक आपत्ति है कि जो व्यक्ति इस सदन में न हो उसके नाम का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने नाम नहीं लिया मैंने तो कांग्रेस भी नहीं कहा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सांकेतिक रूप से कहा है।

(व्यवधान)

*श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अजय भट्ट जी जिस भी दिन गुलाब का फूल लगाकर आते हैं उस दिन प्रश्न काल होता ही नहीं है। इस पर आपकी व्यवस्था चाहिए।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय भट्ट जी, इस पर विचार कर लें।

(हँसी)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सब जानते हैं कि उत्तरांचल में महिला डेरी फेडरेशन का जो ऑफिस है, वह अल्मोड़ा में है। इसमें स्थिति यह है कि कोई कर्मचारी या तो कांट्रेक्ट पर है या टैम्परेरी है या दैनिक वेतन पर है। इस प्रदेश की विडम्बना यह है कि यहाँ के व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ के युवकों को भर्ती नहीं की जाएगी। झारखण्ड से मुकेश कुमार को चुपचाप पिछले दरवाजे से बुलाकर बैठा दिया जाएगा। इसकी कोई विज्ञप्ति समाचार–पत्रों में नहीं आयी, इसके लिए कोई साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन इसका चयन अल्मोड़ा के लिए कर दिया गया। मान्यवर, श्री मुकेश कुमार, निवासी जमशेदपुर, झारखण्ड बतौर प्रबन्धक, मुख्य आवास के पद पर अल्मोड़ा में कार्य कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार का यह दावा है कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यदि एक चपरासी के पद पर भी एपॉइन्टमेंट किया जाता है तो रोजगार दफ्तर से कॉल किया जाता है। यहाँ के युवक को पता है कि उनका चयन नहीं होगा, 5 पद होते हैं और 5000 लोग उसके लिए आते हैं। लेकिन इस मृगतृष्णा में कि कहीं मेरा चयन न हो जाए, वह इसमें सम्मिलित होता है। लेकिन यहाँ पर झारखण्ड के लोगों का चुपचुप तरीके से चयन हो जाता है। इससे घोर अपमान यहाँ के लोगों का और क्या होगा ? मान्यवर, इसी तरह से इस सदन में एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था इस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया था कि शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर एक एडवाइजर को आन्ध्र प्रदेश से लाया गया। इसके लिए यहाँ समाचार–पत्रों में विज्ञप्ति भी नहीं हुई, इसका कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ, आखिर इस उत्तरांचल में यह हो क्या रहा है ?

(एक माननीय सदस्य के बैठे–बैठे बोलने पर कि ''यह हो क्या रहा है ?'' व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज बहुत दिनों बाद यह सुनने को मिला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर विज्ञप्ति निकाली गयी होती तो यहाँ के लोगों को इसमें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता। सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करना छोड़ दें। यदि सरकार यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रति वास्तव में गंभीर है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसी सदन में दूध का दूध और पानी का पानी हो। मान्यवर, जहाँ तक मेरी जानकारी में है श्री मुकेश कुमार से इस्तीफे की माँग की जा रही है। यदि इस्तीफा माँग भी लिया गया है तो भी इसकी जाँच होनी चाहिए कि उनका चयन यहाँ पर कैसे हो गया। वह भी तब जबकि यह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के मातहत कार्य कर रहा है। यहाँ पर कैसे उसको चयनित कर उत्तरांचल के बेरोजगारों के मुंह पर तमाचा मारा गया ? मान्यवर, महिला डेरी में पिछले 2 साल से निदेशक नहीं है। मजाक चल रहा है। सबको पता चल गया है कि महिला डेरी परियोजना समाप्त हो रही है और यहाँ के नियमित कर्मचारियों को मर्ज किया जा रहा है। टैम्परेरी कर्मचारियों को तो मर्ज नहीं किया जा रहा लेकिन यहाँ पर अपने–अपने लोगों को मर्ज कराया जा रहा है। मान्यवर, महिला डेरी का देहरादून में जो कार्यालय है, यहाँ पर दो महीने पहले दो दर्जन लोगों का एपॉइन्टमेंट कर दिया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच करायी जाय और यहाँ पर घोषणा की जाय कि निदेशक का पदभार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा रहा है। जिस अधिकारी ने भी उसकी नियुक्ति की है या सत्ता प्रतिष्ठान का कोई व्यक्ति इसमें सम्मिलित है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मान्यवर, वास्तव में यहाँ के बेरोजगारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नवयुवक रोजगार के लिए दर–दर भटक रहे है इसके लिए ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा तात्कालिक विषय उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मैं बहुत विनम्र शब्दों के साथ निवेदन करता हूँ कि आज सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य अजय भट्ट जी को बहुत ध्यानपूर्वक मैंने सुना। मान्यवर, कार्यस्थगन प्रस्ताव में उन्होंने एक व्यक्ति का उल्लेख किया है। किसी एक व्यक्ति के सम्बन्ध में कार्य स्थगन का प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होता है। यह बात मैं नियमों के अन्तर्गत बता रही हूँ। फिर भी मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूँ कि महिला डेरी में पहली बार 1994 में उत्तर प्रदेश में समस्त दुग्ध संघो, महिला डेरी विकास परियोजना, उत्तर प्रदेश एवं अन्य संस्थाओं में कार्य करने वाले इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन–पत्र प्राप्त कर नियुक्ति की गई थी। 1994 में ही मात्र फील्ड वर्कर हेतु 07 पदों के लिए समाचार–पत्रों में विज्ञापन देकर नियुक्ति दी गई थी, तदोपरान्त एक चयन समिति का गठन कर दिया गया था। इस चयन कमेटी द्वारा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रार्थना–पत्र प्राप्त कर नियुक्ति की जाती रही है तथा 1996 के पश्चात् सीधी नियुक्तियाँ विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं तथा दुग्ध संघों से प्राप्त आवेदन–पत्रों के आधार

पर चयन कमेटी द्वारा की गई। उत्तरांचल बनने के पश्चात् भी संविदा के आधार पर नियुक्तियों में यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। महिला डेरी परियोजनाएं भारत सरकार की परियोजना है। इसमें दक्ष व्यवसायिक योग्यता वाले कर्मचारियों की सेवायें लिये जाने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चूँकि परियोजना एक निर्धारित समयावधि के लिए होती है और इसमें कार्यरत कर्मचारी स्थाई नहीं होते है। यह कोई नियमित एवं स्थाई नियुक्ति नहीं है। मात्र व्यवसायिक सेवायें संविदा के आधार पर 6 महीने के लेने हेतु निर्णय लिया गया। श्री मुकेश कुमार जिसका उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा किया गया, इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहती हूँ कि श्री मुकेश कुमार पूर्व में उत्तर प्रदेश के जमाने से आठ वर्षों से स्वजल एवं स्वशक्ति परियोजना, अल्मोड़ा में कार्यरत थे। श्री मुकेश कुमार की सेवायें उनके व्यवसायिक अनुभव को देखते हुए महिला डेरी परियोजना में प्रशिक्षण मॉडल की संरचना करने के लिए मात्र 6 महीने हेतु लिए जाने का निर्णय लिया गया था। श्री मुकेश कुमार को संविदा के आधार पर मात्र 6 महीने हेतु चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर सेवा के लिए जाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वे 31 अगस्त, 2005 को अपना पद छोड़कर चले गये हैं।

श्री अजय भट्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, आप अपना विनिश्चय दे दें उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि उनसे रिजाइन करवाया गया। मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इसकी जाँच कराये। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। श्री मुकेश कुमार न तो मेरे रिश्तेदार हैं और न तो सम्भवतः माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के रिश्तेदार होंगे। मान्यवर, यह मामला यहाँ के बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ है। जो विभाग द्वारा उत्तर भेजा गया है यह बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ पर यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह उत्तर बिल्कुल गलत है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। क्या उत्तरांचल में कोई 6 महीने के लिए रखने योग्य भी कुशल एवं योग्य व्यक्ति नहीं था ? अगर यहाँ कुशल व्यक्ति नहीं है तो फिर उत्तरांचल बनने का कोई मायने नहीं है। कम से कम विज्ञप्ति निकाली जाती। प्रतियोगिता का समय दिया जाता और लोगों को बुलाया जाता तो मुकेश कुमार से भी ज्यादा कुशल व्यक्ति मिल जाते। जब पत्र-पत्रिकाओं में छपना प्रारम्भ हुआ और छात्र संघों ने और युवकों ने आन्दोलन किया तब जाकर प्रेशर में श्री मुकेश कुमार को पद छोड़ना पड़ा। सरकार को निदेशक के पद को किसी पी0सी0एस0 अधिकारी को सौंपना चाहिए था। प्रदेश के बेरोजगार युवकों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की तरफ से एक ऐतिहासिक वर्जन आना चाहिए। जो उदाहरण के रूप में देखा जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, श्री मुकेश कुमार उत्तर प्रदेश के समय से ही आठ वर्षों से स्वजल एवं स्वशक्ति परियोजना, अल्मोड़ा में कार्यरत थे। मान्यवर, नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी है।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, 06 लोग और भी यहाँ रखे गये हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, न जाने श्री मुकेश कुमार छोड़कर क्यों चल गये। मान्यवर, यह व्यक्ति 08 वर्ष से अल्मोड़ा में काम कर रहा था। वह उत्तर प्रदेश के जमाने से ही वहाँ पर कार्यरत था। भारत सरकार की योजना के अनुसार हम स्थाई नहीं रख सकते हैं। मान्यवर, हो सकता है दबाव के कारण वह छोड़कर चले गये हों।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, दूध निकालने का अनुभव उसे नहीं था। वह पेयजल विभाग में था। मान्यवर, मैं चाहता हूँ इसमें जाँच के आदेश हो जायं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री अजय भट्ट जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3:00 (तीन) बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3:00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आसन ग्रहण करें।

## उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, वर्ष 2003 में उत्तरांचल में कृषि भूमि के क्रय और विक्रय को विनियमित करने के लिए, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 के रूप में वर्ष 2003 में एक संशोधन विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो दिनांक 15–1–2004 को सम्पूर्ण उत्तरांचल में प्रभावी हो गया था। वर्तमान में उत्तरांचल से बाहर रहने वाले लोगों द्वारा भूमि का क्रय–विक्रय विशिष्ट प्रयोजनों हेतु उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत

किया जा रहा है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का क्रय किया गया है यदि दो वर्ष की अवधि के अन्दर वह उस भूमि का प्रयोग निर्धारित प्रयोजन से नहीं करता है तो उसके बाद उसके द्वारा क्रय की गई भूमि राज्य सरकार में निहित हो सकती है इसलिए धारा 143-2 में समुचित व्यवस्था की जानी है। मान्यवर, वसीयतनामें के संदर्भ में देखा गया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी सम्पति के कई दावेदार उत्पन्न हो जाते हैं और फर्जी वसीयतनामों को लेकर न्यायालयों में अनावश्यक वाद चलते रहते हैं। अतः ऐसे फर्जी वसीयतनामों की प्रचुर मात्रा में कूट रचना से बचने के लिए वसीयतनामें का लिखित, दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत के साथ-साथ पंजीकरण अनिवार्य किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराधिकार के क्रम को पारम्परिक संयुक्त परिवार से एकल परिवार के पक्ष में परिवर्तित किया जाय अर्थात यदि किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी सम्पति का उत्तराधिकारी होता यदि वह जीवित होता तो उसे जो अधिकार मिलता वह उसकी विधो को मिलता, इसके अन्तर्गत प्राविधान किया गया है। मान्यवर, पृष्ठ-2 में है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को, वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता तो मिलता।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह पूर्व मृत पुत्र का क्या मतलब है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यदि किसी का बड़ा बेटा जीवित होता तो उसको अधिकार मिलता, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा आयेगी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संशोधन का प्रस्ताव करता हूँ कि 'उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।'

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने 2003 में भू कानून पास किया, अर्थात् उस समय विचार नहीं किया कि उसमें क्या खामियाँ रह गई। मान्यवर, हमारा कहना है कि सरकार को कानून बनाना है तो सोच समझकर बनाना चाहिए और बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े। मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूँ कि भू माफियाओं पर अंकुश लगे। मान्यवर, भू-उपयोग नहीं बदला जाय अर्थात् जिस उद्देश्य के लिए जमीन खरीदी गई है उसी के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। मान्यवर, बाहरी व्यक्ति पहले जमीन खरीदता है बाद में बिल्डर बन जाता है और फिर उस पर काम्प्लेक्स बनाकर बेचता है। क्या सरकार इसके लिए कुछ कर रही है ? मान्यवर, इसमें अनेक खामियाँ हैं।

उत्तरांचल में भू-बिल्डर्स को कैसे कन्ट्रोल करें, इस विषय में सरकार ने यह कह दिया कि वसीयत पंजीकृत हो। अगर कोई व्यक्ति मर रहा हो तो वह अपनी वसीयत पंजीकृत करना चाहता है तो वह ऐसी हालत में कोर्ट कैसे जायेगा, यह सम्भव नहीं है। मान लिया जाय किसी ने बहुत पहले वसीयत कर दी हो बाद में आपका कानून आया तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? मान्यवर, आपने उत्तराधिकारी के क्रम को पारम्परिक संयुक्त परिवार से एकल परिवार के पक्ष में परिवर्तित करने की बात कही। अगर किसी की ज्वाइंट फैमिली है तो आप इसे एकल में कैसे लेंगे ? मान्यवर, मूल अधिनियम में लिखा है कि दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होंगे, अब इसमें लिख दिया कि दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत और रजिस्ट्रीकृत हो। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि साक्षीकृत तो ठीक है रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दो व्यक्ति होंगे या एक व्यक्ति होगा ? यह जो विधेयक सरकार लायी है इसमें अनेक खामियाँ है इसमें सबसे पहली खामी यह है कि अगर कोई वसीयतनामा करना चाहता है और वह बीमार है तो वह कोर्ट कैसे जायेगा? दूसरा यह कि संयुक्त परिवार को एकल परिवार कर दिया है यह बिन्दु भी विचारणीय है। मान्यवर, यह विधेयक सही नहीं बना है इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि एक अच्छा कानून बन सके।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी जी ने जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का एक लड़का है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो यह धारा लागू हो जायेगी तो उसकी जमीन का क्या होगा, वह तो राज्य सरकार के पास चली जायेगी। मान्यवर, जब यह प्रवर समिति को सौंपा गया था तो इसमें लगातार 10–12 घंटा चर्चा हुई और संसदीय कार्य मंत्री भी उसमें थी। अगर माना जाय किसी का लड़का विदेश चला गया तो उसे जमीन राज्य सरकार को देनी पड़ेगी जहाँ तक वसीयत का सवाल है यह राज्य सरकार का स्वतंत्र मैटर नहीं है।

मान्यवर, यह भारत सरकार की समवर्ती सूची का विषय है। रजिस्टर्ड वसीयत की बात आई है। मान्यवर, जब प्रवर समिति बनी थी तो इस पर काफी विचार–विमर्श हुआ था। संशोधन भी काफी सोच समझ कर लाना चाहिए। बार–बार इसमें संशोधन लाना ठीक नहीं है। मान्यवर, सरकार तो बहुत बड़े जन आन्दोलन को जन्म देने की कोशिश कर रही है। यह तो केन्द्र सरकार का विषय है कि वसीयत किस प्रकार की हो। इसकी धारा–171 में सामाजिक परिवेश की बात आई है। अभी माननीय कण्डारी जी ने भी कहा कि यह सामाजिक परिवेश के अनुसार होना चाहिए। मान्यवर, संयुक्त परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। जब यह विधेयक आया था तब तक इस पर प्रवर समिति में काफी विचार हुआ था, कई दिन इस पर विचार हुआ था। मैं समझता हूँ कि इन संशोधनों की आवश्यकता नहीं है और यदि फिर भी संशोधन करना है तो इसे एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय कन्डारी जी ने और माननीय मदन कौशिक जी ने अपने विचार रखे। मान्यवर, संशोधन तो मुझे याद है उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विधेयक पर कम से कम 35–40 संशोधन हुए। जब कोई कानून लागू होता है तो उसके प्रयोग में जो कठिनाई आती है उसे दूर करने के लिए संशोधन लाये जाते है। यह हमेशा से होता आ रहा है। इसमें भी संशोधन किया जा रहा है और यह प्रक्रिया है प्रगति की ओर बढ़ने की। कल आपके कोई विचार होंगे तो उनको सम्मिलित करने के लिए भी संशोधन किया जायेगा। एक प्रश्न आया है। हम बाहरी व्यक्ति को जमीन देंगे तो उसका उपयोग 2 वर्ष में करना होगा। माना कृषि के लिए दी गयी भूमि का दो वर्ष में उपयोग नहीं किया गया या उसका प्रयोजन बदल दिया गया तो क्या सरकार उसमें कार्यवाही कर सकती है ? जिस बाहरी व्यक्ति ने जमीन दो वर्ष के लिए ली उसने यह वादा किया कि हम यहाँ यह कार्य करेंगे और उसने वह कार्य न करके उसका प्रयोजन बदल दिया और 2 वर्ष के अन्दर उस प्रयोजन में भी प्रयोग नहीं किया तो जो जमीन उसने क्रय की है वह स्वतः शासन में चली जाएगी। इसके लिए हमें तमाम प्रतिवेदन भी मिले हैं और यह व्यापक हित में है।

दूसरा आपने वसीयत के बारे में कहा। वसीयत के बारे में आप सब जानते हैं। आज यदि आप कोर्ट के प्रकरण ढूँढें तो वसीयत को लेकर संयुक्त और एकल परिवारों में भारी लड़ाई है। पैतृक सम्पत्ति के लिए क्लेम किये जा रहे हैं। इसलिए रजिस्टर्ड वसीयत पर जोर दिया गया है ताकि माता–पिता, दादी–दादी जो भी वसीयत जिसके लिए करे वह उसी को मिले उसे इसके लिए भटकना न पड़े। तो क्या मान्यवर, दो साक्षी नहीं मिल सकते हैं। जब 2 साक्षी मिल सकते हैं तो पंजीकृत कराने के लिए भी 2 व्यक्ति मिल ही जाएंगे। जिसके पास इतनी सम्पत्ति होगी उसे 2 व्यक्ति तो मिल ही जाएंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा, आपने एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में कहा।

इसका यह मतलब नहीं है कि हमने एकल परिवार की परिभाषा को तोड़ दिया है। इसमें मूल अधिनियम की धारा–171 में उपधारा (2) के स्थान पर यह उपधारा रखी जा रही है कि किसी पुरुष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिश्तेदार उपधारा 1 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तराधिकारी हैं अर्थात् विधवा और पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार इसमें यह जोड़ा गया कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, प्रतिशाखा के अनुसार वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा, जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता तो मिलता, माता और पिता पहले इसमें पिता था।

इस प्रकार से इसकी परिभाषा को और साफ किया गया है इसमें हमने विरासत का मतलब नहीं बदला है। अविवाहिता पुत्री, विवाहिता पुत्री, भाई और अविवाहिता बहन जो क्रमशः एक ही मृत पिता के पुत्र और पुत्री हो और पूर्व मृत भाई का पुत्र जब पूर्व मृत भाई उसी पिता का पुत्र हो जिसका मृतक पुत्र था, पुत्र की पुत्री, पितामही और पितामह, पुत्री का पुत्र, विवाहिता बहन, सौतेली बहन जब उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृतक

पुत्र था, बहन का पुत्र, सौतेली बहन का पुत्र जब सौतेली बहन उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृतक पुत्र था। भाई के पुत्र का पुत्र, नानी का पुत्र और पितामह का पुत्र यह सब उत्तराधिकारी हो सकेंगे। पहले जब किसी परिवार का पुरुष मर जाता था तो विधवा को यह हक नहीं मिलता था। हमने विधवा को पहले स्थान पर यह हक दिया है, अब पुत्री को यह हक तो भारत सरकार ने भी दे दिया है। यह संशोधन उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, हमने आवश्यक सोचा तो यहाँ भी संशोधन लाया गया है। इसमें जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यह प्राविधान तो पहले से ही था तो 2003–04 के जो संशोधन थे उनको इसमें जोड़ा गया है, 143–धारा के साथ इसे आच्छादित किया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं दो स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। यह पहले से इसमें था कि जो कोई जमीन को जिस चीज के लिए परचेज किया है अगर उसमें वह परचेज चेंज करता है तो वह भूमि स्वतः राज्य सरकार की हो जायेगी लेकिन इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जमीन ली चाहे किसी भी यूज के लिए हो लेकिन उस व्यक्ति का आगे वंश चलाने वाला कोई न हो तो वह क्या करेगा ? दूसरा यह कि उत्तर प्रदेश ने इसकी धारा–168 को समाप्त कर दिया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी जमीन को बेचना चाहता है वह किसी और को नहीं बेच सकता है, वह सिर्फ पड़ोसी को ही बेच सकता है या तो पूरी जमीन बेची जायेगी या फिर अगल–बगल की जमीन सिर्फ पड़ोसी ही ले सकता है। यह भी इसी विधेयक में है तो पड़ोसी उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे आधे रेट में ही खरीदेगा। इस धारा को उत्तर प्रदेश ने समाप्त कर दिया है और हमारे प्रदेश में भी इस धारा को समाप्त किया जाना आवश्यक है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि सिर्फ पड़ोसी को ही बेचा जा सकेगा, इसमें यह है कि पड़ोसी को प्राथमिकता दी जायेगी यदि वह नहीं खरीदना चाहता या उसके पास पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेगा ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वह जमीन नहीं बेच सकता है, पड़ोसी के अलावा किसी को नहीं बेच सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसा कोई नियम नहीं है, इसमें यह है कि पड़ोसी को प्राथमिकता दी जायेगी। यह है कि यदि वह व्यक्ति जमीन बेचना चाहता है तो पड़ोसी का हक पहला होगा। यह नियम तो आप ही बता रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वह नहीं बेच सकता है यदि किसी के पास 20 बीघा जमीन है और वह......

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम इस बहस में क्यों पड़े, इस पर लॉ डिपार्टमेंट से राय ले लेंगे। अभी जैसा आपने कहा उत्तर प्रदेश ने इसमें संशोधन किया है। मान्यवर, यह सही है कि उत्तर प्रदेश में खण्डित कर भूमि विक्रय करने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। उत्तरांचल में अभी इसे नहीं दिया गया है। मैं यह बताना चाहूँगी कि यह प्रश्न उठने के बाद यहाँ पर भी इस विषय में विचार किया गया और मुझे लगता है कि इस विषय में विचार करने के बाद संशोधन लाना पड़ेगा। इसे हम लाएंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं दो–तीन बातें जानना चाहता हूँ, जिनका उत्तर नहीं आया है। आपने कहा कि उत्तराधिकार के क्रम को पारम्परिक संयुक्त परिवार से एकल परिवार के पक्ष में परिवर्तित किया जाये। इसमें कुछ खामियाँ रह गयी हैं। यदि कोई व्यक्ति मर रहा हो, तो आनन–फानन में वसीयत कैसे कराएगा, रजिस्ट्री कराने कहां जाएगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह लोगों के व्यापक हित में है। कानून की रक्षा के हित में है। इसके बाद अदालतों के चक्कर लगाने से बचा जा सकता है। रजिस्ट्री कराने के लिए नोटरी है, हस्ताक्षर कराए जाते हैं, इसके लिए कानून में बहुत सारे प्राविधान हैं। एकल का तात्पर्य है कि इसमें निकटतम वारिस को प्राथमिकता मिलेगी। यदि वह निकटतम वारिस पुत्री है, तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। इसमें विरासत की परिभाषा को बदला गया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड–2 से 4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

# उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या..........सन् 2005)

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए–

## विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह संपूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) का संशोधन

धारा 143 का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) में, "(इस धारा को छोड़कर)" कोष्ठक एवं शब्दों के स्थान पर "(इस धारा और उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम 2003, जो 15–1–2004 से प्रभावी है, द्वारा किये गये उपबन्धों को छोड़कर)" शब्द, अंक एवं कोष्ठक रखे जायेंगे।

धारा 169 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (3) में "लिखित और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होगी" शब्दों के स्थान पर "लिखित, दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत तथा रजिस्ट्रीकृत होगी" शब्द रखे जायेंगे।

धारा 171 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 171 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात्–

(2) किसी पुरुष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिश्तेदार, उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्–

(क) विधवा और पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार;

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को, चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, प्रतिशाखा के अनुसार वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, तो मिलता;

(ख) माता और पिता;

(ग) अविवाहिता पुत्री;

(घ) विवाहित पुत्री;

(ङ) भाई और अविवाहिता बहिन, जो क्रमशः एक ही मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों; और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी पिता का पुत्र हो जिसका मृतक पुत्र था ;

(च) पुत्र की पुत्री;

(छ) पितामही और पितामह;

(ज) पुत्री का पुत्र;

(झ) विवाहिता बहिन;

(ञ) सौतेली बहिन, जब उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृतक पुत्र था;

(ट) बहिन का पुत्र;

(ठ) सौतेली बहिन का पुत्र, जब सौतेली बहिन उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृतक पुत्र था;

(ड) भाई के पुत्र का पुत्र,

(ढ) नानी का पुत्र;

(ण) पितामह का पौत्र।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया की उलझनों से बचने का प्रयास किया गया है। अभी 5 लाख रुपये तक के मूल्यांकन के मूल वादों में पारित अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील योजित कर सकता है। यह समवर्ती सूची का हिस्सा है।

मान्यवर, पाँच लाख रुपये तक के रिवीजन जिला न्यायालयों में सुनने का अधिकार पारित कर देंगे तो यह महामहिम की अनुज्ञा के लिए भेजा जायेगा। यह विधेयक उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और इससे सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों को बहुत अधिक सुविधा होगी और लोगों को कानूनी प्रक्रिया में अधिक धन नहीं खर्चा करना पड़ेगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए तो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करेगा। मान्यवर, भारत की सम्मानित संसद द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा–115 में संशोधन करने से, जो पहले अधिकार यहाँ के जिला जज को था, वह एक लाख के वादों का रिवीजन कर सकते थे। अपील तो वह पाँच लाख तक की सुन सकते थे। पूरे देश में एक सा कानून हो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत की सम्मानित संसद ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा–115 में यह संशोधन किया। इस संशोधन के बाद से भारत के किसी भी न्यायालय को रिवीजन सुनने का अधिकार नहीं रहा। रिवीजन सारे के सारे माननीय हाई कोर्ट जाते थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ एक संशोधन पास कर पाँच लाख तक के रिवीजन जिला जजों द्वारा ही सुने जाने का अधिकार दे दिया। चूँकि अब उत्तरांचल पृथक राज्य हो गया है और हम उत्तर प्रदेश की नियमावली से कब तक बंधे रहेंगे। मान्यवर, सरकार एक अच्छा संशोधन लाई है लेकिन जब अधिकारिता दे ही रहे हैं तो दूर–दराज से जुड़े हुए जैसे उत्तरकाशी, पौड़ी और सीमान्त जिला पिथौरागढ़ के जिले हैं। वहाँ के लोग पाँच लाख मूल्य के ऊपर के केसों को रिवीजन के लिए माननीय उच्च न्यायालय क्यों जाए। मेरा सरकार से आग्रह है कि जब जिला जजों को पाँच लाख तक के रिवीजन सुनने का अधिकार दे रही है तो उनकी शक्ति में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी करके उसे 10 लाख रुपये तक कर दिया जाए। इससे दूरदराज के लोगों को बहुत अधिक सुविधा होगी। इससे लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि जिला जजों को कम से कम 10 लाख तक की कीमत के वादों में रिवीजन सुनने की अधिकारिता देने का प्रस्ताव यहाँ से पारित किया जाए।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य जनता का भला सोच रहे हैं या मैडम का भला चाह रहे हैं। (हँसी)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह समवर्ती सूची का विषय है। यह हमारे पारित करने से सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 कोई इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–1 तक प्रस्तावना और शीर्षक

## सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या..........वर्ष 2005)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधन करने के लिए

### विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप यह अधिनियमित हो :–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2005 है। — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है, की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात– — अधिनियम संख्या 5, सन् 1908 की धारा 115 का प्रतिस्थापना

"115(1)–किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी मूल वाद या अन्य कार्यवाही में विनिश्चित किसी मामले में, जहाँ आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है और जहाँ अधीनस्थ न्यायालय ने– — पुनरीक्षण

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, अथवा

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, अथवा

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है,

वहाँ पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण उच्चतर न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

(2) जब उच्च न्यायालय में उपधारा (1) के अधीन कोई पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया जाता है तो ऐसे आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर, मामले के शीर्ष के नीचे, इस आशय का एक प्रमाण–पत्र अन्तर्विष्ट होगा कि जिला न्यायालय मामले का पुनरीक्षण नहीं कर सकता है। किन्तु केवल उच्च न्यायालय, मूल्यांकन के कारण या पुनरीक्षण के लिए ईप्सित आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, के कारण, मामले का पुनरीक्षण कर सकता है।

(3) उच्चतर न्यायालय, इस धारा के अधीन, किसी आदेश को परिवर्तित या उलट देगा, सिवाय जहाँ,–

(एक) आदेश, यदि पुनरीक्षण दायर करने वाले पक्षकार के पक्ष में पारित किया गया हो, वाद अथवा कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण करता हो, या

(दो) आदेश, यदि बरकरार रहने की अनुमति दी गयी हो, उस पक्षकार को न्याय की असफलता उत्पन्न होगी अथवा अपूरणीय क्षति कारित होगी, जिसके विरुद्ध उसे पारित किया गया था।

(4) पुनरीक्षण, न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही के स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय जहाँ ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही, उच्चतर न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी जाती है।

स्पष्टीकरण– एक इस धारा में–

(एक) पद "उच्चतर न्यायालय" का तात्पर्य–

(क) जिला न्यायालय से है, जहाँ उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले का मूल्यांकन पाँच लाख रुपये से अनधिक हो;

(ख) उच्च न्यायालय से है, जहाँ पुनरीक्षण के लिए ईप्सित आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया था या किसी मामले में मूल वाद का या अन्य कार्यवाहियों का मूल्यांकन जो कि जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था, पाँच लाख रुपये से अधिक हो।

(दो) पद "आदेश" के अन्तर्गत किसी मूल वाद में किसी विवाद्यक या अन्य कार्यवाही को विनिश्चित करने वाला आदेश है।

स्पष्टीकरण–दो इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् ऐसे मूल वादों या संस्थित अन्य कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पूर्व पारित आदेश पर भी इस धारा के उपबन्ध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण–तीन इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व, उच्च न्यायालय में दायर किये गये पुनरीक्षणों पर इस धारा के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–1 तक प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, भारत सरकार की ओर से इसमें हमें कड़े आदेश हैं, इसमें भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को वित्तीय अनुशासन के सम्बन्ध में कठोर दिशानिर्देश दिये गये हैं। इसका उद्देश्य देश भर के सभी राज्यों पर कड़ा वित्तीय अनुशासन लगाना है। मान्यवर, इसका उद्देश्य पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने की दृष्टि से एक विधि अधिनियमित करना आवश्यक समझा गया। मान्यवर, राजकोषीय घाटा दूर करने और विहित सीमाओं के भीतर 31 मार्च, 2009 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे को अन्तर्विष्ट करने के लिए समुचित उपाय करने

की राज्य में अपेक्षा करना भारत सरकार के निर्देश हैं। मान्यवर, 12वें वित्त आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के ऋणों में कमी लाना होगा, ऋण माफ की अनुमति केन्द्र सरकार से मिलेगी। जो राज्य सरकारें इस अधिनियम के अनुरूप अधिनियम पारित नहीं करेंगी तो उन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी, इसलिए इसकी आवश्यकता हुई।

मान्यवर, राज्य सरकार 01 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी। मान्यवर, 01 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले दसवें वित्तीय वर्षों की अवधि से भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो। मान्यवर, बजट में की गयी व्यवस्थाओं के सापेक्ष आर्थिक वार्षिक समीक्षा भी की जायेगी तथा विधायिका को भी अवगत कराना होगा। मान्यवर, राज्य सरकार के दायित्वों के प्रति वित्त मंत्री को विधायिका के समक्ष वक्तव्य देना होगा और साथ ही यह भी बताना होगा कि राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियमित 12वें वित्त आयोग के आधार पर प्रस्तावित राज्य सरकार के जो वैधानिक दायित्व होंगे, उस ओर भी कठोर वित्तीय अनुशासन की ओर अपना दिशा निर्देश देंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"

श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि केन्द्र सरकार की बाध्यता के कारण यह विधेयक लाना पड़ा। श्रीमन्, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण है और जिसमें इन्होंने वित्तीय सुधार कार्यक्रम के लिए कहा है कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटा शून्य करने की कोशिश की गई है और इसी क्रम में पारित करने की सिफारिश की गई है। यह बारहवें वित्त आयोग द्वारा शर्त लगा दी गई और यह शर्त क्यों लगाई गई इसे मैं बता दूँ, इसमें विधेयक के उद्देश्य और कारणों में जो बातें कही गईं, यदि इन बातों पर अक्षरशः पालन हो तो निश्चित रूप से वित्तीय सुधार हो सकता है लेकिन सच्चाई कुछ और है। यह आँकड़ों की बाजीगरी मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ और इसको जब तक संचालित नहीं किया जायेगा, इसमें राज्य का हित नहीं होगा। चूँकि यह नवोदित राज्य है इसलिए वित्तीय मितव्ययता रखा जाना आवश्यक है।

जहाँ माननीय मंत्री जी ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत से अधिक ऋण न हो ऐसे उपाय किये जाने चाहिए, यह सत्य है कि और यह बाध्यता भी है, लेकिन जब हम इस सरकार की 31 मार्च, 2005 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष की मौजूदा स्थिति का संज्ञान लेते हैं तो पाते हैं कि इस समय जो इस राज्य पर ऋण ग्रस्तता है वह 82794879 हजार रुपये की है, प्रति व्यक्ति 9856.53 पैसे का कर्जा है। यह कर्जा किस प्रकार से

सरकार कम करेगी, क्योंकि जिस राजस्व घाटे को शून्य करने की सिफारिश 2008–09 तक की गई है, जिस गति से सरकार चल रही है इस गति से कोई उम्मीद नहीं लगती कि आने वाले समय में यह राजस्व घाटा शून्य हो जायेगा। इसके पीछे कारण है जो बजट की वर्तमान स्थिति सम्मानित सदन के सम्मुख रखी गई उसका कुल राजस्व प्राप्ति 3800.26 करोड़ रुपये है और वर्ष 2004–05 में रुपये 4628.94 करोड़ था और पुनरीक्षित अनुमान 4983.38 करोड़ रुपये है। उस बजट में हमारा जो राजस्व अनुमान है इसके सापेक्ष जब हम बजट घाटे को देखते हैं तो वह जो राजस्व का व्यय है वह इसके सापेक्ष समानान्तर चल रहा है और जो राजस्व का घाटा है उसे हम भले ही कम कर लें, लेकिन सच्चाई यह है कि वह कम नहीं है। वर्ष 2003–04 में राजस्व का घाटा 781.26 करोड़ रुपये दिखाया, जो वर्ष 2005–06 में बढ़ा और फिर 2005–06 में प्रदर्शित किया कि यह रुपये 433.69 करोड़ आ गया लेकिन सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए, इस बात को यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ जो वित्तीय संचालन होना चाहिए था उसका अभाव इस सरकार के अन्दर है।

मान्यवर, इसका एक कारण है जो नॉन प्लान का व्यय है उस व्यय की ओर देखते हैं तो वह एक गति से बढ़ रहा है जबकि उस पर नियंत्रण हमारा वित्त आयोग करता है। हमारा नॉन प्लान का व्यय कम हो, जबकि हमारा नॉन प्लान का व्यय बढ़ता जा रहा है इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि इस सरकार की जो नीतियाँ है उन नीतियों के माध्यम से इस राज्य में वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा शून्य होने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए वित्तीय प्रबन्धन करना चाहिए और राजस्व घाटे को शून्य करना चाहिए। यह विषय ऐसा है कि सरकार के बारे में जितना कहें वह कम है। यह उत्तरांचल को ऋणग्रस्तता की ओर ले जा रहा है।

दूसरा, प्रवर समिति को भेजने का पहला कारण यह है कि इसमें इन्होंने इसकी धारा 10 में कहा कि यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जैसा वह कठिनाई दूर करने के लिए उचित समझे और जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, अर्थात् इसको राजपत्र के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। इसमें उपबन्ध यह डाला है कि 'परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा' अर्थात् इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, यह लास्ट और फाइनल है ऐसा सरकार कह रही है। मान्यवर, इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए कि कैसे राजस्व घाटा शून्य हो। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जो श्री प्रकाश पंत जी द्वारा संशोधित प्रस्ताव रखा गया है मैं उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, जब हमने विधेयक देखा और यह घाटा कैसे कम हो वह बातें इस

विधेयक में लिखी होती तो हम इसका समर्थन करते। सरकार ने यह महसूस नहीं किया कि हम फिजूलखर्ची को कैसे कम करें, सरकार ने इस पर जोर नहीं दिया कि मितव्ययिता कैसे करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजकोषीय घाटा 2001–2002 में 424 करोड़ रुपये था और यह सरप्लस था और 2004–05 में यह 2658 करोड़ रुपये हो गया। यह राजकोषीय घाटा प्रतिसाल बढ़ रहा है। इस घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? यह अच्छा होता कि सरकार करेतर राजस्व में वृद्धि करती। वेतन भत्ते मजदूरी में 33 प्रतिशत खर्चा होता है इसे कम करने के लिए सरकार ने नया कोई प्रयास नहीं किया, यह भी नहीं कहा कि अंशदान को कम करने के लिए प्रयास करेंगे। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक को आप आनन–फानन में लाये है। मान्यवर, उत्तरांचल की जनता का हित हो इसलिए मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा कि यह बारहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से कहा कि यदि आप इस अधिनियम में संशोधन करेंगे तो आपको पूर्ण ऋण माफी या रिकन्सोलिडेशन पर विचार किया जायेगा और अगर आप इस अधिनियम में संशोधन नहीं करते है तो इसका लाभ आपको नहीं मिल पायेगा। तो मान्यवर, कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जो ऋण माफी नहीं चाहेगा। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से कोई बाध्यता नहीं हैं। 12वें वित्त आयोग ने संस्तुति की हैं। यदि अधिनियम नहीं बनाया जाता है तो ऋण माफी या रिकन्सोलिडेशन नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपने चिंता व्यक्त की कि राजस्व घाटे को शून्य कैसे किया जायेगा। तो राज्य में निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वाह्य सहायतित योजनाओं के माध्यम से राजस्व घाटे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटे को शून्य करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा आय की वृद्धि दर व्यय की वृद्धि दर से अधिक रखकर वर्ष 2008–2009 तक घाटा शून्य किया जा सकेगा। आपने अन्त में कहा कि "डिफीकल्टीज रिमूवल ऑफ डिफीकल्टीज क्लेग्स" में कोई संशोधन ही नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस अधिनियम में संशोधन नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि 2 वर्ष के अन्दर नोटीफिकेशन से किया जा सकता है, उसके बाद अधिनियम में ही संशोधन करना होगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वित्तीय स्थिति सुदृढ हुई है। इसमें मुख्य चिंता सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की चिन्ता है जो बात आपने कही है यह जो सकल घरेलू उत्पाद है 2000–01 में 10.89 प्रतिशत था यह स्थिर मूल्य पर था। जबकि इस सरकार के गठन के बाद 2001–02 में 4.18 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2002–2003 में 3.99 प्रतिशत तथा 2003–2004 में 5.74 प्रतिशत हो गया। तो हम कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ स्थिति सुदृढ हो रही है ? मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि सकल घरेलू उत्पाद को

बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ? दूसरा जो राजस्व घाटे को शून्य करने के उपाय हैं, इन पर भी सरकार ने सोच-विचार किया है या केवल ऋण माफी के लिए आप विधेयक लेकर आये हैं। इसे स्पष्ट कर दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 2008–09 तक राजस्व घाटे को शून्य करने के लिए हमने दृढ़ निश्चय किया है। 2008–09 तक जो हमारा अपना लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटे को राज्य सरकार द्वारा शून्य कर लिया जायेगा तो वर्ष 2010 तक की अवधि में होने वाले केन्द्रीय ऋण का भुगतान माफ हो जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय ऋण खत्म हो जायेंगे तो वह कैसे खत्म होंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यदि यह घाटे वर्ष 2008 तक शून्य हो जाते हैं तो वर्ष 2005 से 2010 तक की अवधि में केन्द्रीय ऋणों के भुगतान को माफ कर दिया जायेगा। इनको शून्य करने के लिए हमें अपनी आय बढ़ानी होगी, निवेश बढ़ाने होंगे, जी0एस0टी0पी0 को बढ़ाना होगा, वित्तीय प्रबन्धन को और सुधारना होगा। यह तो एक निरन्तर प्रक्रिया है हमारे प्रदेश की आय कैसे बढ़े, कैसे यहाँ पर निवेश हो और कैसे घाटे को समाप्त किया जाय यह चिन्तन का विषय है, जिस पर राज्य सरकार निरन्तर चिन्तन और प्रयास कर रही है। हमें अपने आय के संसाधन बढ़ाने हैं, वित्तीय प्रबन्धन को दृढ़ करना है, ऋणग्रस्तता कम हो इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जैसा अभी आपने कहा कि निवेश होंगे, तो इस क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या प्रयास हुये हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह तो एक निरन्तर प्रक्रिया है, जब बजट आयेगा तो इस सम्बन्ध में ही उसमें आयेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह तो माइनस में जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि घाटा कम करने और प्रदेश की आय बढ़ाने के प्रयास करना तो एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें चिन्तन भी सरकार द्वारा लगातार किया जाता है। जो करोड़ों रुपये के विकास कार्य हो रहे हैं उनसे ऐसी स्थिति तो आती ही है। जैसा आप सब जानते है हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं कि अपना घाटा कम करें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि निवेश करेंगे और घाटे को कम करेंगे तो सरकार द्वारा क्या प्रयास हुए हैं और क्या प्रयास करने का विचार सरकार कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमने इसके लिए कहा था कि ऊर्जा प्रदेश बनायेंगे और 2010 तक हम बिजली बेच सकेंगे। पर्यटन प्रदेश बनायेंगे और पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ायेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में आई0टी0 और बायोटेक्नॉलाजी के क्षेत्र में राज्य को देश में प्रथम स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। इन विषयों में हमने प्रगति भी की है। अलग प्रदेश बनने के बाद इस पर प्रयास किया गया और इन 3–4 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो यह उल्लेखनीय प्रगति है। पर्यटन के क्षेत्र में धार्मिक और पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने की हमारी योजना है। जहाँ तक आय के साधन बढ़ाने के और प्रयासों की बात है तो हम हार्टीकल्चर और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी–अभी दुबई के साथ हमारा समझौता हुआ है फल–फूल बेचने का। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गये थे। हम उत्तरांचल के नैचुरल रिसोर्सेज का कितना सदुपयोग कर सकते हैं इस ओर हमें ध्यान देना है। आई0टी0 पार्क बनाये जा रहे हैं 100 करोड़ रुपये उसके लिए स्वीकृत किये गये हैं। सिंगापुर और अन्य जगहों से भी विशेषज्ञ हमने बुलाये हैं उनसे सलाह ली जा रही है। इसका लाभ अवश्य ही आगे प्रदेश को मिलेगा और इन 3–4 सालों में प्रदेश की प्रगति को देखा जाय तो यह एक उल्लेखनीय प्रगति है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रारम्भिक और राजकोषीय घाटे दोनों में वृद्धि हो रही है इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड–2 से खण्ड–10, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

## उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या..........वर्ष 2005)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए–

## विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 है। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त, नियत करे।

2. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में– — परिभाषाएं

(क) "वार्षिक बजट" से संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य विधान सभा के समक्ष रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण अभिप्रेत है;

(ख) "चालू वर्ष" से ऐसे वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष अभिप्रेत है जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा हो;

(ग) "राजकोषीय घाटा" से,

(i) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्तियों से अधिक राज्य की समेकित निधि से कुल संवितरण (ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) अभिप्रेत है; या

(ii) स्वकर और करेत्तर राजस्व प्राप्तियों, राज्य को भारत सरकार से न्यागमन और अन्य अनुदानों और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियों, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उधार सम्बन्धी अपेक्षाओं व ऋण के शुद्ध प्रतिसंदाय को रुपित करती है, से अधिक राज्य सरकार की समेकित निधि से (उधारों को लेकर किन्तु ऋण के प्रतिसंदाय को छोड़कर) कुल व्यय अभिप्रेत है।

(घ) "राजकोषीय सूचकों" से राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद या किसी अन्य किन्हीं अनुपातों की, जैसा विहित किया जाय, अधिकतम आंकिक सीमा और अनुपात जैसे माप अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "पूर्ववर्ती वर्ष" से चालू वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष अभिप्रेत है;

(च) "राजस्व घाटा" से राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य अन्तर अभिप्रेत है;

(छ) "कुल दायित्वों" से राज्य की समेकित निधि और राज्य समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय नीति रखेगी।

विधान सभा के समक्ष रखी जाने वाली मध्यकालिक राजकोषीय नीति

3\. (1) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय नीति रखेगी।

(2) मध्यकालिक राजकोषीय नीति में विहित राजकोषीय सूचकों के लिए अन्तर्निहित धारणाओं के विनिर्देश के साथ त्रिवर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित होंगे।

(3) विशिष्टतः और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यकालिक राजकोषीय नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित से सम्बन्धित संपोषणीयता का निर्धारण भी होगा:--

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के मध्य अधिशेष;

(ii) उत्पादकारी आस्तियों के सृजन के लिए पूँजीगत प्राप्तियों का, जिसके अन्तर्गत उधार भी है, प्रयोग।

(4) मध्यकालिक राजकोषीय नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित होंगे-

(क) राज्य सरकार के मध्यकालिक राजकोषीय उद्देश्य;

(ख) बजट में दिये गये लक्ष्य की तुलना में विहित राजकोषीय सूचकों के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार चालू वर्ष में सम्भावित निष्पादन;

(ग) हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों और राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित करने वाली वृद्धि एवं विकास की भावी सम्भावनाओं पर विवरण;

(घ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्रों में राज्य सरकार की प्राथमिकताएं;

(ङ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कराधान, व्यय, उधारों और अन्य दायित्वों, उधार दिये जाने और निवेश, प्रशासित माल और सेवाओं के मूल्य निर्धारण, प्रत्याभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के क्रियाकलापों जिनकी सम्भावित आय-व्ययक उपलक्षणा हो, से सम्बन्धित राज्य सरकार की नीतियों और इनमें प्रत्येक से सम्बन्धित मूल राजकोषीय अभ्युपाय और लक्ष्य;

(ख) इस सम्बन्ध में यह मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियाँ किस प्रकार धारा–4 में दिये गये राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यकालिक राजकोषीय नीति में दिये गये वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं;

(5) मध्यकालिक राजकोषीय नीति यथाविहित प्रपत्र में होगी।

4. (1) राज्य सरकार, निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों द्वारा मार्ग दर्शित होगी :– वित्तीय प्रबन्ध नीतियाँ

(क) प्रबुद्ध स्तरों पर सरकारी ऋण का अनुरक्षण करना;

(ख) प्रत्याभूतियों और अन्य समाश्रित दायित्वों का, ऐसे दायित्वों की गुणवत्ता और उनके स्तर को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए प्रबन्ध करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सरकार के नीति विषयक विनिश्चयों में भविष्य की पीढ़ी पर उसकी वित्तीय उपलक्षणा पर सम्यक् ध्यान दिया गया है;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि उधार का उपयोग ऐसे विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों पर, जिनके सम्बन्ध में यह मूल्यांकन किया गया हो कि वे स्वयं संपोषित हो जायेंगी और पूँजीगत आस्तियों के सृजन और उनकी वृद्धि पर किया जाय और उनका उपयोग वर्तमान व्यय के वित्त पोषण पर न किया जाय;

(ङ) कर भार के स्तर में स्थायित्व और भविष्य सूचकता का उचित स्तर सुनिश्चित करना;

(च) विशेष प्रोत्साहनों, रियायतों और छूटों को न्यूनीकृत करके कर प्रणाली की समग्रता को बनाए रखना;

(छ) आर्थिक दक्षता और अनुपालन लागतों पर सम्यक् ध्यान देते हुए कर सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करना;

(ज) लागत वसूली और साम्या पर सम्यक् ध्यान देते हुए करेतर राजस्व नीतियों का अनुसरण करना;

(झ) ऐसी व्यय सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण करना जिससे आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और मानव कल्याण में सुधार को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके;

(ञ) पूँजी, सृजन और उत्पादक व्यय में उपयोग के लिए राजस्व अधिशेष का सृजन करना;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि सरकार की भौतिक आस्तियों का अनुरक्षण उचित रूप से किया जाता है;

(ठ) पर्याप्त सूचना का प्रकट करना जिससे कि जनता राजकोषीय नीति के संचालन और लोक वित्तीय स्थिति की संवीक्षा कर सके;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि सरकार संसाधनों का उपयोग ऐसे ढंग से करती है जिससे कि धन का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हो सके और यह भी सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक आस्तियों का सर्वाधिक उपयोग संभव हो;

(ढ) लोक कल्याण और सेवा प्रदान कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और जनोपयोगी सेवाओं के संचालन के सम्बद्ध राजकोषीय जोखिम को न्यूनीकृत करना;

(ण) राजस्व वसूली के स्तर के अनुरूप व्यय का प्रबन्ध करना;

(त) सामान्य आर्थिक दृष्टिकोण और राजस्व सम्भावनाओं पर सम्यक् ध्यान देते हुए यथार्थ और निरपेक्ष रीति से बजट तैयार करना और वर्ष के दौरान विचलन को न्यूनीकृत करना;

(थ) चालू दायित्वों का समय से निस्तारण करना;

(2) राज्य सरकार राजस्व घाटा दूर करने और संपोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष निर्मित करने के समुचित उपाय करेगी।

(3) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार--

(क) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी;

(ख) खण्ड (क) मे निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के खण्ड (क) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटे में कमी करेगी;

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(ङ) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी;

(च) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति

पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हों;

परन्तु यह कि आन्तरिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित माँगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबन्ध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकता है, कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्भूत सीमाओं का आधिक्य वास्तविक राजकोषीय मूल्य जो आपदाओं के लिए आरोपित किया जा सकता हो, से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों की यह संभाव्य हो जाने के पश्चात् कि ऐसी घाटे की, धनराशि उपर्युक्त सीमाओं से बढ़ जायेगी, विधान मण्डल के समक्ष, आधिक्य की सम्भावित सीमा और उसके कारणों को अधिकथित करते हुए, एक रिपोर्ट के साथ रखा जायेगा।

5. (1) राज्य सरकार लोकहित में अपने राजकोषीय प्रवर्तनों में अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगी और जहाँ तक साध्य हो वार्षिक बजट की तैयारी में गोपनीयता को कम करेगी। राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, वार्षिक बजट तैयार किये जाने के समय ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाय एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी:–

(क) विहित वित्तीय सूचकों को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की सम्भावना वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ख) जहाँ तक सम्भव हो, और लोकहित की संरक्षा के अनुरूप, प्रत्याभूतियों द्वारा सृजित आकस्मिक दायित्व; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा उधार के उद्भूत होने वाले वास्तविक दायित्व और असामान्य उद्देश्य साधन और अन्य समकक्ष लिखित, जहाँ प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार के आवंटनों पर हो तथा संभावित आय–व्ययक उपलक्षणा वाली राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं जिनमें समुत्थापित किन्तु अनाप्त राजस्व माँग, कर व्यय; सार्वजनिक माल एवं सेवाएं सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं उपक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराने में उपगत क्षतियाँ, वृहद कार्यों और संविदाओं

से सम्बन्धित दायित्व और आर्थिक सहायता के संदाय और धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट लक्ष्यों सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति पर उक्त का प्रभाव।

अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय

6. (1) वार्षिक बजट और बजट के समय घोषित नीतियाँ आगामी और भावी वर्षों के लिए मध्यकालिक राजकोषीय नीति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होंगी।

(2) वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रुख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान सभा के समक्ष रखेगा। पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय।

(3) पुनर्विलोकन रिपोर्ट में–

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं की पूर्ति करने में किसी विचलन या सम्भावित विचलन को स्पष्ट किया जायेगा;

(ख) स्पष्ट किया जायगा कि क्या ऐसा विचलन पर्याप्त है और वास्तविक या संभावी बजट सम्बन्धी परिणामों से सम्बन्धित है, और कितना विचलन सामान्य आर्थिक पर्यावरण और राज्य सरकार द्वारा नीति परिवर्तनों के कारण है; और

(ग) उन उपचारी उपायों को स्पष्ट किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।

(4) जब कभी राज्य सरकार के किसी नये नीति विनिश्चय, जिससे या तो राज्य सरकार या उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रभावित हों, के कारण किसी दिये गये वर्ष के लिए पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों से राजस्व में कमी या व्यय के आधिक्य की संभाव्यता हो तो राज्य सरकार, ऐसे नीति विनिश्चय करने के पूर्व ऐसी धनराशियों के विनियोग का उपबन्ध करने के लिए किसी अधिनियम के अधीन राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित की जाने वाली प्राधिकृत धनराशियों में कमी करके, या राजस्व संवर्धन के अन्तरिम उपाय करके या दोनों का सम्मिलित उपाय करके चालू और भावी वर्षों के लिए राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने का उपाय करेगी:

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की समेकित निधि से प्रभावित व्यय के लिए इस उपधारा की कोई भी बात लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्षों से अनुषक्त रहने के दौरान राज्य सरकार मध्यकालिक राजकोषीय नीति में, "उच्च प्राथमिकता विकास व्यय" के रूप में परिभाषित कतिपय व्यय

में कमी से संरक्षित रखने को प्राथमिकता देगी और घटा सकेगी या आंशिक कमी अविरोपित कर सकेगी।

(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्सम कमी और/या राजस्व के सम्बर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी।

7. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात्:–

(क) धारा 3 की उपधारा (2) और धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए विहित किये जाने वाले राजकोषीय सूचक,

(ख) धारा 3 में निर्दिष्ट मध्यकालिक राजकोषीय नीति की अवधि,

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जा सकता है।

8. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी। सद्भावपूर्वक किये गये कार्य का संरक्षण

9. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त, न कि उसके अल्पीकरण में होंगे। अन्य विधियों का जो वर्जित न हो, लागू किया जाना

10. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जैसा वह कठिनाई दूर करने के लिए उचित समझे और जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों: कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–10, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, राष्ट्रीय स्तर पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1985 में हुई, जिसका लक्ष्य शिक्षा को छात्रों के द्वार तक पहुँचाकर उच्च शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना, आयु, क्षेत्र, औपचारिक शैक्षिक योग्यता पर विचार किये बिना शिक्षा पाने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था सुलभ कराना तथा वृत्तिक एवं व्यवसायमूलक पाठ्यक्रमों द्वारा आवश्यकता पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ करना है। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो प्रमुख विशेषतायें हैं उसका लाभ प्रदेश के दूरस्थ एवं अपेक्षित क्षेत्रों के छात्रों को व्यापक रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के सामान्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में व्यक्तिगत छात्र के रूप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक निर्देशों हेतु इस समय प्रदेश में पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन) का प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक मुक्त विश्वविद्यालय हो। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु इच्छुक आयु वर्ग के केवल सात प्रतिशत के लिए ही इस समय यह सुविधा उपलब्ध है। समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था को दूर–दराज के क्षेत्र तक सुगमता से पहुँचाने तथा ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्हें नियमित रूप से महाविद्यालयों में प्रवेश पाकर अध्ययन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, उनके हित में एक विधेयक द्वारा उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी जनपद नैनीताल में स्थापित करना प्रस्तावित है। अतः उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जाता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे"।

श्रीमन्, जिस विधेयक के माध्यम से सरकार आज मुक्त विश्वविद्यालय की कल्पना लेकर सामने आयी है। सर्वप्रथम तो इस विषय पर हमको चिन्ता करनी होगी कि आखिर उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या है ? और उस लक्ष्य के अनुरूप हम किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उत्तरांचल की जनता को दे रहे है, इसके विषय में विचार करना होगा। उच्च शिक्षा सर्वप्रथम रोजगार के लिए ली जाती है, उच्च शिक्षा शोध कार्य के लिए ली जाती है और उच्च शिक्षा उपयोगिता के लिए ली जाती है। मान्यवर, आज उत्तरांचल राज्य की स्थिति यह है कि राज्य बनने के बाद से यह चुनी हुई नई सरकार दून विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक लायी, तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक लायी, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक लायी, नम विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक लायी, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक लायी। लेकिन इन सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद भी इन विश्वविद्यालयों का कार्य क्या रहा है ? इन विश्वविद्यालयों को लेकर जो महत्वाकांक्षी सपने जगाए गये थे, क्या उनके अनुरूप कोई कार्य कर पा रहे हैं ? या मात्र केवल अनुदान ग्रहण करने और अनुदान ग्रहण करने के बाद स्थापना किये जाने के उद्देश्य से ये कार्य कर रहे है ? इस पर विचार करना होगा।

जिस मुक्त विश्वविद्यालय की बात सरकार कर रही है। इस इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। मान्यवर, वह विश्वविद्यालय इस समय पूरे भारतवर्ष में बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में उसके केन्द्र हैं। हर जनपद मुख्यालयों में केन्द्र हैं। मान्यवर, इसी सदन में नम विश्वविद्यालय का विधेयक पूर्व में पारित हुआ है। वह स्थापित हुआ या नहीं इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार से दून विश्वविद्यालय का बड़ा स्वप्न यहाँ पर दिखाया गया। बड़ा ही महिमा मण्डित किया गया। लेकिन वही ढाक के तीन पात। वर्तमान में मुख्य सवाल यह है कि किस उद्देश्य को लेकर यह स्थापित किया जा रहा है। क्या इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व कोई परीक्षण किया गया कि इसका लाभ किन–किन लोगों को होगा? ऐसे कितने बुद्धिजीवी उत्तरांचल राज्य में हैं जिससे उन्हें फायदा होगा ? हम इन बुद्धिजीवी वर्ग का कितना लाभ यहाँ के लोगों को दे पायेंगे ? मान्यवर, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि माननीय मंत्री जी मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रही हैं, वे किसी अन्य माननीय सदस्य से बात करने में व्यस्त हैं। सरकार संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित करा लेगी।

मान्यवर, इस विश्वविद्यालय के कितने केन्द्र स्थापित होंगे और इस विश्वविद्यालय में शोध के कौन से कार्य होंगे और किन–किन विषयों पर शोध किया जायेगा, सरकार

को इस विषय पर भी चिंतन करना चाहिए साथ ही यह भी चिंतन करना चाहिए कि हम इस विश्वविद्यालय में कितने स्थानीय लोगों को सेवायोजित करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के कुछ गिने–चुने व्यक्तियों को सेवायोजित किया जायेगा। जैसे कि कुछ दृष्टांत हमारे सम्मुख माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये। उत्तरांचल के बाहर रहने वाले लोगों को ही यहाँ पर ऊँचे–ऊँचे पदों पर सेवायोजित किया जायेगा। मान्यवर, सरकार को चाहिए कि यहाँ के बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों को यहाँ सेवायोजित किया जाए। सरकार की मंशा इसके शिक्षा स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की होनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छा मानव संसाधन राज्य को उपलब्ध करा सकें। मान्यवर, मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने की जो माँग की है उसके बारे में संक्षेप में कुछ बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। उसमें पहला बिन्दु तो यह है कि इसके उद्देश्य और कारण में उल्लिखित है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कम से कम एक मुक्त विश्वविद्यालय हो। मान्यवर, एक मुक्त विश्वविद्यालय तो हमने पिछले सत्र में भी पारित किया है। मान्यवर, जो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक पारित किया गया उसमें संशोधन की आवश्यकता है और संशोधन प्रवर समिति के सुपुर्द करके ही किया जा सकता है। मान्यवर, इसके बाद आपने एक विश्वविद्यालय कहा है कि इसकी धारा तीन में उल्लिखित है कि कुलपति, कार्यपरिषद् एवं विद्यापरिषद् के सदस्यों की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय में पदधारक, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

जैसा कि आपने कहा कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा। हमें इस पर आपत्ति है, क्योंकि विधेयक में आपने स्थान का प्राविधान विशेष रूप से किया है। मान्यवर, इसका लक्ष्य क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वास्तव में इसके माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन का मुख्यालय कहीं भी हो सकता है, इसका मुख्यालय हल्द्वानी में ही क्यों उचित है, इसका भी स्पष्टीकरण आना चाहिए। मान्यवर, इसकी धारा–4 में आपने कहा है कि अधिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा। इसका आशय तो यह होगा कि अल्पसंख्यक लोगों को इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें अधिसंख्यक शब्द का उल्लेख क्यों किया गया है, क्या जो अधिसंख्यक लोग यहाँ पर रहते हैं उन्ही के लिए यह विश्वविद्यालय बना है ? क्या अल्पसंख्यक लोगों को इसमें प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसी मंशा प्रतीत हो रही है। मान्यवर, इसमें अनेक त्रुटियाँ हैं इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा रखे गये संशोधन के रूप पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, सारी बातें माननीय पंत जी ने कह दी हैं। यह विश्वविद्यालय खोलना सरकार की मजबूरी थी क्योंकि सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड फोर एजुकेशन का प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक मुक्त विश्वविद्यालय होना चाहिए। मान्यवर, यदि और विश्वविद्यालयों की तरह इसकी दुर्गति नहीं होगी तो ये विश्वविद्यालय वास्तव में उत्तरांचल में बहुँमुखी प्रगति कर सकता है। क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस विश्वविद्यालय के अनुरूप हैं। मान्यवर, आज चाहे मुक्त विश्वविद्यालय हो, स्काई विश्वविद्यालय हो, या दून विश्वविद्यालय हो। इन विश्वविद्यालयों को हरिद्वार, नैनीताल यानि कि मैदानी क्षेत्रों में ही खोलने की हिम्मत की जा रही है। मान्यवर, परन्तु इसमें किसी भी दूरदराज क्षेत्र का व्यक्ति दाखिला ले सकता है और किसी भी तरह की शिक्षा ले सकता है। मान्यवर, कुछ बातों में संदेह पैदा होता है, यह विद्यालय केन्द्रीय योजना के अनुसार खोला जा रहा है। मान्यवर, इसमें धारा–3 के खण्ड–3 में कहा गया है कि "कुलपति, कार्यपरिषद् एवं विद्यापरिषद् की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय में पदधारक, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे, परन्तु मान्यवर, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि कुलपति का चयन कौन करेगा, तथा इसकी धारा–11 (1) में कहा गया है कि कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिए और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर जैसी कि विहित की जाये नियुक्त किया जायेगा" और फिर लिखा है कि परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। मान्यवर, इसमें यह स्पष्ट आना चाहिए था कि वह व्यक्ति कौन होगा, क्या वह शिक्षाविद होगा, आई0ए0एस0 होगा या कोई राजनीतिज्ञ। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिज्ञ को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था, कहीं हम यहाँ पर ऐसी व्यवस्था तो करने नहीं जा रहे हैं ?

मान्यवर, यदि यह विश्वविद्यालय ठीक तरह से चलता रहा तो यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। मान्यवर, इसकी धारा–7(1) में लिखा है कि सभी वर्गों और पन्थों का विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, खुला होगा। मान्यवर, इसमें मुझे थोड़ी आपत्ति है, क्योंकि हमारी सीमा नेपाल से लगी हुई है और वहाँ पर माओवादियों का प्रशिक्षण कैम्प भी पाया गया, यह बात किसी से छिपी नहीं है, इसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। मान्यवर, इसमें संशोधन होना चाहिए। इसमें कम से कम पागल, दीवालिया, आतंकवादी एवं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मान्यवर, साथ में मेरा निवेदन है कि धारा–14 के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के बारे में उल्लेख है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वित्त अधिकारी की नियुक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में से नहीं होनी चाहिये। इसमें साफ आना चाहिए, वित्त अधिकारी सरकार का

कोई नुमाइंदा होना चाहिए तो वह वित्त के नियमों का कार्य करेगा, अगर वह यहाँ का होगा तो वित्त सम्बन्धी गड़बड़ियाँ होने की ज्यादा उम्मीद है, वह किसी और विभाग का हो तो ठीक होगा। मान्यवर, हम बहुत अच्छी चीज का गठन करने जा रहे हैं तो यह ठीक तरीके से आ जाये तो अच्छा होगा। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि यहाँ इंजीनियरिंग, बी0एड0, डाक्टरी की शिक्षा बहुत महंगी हो गई है इसलिए इस विश्वविद्यालय में कुछ तो रोजगारपरक कार्यक्रम अधिक से अधिक लाना चाहिए, और रोजगारपरक विषय ही यहाँ पर प्रारम्भ होना चाहिए, जिस प्रकार इग्नू का कार्यालय देहरादून में था, सुविधा की दृष्टि से अब हर जिले में होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर जायें और इस विश्वविद्यालय का सबको फायदा मिल सके।

मान्यवर, यहाँ पर कहा है कि यह सभी जाति के लिए खुला होगा यह अच्छी बात है, लेकिन हमारे राज्य का जो उद्‌गम हुआ है इसकी विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं। मान्यवर, बेरोजगारी थी और विकास नहीं हो रहा था इसलिए राज्य बना, इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के लोगों के लिए इस विश्वविद्यालय में कम से कम 85 प्रतिशत स्थान आरक्षित होना चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके और इसका प्रचार–प्रसार जिला स्तर पर होना चाहिए, जब उत्तरांचल के लोगों के लिए पद आरक्षित हैं तो अधिक से अधिक लोग लाभ उठा पायेंगे। अगर ऐसा कर लेते हैं तो यह विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों से भिन्न होगा, अगर ऐसा नहीं कर पाये तो इसकी भी हालत वैसी ही होगी जैसी कि स्काई विश्वविद्यालय स्काई में है। इसी के साथ मैं माननीय प्रकाश पंत जी के संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने अच्छे सुझाव दिये हैं, आप इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली से अवगत हैं इसका एक संस्थान हल्द्वानी में है। देहरादून, हल्द्वानी, जोशीमठ, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, श्रीनगर, पौड़ी, ऋषिकेश, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार तथा रुड़की में अब भी चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ उन लोगों के लिए है जो शिक्षा किन्हीं कारणों से नहीं कर पाये और अब शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस शिक्षा के रूप में वह इसका लाभ प्राप्त करके विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसी भाव से इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय बोर्ड ने इसको चिन्हित किया और यहाँ के उन लोगों में इसके प्रति प्रसन्नता हो जायेगी जो सेवा करते हैं, शैक्षिक योग्यता में जाना चाहते हैं। मान्यवर, जो विश्वविद्यालयों में जाकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं उनको रेगुलर एडमिशन नहीं मिल पाता है, इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य यह है कि यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शिक्षा विशिष्टता का सपना था वह पूरा हुआ।

मान्यवर, यहाँ पर देश के राष्ट्रपति जी और मणिशंकर अय्यर आये उन्होंने भी पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी की सराहना की उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता अन्य प्रदेशों

में भी है। मान्यवर, इसके लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। मेरी जानकारी में है कि वहाँ पर मेरिट के आधार पर प्रवेश करा रहे हैं। मान्यवर, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री जी भी चिन्तित थे कि यह यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। मान्यवर, इसने पूरे देश के अन्दर अपना स्थान बनाया है हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं। जैसे कभी कम्प्यूटर आया था तब यह कहा जाता था कि इस पर कैसे कार्य होगा। यहाँ पर दून विश्वविद्यालय बना है और पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनी है। यह शिक्षा के लिए दुनिया में अन्तर्राष्ट्रीय शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हमारी राजधानी भी है। इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय इसलिए लाये कि जिनकी हैसियत उच्च शिक्षा लेने की नहीं होती है या जो महिलायें या नौकरी करने वाला हाई स्कूल इण्टरमीडिएट हो तो वह अपनी पढ़ाई यहाँ से कर सकता है।

मान्यवर, विश्वविद्यालय में कुलपति का राजनीतिकरण न किया जाय। उ0प्र0 विधान परिषद् में भी हम लोगों द्वारा यह लाया गया। ऐसे कुलपति की नियुक्ति की जाये कि जो अच्छा शिक्षाविद हो शिक्षा की योग्यता रखता हो वह विद्वान होना चाहिए यह सद्गुण उसमें समाहित होने चाहिए। मान्यवर, इसका उद्देश्य उन वंचितों को शिक्षा प्रदान करना है जो विद्यालयों में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसकी तो माननीय सदस्यों, मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए और इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे है ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने जो आपत्तियाँ की थीं उसका समाधान नहीं किया गया है। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि नम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और उसने अपना कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। आपने इसके उद्देश्य एवं कारणों में लिखा है कि प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक मुक्त विश्वविद्यालय होना चाहिए तो एक मुक्त विश्वविद्यालय तो पहले से ही है तो फिर सरकार ने दूसरे का प्रस्ताव क्यों किया। मैंने अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा था उसका भी आपने समाधान नहीं किया। चूँकि इस विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की व्यवस्था के सम्बन्ध में आपने जानकारी दी अभी आपने कहा कि जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय है। आपने कहा कि वहाँ बहुत से विद्वान हैं। मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है, सुनी–सुनायी जानकारी है कि उस विश्वविद्यालय के कुलपति को संस्कृत नहीं आती है। क्या इन सब समस्याओं का समाधान होगा, यह संशय है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अधिक संशय से नुकसान ही होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है "लार्ज सेग्मेन्ट ऑफ पापुलेशन" यह उसी का अनुवाद है इसका तात्पर्य वही है। दूसरा आपने कहा नम विश्वविद्यालय............।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हिन्दी की इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि अधिसंख्य और अधिकांश का अर्थ अलग–अलग होता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह उसी का अनुवाद है। मूल बिल अंग्रेजी में ही तैयार होता है। दूसरा आपने कहा कि नभ विश्वविद्यालय, उसका उद्देश्य जब वह प्रस्तुत किया गया था, वह था टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा देना। उसका लाभ इनको नहीं मिलने वाला था जबकि मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य वंचितों को शिक्षा प्रदान करना है। अब तो सभी प्रश्नों का उत्तर आ गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम हँसी–मजाक नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी, आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खण्ड–2 से खण्ड–47 तक खण्ड–1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक**

**उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005**

(विधेयक संख्या..................वर्ष 2005)

**उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय का नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु**

**<u>विधेयक</u>**

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

# अध्याय–1

## प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषायें–

इस अधिनियम में जब तक किसी संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "विद्यापरिषद्" और कार्य परिषद्" से विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्यापरिषद् और कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "मान्यता बोर्ड" से विश्वविद्यालय का मान्यता बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;

(घ) "दूर शिक्षा पद्धति" से संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमीनार, सम्पर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की प्रणाली अभिप्रेत है;

(ङ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(च) "अन्य पिछड़े वर्गों" से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं;

(छ) "योजना बोर्ड" से विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड अभिप्रेत है;

(ज) "विहित" से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "विद्यालय" से विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत हैं;

(ञ) "परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों" से विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ट) "विद्यार्थी" से विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया है;

(ढ) "अध्ययन केन्द्र" से विद्यार्थियों को सलाह देने या परामर्श देने या उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र अभिप्रेत है;

(ड) "क्षेत्रीय केन्द्र" से प्रदेश में स्थापित अध्ययन क्षेत्रों के कार्यों में समन्वय/निरीक्षण तथा अन्य कार्यों में सम्पादन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित क्षेत्रीय केन्द्र अभिप्रेत है;

(ढ) "शिक्षक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिए नियोजित हो और इसके अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य या निदेशक भी है;

(त) "विश्वविद्यालय" से धारा–3 के अधीन स्थापित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(थ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जिसमें शिक्षक तथा विश्वविद्यालय का अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित है;

(द) "कुलाधिपति तथा कुलपति" से विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति तथा कुलपति अभिप्रेत हैं।

## अध्याय–2

## विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य

3. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन–

(1) "उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा।

(3) कुलपति, कार्यपरिषद् एवं विद्यापरिषद् के सदस्यों की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय में पदधारक, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुद्रा (सील) होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लायेगा एवं उस पर वाद लाया जायेगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य–

विश्वविद्यालय, दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से जिसमें किसी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है, अविसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने में अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ–

विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात–

(i) ज्ञान प्रौद्योगिकी वृत्तियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में जैसी विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय, शिक्षण हेतु व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और प्रायोजित अनुसंधान की व्यवस्था करना;

(ii) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण–पत्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाठ्यक्रमों में योजित एवं विहित करना;

(iii) परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार, परीक्षाओं का आयोजन तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या अनुसंधान किया है, उपाधियाँ, उपाधि पत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें या मान्यतायें प्रदान करना;

(iv) विहित रीति के अनुसार, मानद उपाधियाँ अथवा अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(v) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का प्रायोजन करने की रीति का निर्धारण करना;

(vi) शिक्षण देने के लिए या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए या ऐसे अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतीकरण भी है, और छात्रों द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के लिए, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक से सम्बन्धित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(vii) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना;

(viii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिए ऐसे अन्य पारितोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;

(ix) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जावें;

(x) विहित रीति से अध्ययन केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना या मान्यता देना;

(xi) शैक्षणिक सामग्री जिसके अन्तर्गत फिल्में, कैसट, टेप, विडियोकैसेट और अन्य सॉफ्टवेयर हैं, तैयार करने के लिए व्यवस्था करना;

(xii) शिक्षकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालायें विचारगोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

(xiii) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों को, चाहे पूर्णतः या भागतः, विश्वविद्यालय में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(xiv) शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान, प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास के लिए व्यवस्था करना;

(xv) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(xvi) विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु सन्दान, दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पत्ति सहित किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का उपार्जन, धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना;

(xvii) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, ऋण पर धन प्राप्त करना;

(xviii) संविदायें करना, उनको कार्यान्वित, परिवर्तित अथवा निरस्त करना;

(xix) अध्यादेशों द्वारा अधिकथित फीस और अन्य प्रभारों की माँग एवं प्राप्ति करना;

(xx) छात्रों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिता भी है, अधिकथित करना;

(xxi) संविदा पर या अन्यथा अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना;

(xxii) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाय, मान्यता देना;

(xxiii) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है;

(xxiv) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;

(xxv) परिनियमों में विहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(xxvi) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय को ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों के, जो आवश्यक हैं, प्रयोग से आनुषंगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के सम्प्रवर्तन में सहायक हों।

6. शक्तियों का प्रादेशिक प्रयोग–

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों के प्रयोग में अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगी।

7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पन्थों के लिए खुला होना–

(1) विश्वविद्यालय वर्गों और पन्थों का विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लिए कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मान दण्ड अपनाना, उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

(2) उपधारा 1 की कोई बात विश्वविद्यालय को स्त्रियों या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

## अध्याय–3

8. निरीक्षण तथा जाँच–

(1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें विश्वविद्यालय अथवा

विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी है, और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में उसी रीति से जाँच कराने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जाँच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय में, ऐसी जाँच में यदि आवश्यक समझे तो सम्मिलित होने का अधिकार होगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जाँच करायेंगे जैसी कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट है।

(4) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा यदि कोई निरीक्षण या जाँच की जानी है तो विश्वविद्यालय को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जाँच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा सुने जाने का अधिकार होगा।

(5) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम में अपने विचार और उस पर कार्यवाही किये जाने के सन्दर्भ में, जो वह कहना चाहे और कुलपति को सम्बोधित कर सकेंगे। कुलाधिपति द्वारा सम्बोधित पत्र को कुलपति इस निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम को तुरन्त कार्य परिषद् को संसूचित करेंगे और कुलाधिपति के विचार तथा परामर्श पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में बतायेंगे।

(6) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को निरीक्षण या जाँच के परिणामस्वरूप की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में सूचित करेंगे।

(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय में कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रत्यावेदन व स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जो वह उचित समझते हैं, जारी कर सकते हैं और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उन निदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की ऐसी कार्यवाहियों को निष्प्रभावी कर सकता है, जो कि अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के संगत न हों:

परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व वह विश्वविद्यालय से यह कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि इस प्रकार का आदेश क्यों न किया जाय, और यदि समुचित समय के अन्तर्गत कोई युक्तियुक्त कारण बताया जाता है तो वह उस समय पर विचार करेगा।

(9) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

## अध्याय–4

## विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे–

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति,

(ग) निदेशक,

(घ) कुलसचिव,

(ङ) वित्त अधिकारी,

(च) परीक्षा नियंत्रक, और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

10. कुलाधिपति–

(1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

(2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति माँगे, प्रस्तुत करें।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उनके अधीन प्रदान की जायें।

11. कुलपति—

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिये और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर जैसी कि विहित की जाये, नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक व कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे विषय पर स्वयं द्वारा कृत कार्यवाही को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संसूचित करेगा:

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी तो वह विषय को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकता है जिसका उस विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही से सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किये जाने के नब्बे दिनों के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है।

(4) यदि कुलपति यह समझते हैं, कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के परे है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह सम्बन्धित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु सम्बन्धित प्राधिकारी का विनिश्चय, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा। जो परिनियमों या अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें।

12. निदेशक–

प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति, ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, की जायेगी।

13. कुलसचिव–

(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने का अधिकार होगा।

14. वित्त अधिकारी–

वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

15. अन्य प्राधिकारी–

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलब्धियाँ, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

## अध्याय–5

## विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:–

(क) कार्य परिषद्;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) योजना बोर्ड;

(घ) अध्ययन केन्द्र;

(ङ) वित्त समिति; और

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जायें।

17. कार्यपरिषद्–

(1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

18. विद्यापरिषद्–

(1) विद्यापरिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(2) विद्यापरिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. योजना बोर्ड–

(1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर विश्वविद्यालय के विकास को निर्देशित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अध्ययन केन्द्र–

(1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होंगे जितनी विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें।

(2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियाँ और कार्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. वित्त समिति–

(1) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

22. अन्य प्राधिकारी–

अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

## अध्याय–6

## विश्वविद्यालय निधि

23. विश्वविद्यालय निधि की स्थापना–

विश्वविद्यालय द्वारा निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित की जायेगी।

24. निधि का गठन–

विश्वविद्यालय निधि निम्नांकित तरीकों से प्राप्त धन से निर्मित होगी:–

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी निगमित निकाय द्वारा प्रदत्त ऋण, अंशदान अथवा अनुदान।

(ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो।

(ग) विश्वविद्यालय की सभी स्रोतों से आय जिसमें फीस तथा प्रभार से आय भी सम्मिलित है।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशि।

25. विश्वविद्यालय निधि को कार्यपरिषद् के विवेक पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखा जायेगा अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित किया जायेगा।

26. इस धारा की कोई बात, किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित न्यास की घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार की गयी या उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी।

27. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोग किया जायेगा–

विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयुक्त की जायेगी:–

(क) इस अधिनियम व परिनियमों तथा अध्यादेश तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान करने के लिए।

(ख) विश्वविद्यालयों की उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा छात्रावासों की सम्पत्ति बनाये रखने के लिए।

(ग) विश्वविद्यालय निधि की सम्परीक्षा की लागत का भुगतान करने के लिए।

(घ) किसी वाद या कार्यवाही जिसका विश्वविद्यालय एक पक्षकार है के व्यय के लिए।

(ङ) विश्वविद्यालय उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्तों का भुगतान तथा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के प्रयोजनों को अग्रसर करने व अन्य लाभांशों का भुगतान करने के लिए।

(च) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में प्राधिकारियों के सदस्यों के यात्रा भत्ता व अन्य भत्तों का भुगतान करने के लिए।

(छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों का भुगतान करने के लिए।

(ज) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आगत अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए।

(झ) ऐसे अन्य खर्चों का भुगतान जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती खण्डों में नहीं किया गया परन्तु जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाना कार्य परिषद् आवश्यक समझती हो।

28. व्यय सीमा से अधिक न होना–

कार्यपरिषद् द्वारा निर्धारित किसी वर्ष में आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की सीमा से अधिक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

29. व्यय अनुमोदन पर किया जाना–

कार्यपरिषद् की पूर्वानुमति के बिना बजट में उपबन्धित के सिवाय कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

## अध्याय–7

## परिनियम, अध्यादेश और विनियम

30. परिनियम–

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी विषय के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, जो विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे :–

(क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें तथा शक्तियाँ और कृत्य जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जायेगा।

(ख) निदेशकों, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियों और उनकी सेवा की शर्तें, शक्तियाँ तथा कृत्य, जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा।

(ग) कार्यपरिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियाँ व शक्तियाँ तथा कृत्य, जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।

(घ) अध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी उपलब्धियाँ तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें।

(ड) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त।

(च) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जायेगा।

(छ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया।

(ज) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने हैं या किये जायें।

(झ) प्रतिपादन व्यवस्था में दूरस्थ शिक्षा परिषद् के सिद्धान्तों का अनुपालन किया जायेगा।

31. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे—

(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर बनाये जायेंगे।

(2) कार्यपरिषद् नये और अतिरिक्त परिनियम समय-समय पर बना सकेगी, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय विहित रूप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार न किया गया हो।

(3) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अपनी अनुमति विधारित कर सकेगा या उस पर अग्रेतर विचार करने के लिए कार्य परिषद् को भेज सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गयी हो।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को निर्देश दे सकेगा कि परिनियम के उपबन्ध किया जाय और यदि कार्य परिषद् ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति, कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित किये गये कारणों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उनका यथोचित रूप में संशोधन कर सकेगा।

32. अध्यादेश–

(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा, उपबन्ध किया जाना हो या किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्

(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अर्हताओं, अध्येतावृत्तियों, पारितोषकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्तें।

(ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों के निबन्धन और उनकी नियुक्ति भी है, और

(3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे, और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्तित किये जा सकेंगे।

33. विनियम–

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाय, ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

## अध्याय–8

## वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

34. वार्षिक प्रतिवेदन–

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

35. लेखा और लेखापरीक्षा—

(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन–पत्र, कार्य परिषद् के निर्देशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर, उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन के सम्प्रेक्षणों के साथ कुलाधिपति को, कार्य परिषद् यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी। वार्षिक लेखा की एक प्रति लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो उसे यथाशक्त शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

(3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा किए गये सम्प्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाए जायेंगे।

36. अधिभार—

(1) धारा 9 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसे हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

## अध्याय–9

## कर्मचारियों की सेवा शर्तें

37. कर्मचारियों की सेवा शर्तें—

(1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कर्मचारी जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी हैं लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा तथा ऐसी संविदा, इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों से असंगत नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जाएगी।

38. माध्यस्थम अधिकरण–

(1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी या अध्यापक के बीच धारा–36 में निर्दिष्ट नियोजन की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णायक होगा।

(2) ऐसे प्रत्येक निर्देश माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबन्धनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जायेगा।

39. भविष्य एवं पेंशन निधियाँ–

(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों एवं अध्यापकों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाय, ऐसी भविष्य एवं पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जैसा वह उचित समझे।

(2) जहाँ ऐसी किसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो, वहाँ राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

## अध्याय–10

## प्रकीर्ण

40. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद–

यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप में निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो यह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

41. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना–

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियाँ यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

42. रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना–

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियाँ होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

43. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण–

कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेश के उपबन्धों में से किसी अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

44. विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृन्द–

(1) विश्वविद्यालय उतनी संख्या में कर्मचारियों, जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी हैं, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाये, को नियुक्त करेगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जायें।

## अध्याय–11

## विविध एवं संक्रमणकालीन उपबन्ध

45. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति–

(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों,

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

46. संक्रमणकालीन उपबन्ध–

(1) इस अधिनियम एवं परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी–

(क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुलसचिव तथा प्रथम वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उनकी सेवा शर्तें परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से शासित होंगी:

परन्तु प्रथम कुलपति परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दूसरी अवधि के लिए नियुक्ति का पात्र होगा।

(ख) प्रथम कार्य परिषद् में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(ग) प्रथम योजना बोर्ड के दस से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(2) योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं किया जाता और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना बोर्ड ऐसे सदस्य को सहयोजित कर सकेगा, जो वह विनिश्चित करे।

47. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना–

(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 23 क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं। यदि राज्य विधान सभा यथास्थिति, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत होता है या उन्हें अनुमोदित करने के लिए सहमत नहीं होता है तो ऐसा कोई उपान्तरण या निष्प्रभाव परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

## अनुसूची

### (धारा–4 देखिये)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य–

(1) विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से, प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह–

(क) नियोजन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित तथा देश की अर्थव्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनायेगा,

(ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधा रहित समूह को, जैसे कि वे समूह जो दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें और ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने व अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुँच के लिए उपबन्ध करेगा,

(ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव–परिवर्तन, अनुसंधान, शोध के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिए लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा,

(घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में सुनिश्चय और निर्बाध विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की नई प्रणाली के लिए उपबन्ध करेगा,

(ङ) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक पद्धति का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पाठों और अन्य सॉफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग करके गुणवत्ता के अन्तरण को और शिक्षण कर्मचारीवृन्द के विनिमय को प्रोत्साहित करके शैक्षणिक पद्धति के सुधार में सहयोग देगा,

(च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करके जनता के लिए उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध करेगा,

(छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिए अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध या प्रबन्ध करेगा,

(ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा,

(झ) अपने छात्रों के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबन्ध करेगा, और

(ञ) अपनी नीति एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता व मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।

(2) विश्वविद्यालय दूर और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम ज्ञान का और नई शिक्षण प्रौद्योगिकी का, ऐसी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हो, पूर्ण उपयोग करेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–47 तक खण्ड–1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2005 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प करता हूँ कि यह सदन उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2005 का अननुमोदन करता है।

चूँकि, मण्डी परिषद् के सम्बन्ध में और इस प्रकार से रखे जाने वाले अध्यादेशों के सम्बन्ध में पूर्व में भी हम आग्रह कर चुके हैं कि अपने सदन के माध्यम से ही ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को आना चाहिए। जब हमारा राज्य बन गया है और आज 5 साल इस राज्य को बने हो गये हैं तो इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर विधेयक हमारे राज्य के परिप्रेक्ष में बने हुए होने चाहिए। जिस तरह सरकार पिछले दरवाजे से निकाल कर इस तरह के अध्यादेश अनुकूलन और उपान्तरण आदेश के माध्यम से ला रही है, ऐसे मसलों पर विधेयक हमारे अपने राज्य के होने चाहिए इसलिए हम इसका अननुमोदन प्रस्ताव लाये हैं। मेरा आग्रह है कि सरकार इसे स्वेच्छा से वापस ले ले और अपना विधेयक लेकर सदन में आये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, जनता अपना काम जन प्रतिनिधियों द्वारा कराना चाहती है और जब जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं होता है तो जनता का उत्पीड़न होता है।

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश मण्डी समिति अधिनियम, 1964 की धारा 13 में यह व्यवस्था दी गई है कि मण्डी समितियों का गठन चुनावों से होगा। चूँकि 1971 से उत्तर प्रदेश में आज तक यह चुनाव नहीं हुए। 1972 में अल्पकालिक व्यवस्था के माध्यम से यह प्रावधान किया गया जिसमें जिलाधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। यह व्यवस्था 2 साल के लिए ही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1971 से चुनाव नहीं हो पाये लेकिन आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है हमारी सरकार ने मण्डी समितियों के चुनावों की व्यवस्था कर दी और अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 2005 के अन्त में तथा 2006 तक यह चुनाव संपन्न हो जायेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। लेकिन क्या कारण है कि चुनाव समय पर नहीं हुए हैं ? मान्यवर, प्रजातंत्र में जनता अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से कार्य कराना चाहती है। यदि हम प्रशासनिक के रूप में जिलाधिकारी को नियुक्त करते हैं तो इससे जनता का उत्पीड़न होता है और जनता हतोत्साहित होती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जून, 2006 तक चुनाव करा लिए जायेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि यह चुनाव तत्काल करा दिये जाने चाहिए। मण्डी समिति के चुनाव काफी समय से नहीं हुए हैं, इसलिए इन्हें जल्दी कराया जाना चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, हमारी सरकार चुनाव तो करा रही है। आपने तो चुनाव कराये ही नहीं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने इतिहास बनाया है। आज तक कोई भी सरकार मण्डी समिति के चुनाव नहीं करा सकी है। जून, 2006 तक सम्पूर्ण चुनाव सम्पन्न हो जाएंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, अभी आरोप लगाया गया कि आपके समय में चुनाव नहीं हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो 13–14 महीने ही रहे। आपको तो 4 साल पूरे हो चुके हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मण्डी समिति के चुनाव तत्काल हो जाने चाहिए ताकि जनता का उत्पीड़न न हो।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, हमने नये एक्ट का प्रारूप भी बना दिया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या............सन् 2005)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

## विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1\. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं लागू होना।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

2\. उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में, उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 2 में "30 जून, 2005 तक" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर "30 जून, 2006 तक" अंक तथा शब्द रखे जायेंगे। धारा 2 का संशोधन

3\. (1) उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2005 (अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2005) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन एवं व्यावृत्ति

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का अधिकांश भू–भाग पर्वतीय होने के फलस्वरूप प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। जहाँ राज्य में एक ओर भूस्खलन बादल फटना, त्वरित बाढ़, अतिवृष्टि वनाग्नि जैसी नैसर्गिक आपदा है, अभी तक दैवी आपदा के सम्बन्ध में कोई कानूनी संज्ञा प्रदान नहीं की गई। इसलिए यह प्रस्तावित विधेयक आपदा प्रभावित क्षेत्रों को कानूनी संज्ञा प्रदान करने की दृष्टि से लाया जा रहा है। विभिन्न राज्यों द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम नहीं लिये गये हैं। इसी क्रम में उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 प्रस्तावित किया जा रहा है। राज्य में दैवी आपदाओं की संवेदनशीलता एवं गत वर्षों के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन तथा आपदा के पश्चात् राहत पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्यों के लिए एक केन्द्रीय कार्य आयोजक समन्वयक तथा मूल्यांकन संस्था की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त आपात योजना का निर्माण, प्रतिक्रिया तथा उससे सम्बद्ध या अनुषांगिक मामलों पर जागरूकता, प्रशिक्षण एवं जन–चेतना के प्रचार प्रसार हेतु एक ऐसी विधा एवं संस्था की आवश्यकता है जो कि इन कार्यों को सम्पादित कर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धक को एक व्यवहारिक रूप दे सके। यह भी अनुभव किया गया कि आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास को एक व्यवस्थित स्वरूप देने हेतु ऐसे अधिनियम की आवश्यकता है जो कि प्रभावी रूप से सम्पूर्ण राज्य में समस्त स्तरों पर समान रूप से लागू किया जा सके। अधिनियम के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना का प्राविधान किया गया है, जिसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त होगा जो प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करेगा। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र प्राधिकरण के लिए एक चिन्तन समूह के रूप में कार्य करेगा तथा आपदा के प्रत्येक चरण अर्थात् आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात् तीनों चरणों के लिए योजना तैयार करेगा। जिन्हें अन्ततः प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। जिसमें मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी की शक्तियाँ एवं कार्यों का भी प्राविधान किया गया है। इस विधेयक में कुल 14 अध्याय हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत कर देगी। मान्यवर, मेरा प्रवर समिति को सुपुर्द करने का निश्चित उद्देश्य है। यह मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत देर से उठाया गया सरकार का थोड़ा सा सही कदम है। चूँकि सरकार ने एक बात यह तो मानी कि उत्तरांचल राज्य प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। लेकिन

फिर भी मैं इस बात को नहीं मानता कि सरकार राज्य के भौगोलिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए बहुत अधिक संवेदनशील है। क्योंकि परिसीमन के रूप में जो बड़ी आपदा अधिकांश पर्वतीय भूभाग पर आने वाली है उसके बारे में सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। बहरहाल मैं सरकार को इस विधेयक के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, यूरोप के दौरे में गये थे तो वहाँ हमें जो लोग गुजरात से आये थे उनसे जानकारी मिली कि उनके यहाँ पर दो साल पहले ही आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन सम्बन्धी विधेयक पारित हो गया था, उसकी प्रति उनके पास थी। मान्यवर, हमसे तीन साल पहले वहाँ पर यह विधेयक पारित हो गया और वहाँ पर कार्य हो रहा है। मान्यवर, ब्राजील में हमारे सामने जो डिमोशट्रेशन उन्होंने किया, उसमें ब्राजील के लेक्चरर भी प्रभावित हुए। हमारी सरकार इसके प्रति अब संवेदनशील हो रही है फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ कमी रह गयी है। मान्यवर, इसमें जितनी भी बातें कही गयी हैं वे सब सामान्यतया सामूहिक दैवीय आपदा से कैसे निपटें, इसके प्रावधानों पर आधारित है। मान्यवर, जो सबसे बड़ी और व्यवहारिक कठिनाई है, और हरेक सदस्य के साथ है। हमारे यहाँ पर इस अधिनियम के पारित होने के बाद भी किसी व्यक्तिगत आदमी का व्यक्तिगत मकान ढह जाय, उसका खेत बह जाय, खेती चौपट हो जाय, इसके लिए अभी तक हमारे यहाँ यह व्यवस्था है कि उस व्यक्ति विशेष को जो लाभ दिया जाता है वह 10–15 रु0 प्रति नाली के हिसाब से खड़ी फसल का मुआवजा दिया जाता है। फायदा अब यह 50 रु0 हो गया है।

कृषि मंत्री (महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई")–

मान्यवर, ये भारत सरकार के मानक हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जब हमारी सरकार यह विधेयक बना रही थी, उस समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था, ताकि उस काश्तकार का कम से कम छः माह का भरण–पोषण हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है। मान्यवर, जिन लोगों के मकान भू–स्खलन, बाढ़ आदि दैवीय कारणों से आंशिक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनको अधिकतम 800 या 1000 रु0 मिलता है और पूर्णक्षति होने पर 10 हजार रु0 मिलता है। मान्यवर, आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि यदि किसी का पक्का मकान टूट जायेगा तो 10 हजार रु0 में क्या वह ठीक हो सकता है। इस पैसे से वह अपने मकान का निर्माण कैसे करेगा ?

मान्यवर, मुझे उम्मीद थी कि इसका समावेश भी किया गया होगा उसके मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए, लेकिन इस पूरे विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है, तो माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो इसको भी जरूर देखें। मान्यवर, आपकी दूसरी पॉलिसी में संशोधन करते हुए काश्तकार या किसी व्यक्ति को उसके मकान, खेत, फसल का जो नुकसान होता है उसको तर्क संगत मुआवजा सरकार दे सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिए जब हम समझेंगे कि दैवीय आपदा की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास सार्थक होगा।

मान्यवर, अन्य बिन्दु में मैं कहना चाहता हूँ कि प्राधिकरण में प्राधिकारी कौन होंगे, उसके बारे में धारा–6 में आपने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पदेन अध्यक्ष, आपदा प्रबन्धन मंत्री पदेन उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव पदेन सदस्य इस तरह से पूरी व्यवस्था कर रखी है, इसमें सारे सदस्य, भारत सरकार के सदस्य, निजी संस्थान के सदस्य है यह ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्राधिकरण की बैठक की कार्यवाही को करने के लिए जैसे कि प्राधिकरण में एक सचिव होता है जो सारा कार्य करता है लेकिन सचिवालय के और कार्य देखने की जिम्मेदारी किसकी होगी इसका उल्लेख नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसका उल्लेख आगे है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, ठीक है मेरा समाधान हो गया है। मान्यवर, धारा 6 (1)(ञ) में आपने कहा है कि आपदा प्रबन्धन व नियंत्रण से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य। मान्यवर, इसका वृहत स्कोप रखा गया है, इसमें योग्य अयोग्य का भी उल्लेख होना चाहिए, यह होता तो मैं समझता हूँ कि सरकार की मनमानी कुछ कम हो जाती और दूसरा मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इसमें जो व्यक्ति नामित किये जायेंगे वह सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही होंगे या मान्यवर, इसमें सरकारी अधिकारी–कर्मचारी नहीं होंगे, इसको स्पष्ट कर दें। हमारे जो जनरल साहब बैठे हैं उन्होंने एक टीम बनायी है जो बड़ी ट्रेन्ड है चाहे वे संविदा पर ही सही, यह ठीक है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इसका स्पष्टीकरण आ जाय इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा। दूसरा (ढ) है कि 'कमाण्डर, उत्तरांचल, सब एरिया, इसका आर्मी से मतलब है यह सिविल से वह भी स्पष्ट होना चाहिए। मान्यवर, जंगली जानवरों से जो मौते होती हैं वह इसमें आ जाता तो अच्छा होता। लोहाघाट चम्पावत में पिछले एक साल में 46 बच्चों को बाघ ने मार दिया जो हमारे हाथ में नहीं है, हम चाहते है कि यह आपदा में सम्मिलित होना चाहिए। इसी के साथ मैं संशोधनों पर बल देता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय काशी सिंह ऐरी जी द्वारा दिये गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इस एक्ट का ठीक से क्रियान्वयन हो। माननीय ऐरी जी ने अभी अवगत कराया ही है, मैं अधिक न कहते हुए यह सुझाव देता हूँ कि धारा–6(1) में एक परन्तुक (ण) जोड़ दिया जाय जिससे सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नेताओं और विधायकों को भी रख दिया जाय, इस हेतु यह है कि आपदा के समय सभी दलों की राय एक समान हो सके तथा कोई विवाद न होने पाये। आज जो विधान मण्डल में नेता हैं वे कल बदल सकते हैं इसीलिए राजनैतिक दलों के नेताओं को रखने का सुझाव दे रहा हूँ। उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति एवं शान्ति कुंज को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने भी पूर्व में इन संस्थाओं को मान्यता दी है, अन्य प्रतिष्ठित संस्थायें भी जोड़नी चाहिए

क्योंकि जमीन में इन्हीं संस्थाओं के लोग कार्य करते हैं। अधिकारी एवं अन्य लोग प्रभावित इलाकों में कार्य नहीं कर सकते सिर्फ व्यवस्थायें कर सकते हैं कार्य तो स्थानीय लोग या फिर ये संस्थायें ही कर सकती हैं। मान्यवर, बाहर वाला रैस्क्यू नहीं कर सकता है। वह खाका तैयार कर सकता है लेकिन जो ये संस्थाएं हैं जैसे उत्तरांचल दैवी आपदा पीड़ित सहायता समिति एवं शान्ति कुंज, इन्होंने भूकम्प के समय अद्वितीय कार्य किया है। भारत सरकार ने भी इसको मान्यता दी है। शान्ति कुंज देश का प्रतिष्ठित संस्थान है। जब फाटा में बहुत बड़ी आपदा आयी थी तो उन्होंने अपने सारे स्वयंसेवक वहाँ लगा दिये थे। जहाँ और लोग नहीं पहुँच पाये वहाँ यह स्वयंसेवक पहुँच गये थे।

*वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, ये आर0एस0एस0 के लोग हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ये आर0एस0एस0 के लोग नहीं हैं। (व्यवधान) आर0एस0एस0 की तो पं0 लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी प्रशंसा की थी। धारा–16 में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना की बात आयी है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को अस्थायी तौर पर रखा गया है। मेरा अनुरोध है कि उनको परमानेंट कर दिया जाय। तीसरा अभी माननीय ऐरी जी ने कहा कि जो अनुसूची आपने बनायी है उसके बिन्दु संख्या–3 में रासायनिक, औद्योगिक आपदाओं का उल्लेख किया गया है। इसके खण्ड–ख में दावाग्नि अर्थात् जंगल की आग का उल्लेख है। हमारे उत्तरांचल में ऐसा होता है कि लकड़ी के मकान बने होते हैं अगर एक मकान में आग लग जाये तो वह कई मकानों को अपनी चपेट में ले लेती है। हमारे यहाँ घास के जगाव को 'खूटा' कहते हैं जिस पर अक्सर आग लग जाती है, इसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। स्टोव फटना, सिलेंडर फटना भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। जंगली जानवरों के बारे में आपने कहा। जहाँ–जहाँ भी हम लोग भ्रमण में जाते हैं तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि जंगली जानवरों, सुअरों, नीलगायों ने फसलों को चौपट कर दिया है। शाही भी फसलों को चौपट कर देता है। मान्यवर, कण्डार कुआँ पट्टी के लोगों का कहना है कि हम सुअरों की वजह से गाँव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। मान्यवर, ये सुझाव मैंने अपने माध्यम से दिये हैं और निवेदन है कि इनको इसमें शामिल किया जाये। जिलाधिकारियों को तत्काल कोई कोष देने का प्रबन्ध होना चाहिए। आज बात आयी थी कि 10–15 हजार दे दिये जायें। इतने से कुछ होने वाला नहीं। तत्काल इन्हें 50 लाख रुपये देने चाहिए जिससे तत्काल रेस्क्यू वहाँ पर प्रारम्भ हो सके।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय ऐरी जी के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ और संक्षेप में कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें धारा–3 (ग) में कहा गया है कि 'राज्य सरकार के अधीन विभागाध्यक्ष', क्या सरकार के अधीन जितने भी विभाग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं उन सभी के विभागाध्यक्ष इसके सदस्य हैं ? दूसरा इसकी धारा 4 (ड) में कहा गया है कि "यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबन्धन हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध रहे"। यह राज्य सरकार के कृत्य हैं। यहीं पर धारा–25 में कहा गया है कि "प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए खुले बाजार से या अन्यथा धन उधार ले सकता है।" इस प्रकार से इस विधेयक के माध्यम से खुली छूट दे दी गई कि चाहे कहीं से भी कितना ही उधार आप ले सकते हैं। इससे ऋण से जूझ रहे राज्य की आर्थिक स्थिति और खराब ही होगी। इस प्रकार से इसकी धारा–4 और धारा–25 में विरोधाभास है, इसे माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें। माननीय ऐरी जी द्वारा इस विधेयक पर अननुमोदन प्रस्ताव शायद इसलिए लाया गया कि ऐसी खामियों पर विचार किया जा सके और यह विचार प्रवर समिति के माध्यम से ही किया जा सकता है। चूंकि यह विधेयक देर से लाया गया है लेकिन अच्छा भी है इसलिए इस पर प्रवर समिति के माध्यम से पूरा विचार करना आवश्यक है। आगे इसमें कई संशोधनों की आवश्यकता है इसकी धारा–6 की उपधारा (2) में कहा है कि "प्राधिकरण के सदस्य पदेन सदस्यों से भिन्न राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और विनियमों में जैसा विहित किया जाय, पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे" तो इसमें यह स्पष्ट किया जाय कि यह वेतन भत्ते होंगे या मानदेय होगा। मुझे तो यह संशय हो रहा है कि तीन लोगों को और लाल बत्ती देने के लिए यह विधेयक न लाया जा रहा हो। (हँसी)

मान्यवर, इसी प्रकार इसकी धारा–9 की उपधारा (2) में कहा गया है कि "प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्ष निष्पादन हेतु आवश्यक समझे"। लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कितने अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर रखे जायेंगे। इसके माध्यम से उन्हें खुली छूट दे दी गई है कि कितने भी कर्मचारी और अधिकारी को वह नियुक्त कर सकते हैं। इसमें सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि इसकी धारा–12 में जो कहा गया है, इस एक्ट के माध्यम से जनता का उत्पीड़न करने का अधिकार भी प्राधिकरण को दे दिया गया है इसमें कहा गया है कि "प्राधिकरण राज्य में किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी भवन या ढांचे के निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण करेगा तथा जहाँ प्राधिकरण की राय यह है कि ऐसे भवन या ढांचे के पुनः निर्माण की गुणवत्ता ऐसी है कि यदि आपदा घटित हो तो परिणाम स्वरूप जीवन हानि या सम्पत्ति का नुकसान हो सकता है तो ऐसे परिणाम टालने के लिए संगत स्थानीय प्राधिकरण विधि के अधीन ऐसी कार्यवाही करने के लिए जो आवश्यक हो, स्थानीय प्राधिकरण को संस्तुत कर सकता है।" इस प्रकार से प्राधिकरण को उत्पीड़न करने का अधिकार प्राप्त हो गया। वह किसी भी भवन में जाकर कहेंगे कि तुमने भूकम्परोधी कार्य नहीं कराये हैं इसलिए आपका चालान हो रहा है। इस धारा के सम्बन्ध में भी सरकार को अपना रूख स्पष्ट करना होगा।

श्रीमन्, इसकी धारा–22 में कहा गया है कि "जिलाधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी की सहायता से जनपद हेतु एक आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करेगा" यह आपदा प्रबन्धन

योजना कैसे बनेगी, उसे कैसे मालूम हो जायेगा कि यहाँ पर आपदा आने वाली है और इसी प्रकार इसकी धारा-3 में कहा गया कि " इस तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं करेगा" और कहा गया है कि यह दण्डनीय है तो वह जो आपदा प्रबन्धन की योजना को कैसे बनायेगा ? भूकम्प के बारे में तो पहले से कोई भी जानकारी नहीं दे सकता है इसलिए इन्हें दैवीय आपदा कहा जाता है क्योंकि कहाँ पर ओलावृष्टि होगी यह कोई नहीं बता सकता है तो जिलाधिकारी प्रबन्धन कैसे करेंगे ? मान्यवर, इसमें एक और बिन्दु आपत्तिजनक है, धारा-22 की उपधारा-3 में उल्लिखित है कि "जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके जनपद की आपदा प्रबन्धन योजना इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने की तारीख से 90 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाय।" मान्यवर, आज यदि यह विधेयक पास हो जाता है, इसका गजट नोटीफिकेशन हो जाता है तो 90 दिन के अन्दर इस योजना को पूर्ण करना होगा। कौन सी दैवीय आपदा हमारे जिले में कब आ जाएगी, इसकी जानकारी कोई पहले से नहीं दे सकता है। इसमें विरोधाभास है। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या इसको पूरे वर्ष के लिए बनाया जाएगा ? इस प्रकार मैंने इस विधेयक में आपत्तिजनक विषयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है मान्यवर, हमारा प्रदेश दैवीय आपदा प्रभावित क्षेत्र है। आपदा न्यूनीकरण के लिए आवश्यक है कि इसको और संशोधित किया जाय इसलिए मैं माननीय काशी सिंह ऐरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे, पर बल देता हूँ।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। मान्यवर, इसमें आपदा प्रबन्धन आयुक्त और जिलाधिकारी को शक्तियाँ दी गयी हैं। इसकी धारा-14 की उपधारा 2 में उल्लिखित है कि "जनता को संकटापन्न कर सकने वाले असुरक्षित ढांचों को ध्वस्त कर सकता है।" मान्यवर, आज देहरादून और हल्द्वानी में बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें हैं, जो 50-60 वर्ष पुरानी हैं और इनमें 60-70 किरायेदार रह रहे हैं। जिनकी बिल्डिंग है, वे तो यहाँ पर रहते नहीं हैं। किरायेदार मकान खाली नहीं कर रहे हैं, इसलिए मालिक सरकार के पास जाकर कह सकता है कि यह असुरक्षित है, इसको ध्वस्त कर दिया जाय। इसको आपने सारे अधिकार प्रदान कर दिये हैं। जब भी इस प्रकार की आपदाएं आती हैं तो सरकार प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराती है। इसमें उल्लिखित है कि "किसी सम्पत्ति, वाहन, उपकरण, भवन तथा संचार के साधन का ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों पर जैसी कि विहित की जाये, कब्जा और उनका उपयोग कर सकता है।" इस प्रकार इनको अधिकार सम्पन्न बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसकी अनुसूची में आतंकवादी गतिविधियों के साथ बम विस्फोट को भी जोड़ दिया जाय। क्योंकि 1992 में बम विस्फोट से पूरी बस को उड़ा दिया गया था। इसके साथ ही इसमें अत्यधिक बाढ़ को भी जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि उससे होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय काशी सिंह ऐरी जी, माननीय प्रकाश पंत जी, माननीय अजय भट्ट जी तथा माननीय मदन कौशिक जी ने बहुत ही अमूल्य सुझाव दिये हैं। आपदा प्रबन्धन पर आपकी चिन्ता स्वाभाविक भी है। आज जब यह विधेयक आ रहा है तो यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण सुझावों को इसमें जोड़ा जाय। माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने कहा कि जंगली जानवरों द्वारा घायल किये जाने को भी इसमें सम्मिलित किया जाय। हमारे यहाँ जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उनको देखते हुए जो सुझाव दिया गया है, उसको सम्मिलित करने पर विचार किया जा सकता है। दूसरा, जो आपने नामित व्यक्तियों की बात कही। आज लाल बत्तियों की चिन्ता सभी को है। इस सम्बन्ध में भी हम विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, राजनीतिक दलों के स्थान पर एम०एल०एज० को नामित किया जाय। इस सुझाव को समावेश करने पर विचार किया जायेगा। धारा–6 में पदेन सदस्य इसके मुख्य सचिव होंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपदा प्रबन्धन न्यूनीकरण में जो विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए। उनको अलग से वेतन भी दिया जाय।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप लोगों से अधिक ज्ञाता कौन होगा। इसलिए एम०एल०एज० को रखने के आपके सुझाव पर विचार किया जायेगा। आपदा प्रबन्धन व नियंत्रण से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त जंगली जानवरों की बात कही। इसको सम्मिलित करने के बारे में विचार करेंगे। विभागाध्यक्ष का तात्पर्य महानिदेशक पुलिस, महानिदेशक स्वास्थ्य और वन विभाग और अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों को आपदा प्रबन्धन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। आपदा प्रबन्धन में तो सभी विभागों के विभागाध्यक्ष जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और वन विभाग तथा और भी विभागों के विभागाध्यक्षों की सेवायें आपदा प्रबन्धन में ली जा सकती हैं। जहाँ तक ऋण की बात है कि ऋण कहाँ से लिया जाएगा तो ऋण लेने में भारत सरकार की सहायता ली जायेगी। आपदा प्रबन्धन के ऋण के लिए तो जो नियम कानून है और भारत सरकार की जो गाइड है लाइन उसके अनुसार ही लिया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

एक तरफ से सरकार कह रही है कि वह धन की व्यवस्था करेगी, दूसरी तरफ आप कह रही हैं ऋण की व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बहुत से कानून केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के आधार पर बनाये जाते हैं। आपदा प्रबन्धन केन्द्र सरकार की गाइड लाइन पर आधारित है। हम आपदा प्रबन्धन पर केन्द्र सरकार की सहायता ले सकते हैं। चूँकि विधेयक हम ला रहे हैं इसलिए यह कहेंगे कि धन की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।

मान्यवर, राज्य सूची में जाये, समवर्ती सूची में जाये या केन्द्र सूची में जाये। मान्यवर, शिक्षा समवर्ती सूची में होने के नाते केन्द्र सरकार से हमें बात करनी होती है। यह समवर्ती सूची का हिस्सा है, इसलिए यह राष्ट्रपति को जायेगा। मान्यवर, इसकी धारा–12 में स्थानीय मकानों के बारे में कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में कमजोर और खतरनाक दुर्घटना के कारण जो मकान बनते हैं, तो ऐसे परिणाम टालने के लिए संगत स्थानीय प्राधिकरण विधि के अधीन ऐसी कार्यवाही करने के लिए जो आवश्यक हो, स्थानीय प्राधिकारी करेंगे। यदि ये मकान गिरने वाले हों तो उसमें रहने वालों को जानमाल की हानि होने नहीं देंगे। मान्यवर, जो प्राकृतिक आपदा आती है, जिनसे जानमाल का खतरा अधिक बना रहता है। मान्यवर, आपदा प्रबन्धन अधिनियम को अधिनियमित किया जा रहा है ताकि इसके लिए कानून बन जाय। जैसा कि माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने कहा कि जो मकान आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए सहायता बहुत कम मिलती है। इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि इसके लिए कई राज्य सरकारों ने भारत सरकार को अपनी संस्तुति दी है कि इस राशि को बढ़ा दिया जाय।

माननीय मदन कौशिक जी ने जो बात बतायी है उसके सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि 25 लाख रु0 की धनराशि अभी भी जिलाधिकारियों के खाते में पड़ी है, इसका प्रयोग जिलाधिकारी अपने स्वविवेक और सरकार से भी इसके लिए आदेश ले सकता है। मान्यवर, जहाँ तक आगे आने वाली कठिनाईयों की बात है तो इसका क्षेत्र बढ़ाया जायेगा, जिसमें राहत का कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, वह भी आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत आयेगा। हमारा राज्य पर्वतीय है, भू–स्खलन से भी प्रभावित है, जियोलोजिस्ट सर्वे के अनुसार हमारा राज्य काफी खतरनाक है। इसलिए भूकम्प रोधी घर बनाये जायं, इस पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे कई सवाल हमारे सामने हैं। मान्यवर, जनमानस के साथ–साथ जो प्राकृतिक नदियां हैं, जल बहाव है इनको नुकसान न हो। मान्यवर, इस अधिनियम को अधिनियमित करके आपदा का न्यूनीकरण किया जायेगा। मान्यवर, जम्मू–कश्मीर में भूकम्प आया, पाकिस्तान में भूकम्प आया, समुद्री तूफान हो, अमेरिका में कैटरीना आया, तो यह आपदायें आती हैं। भविष्य में ऐसी परिस्थितियां आयेंगी इसलिए इसमें कुछ और चीजों को जोड़ा जाये। चूँकि हम आपदा ग्रसित क्षेत्र में रह रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाना चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायकों को प्राधिकरण में एवं जंगली

जानवरों को आपदा की सूची में रखने को हमारे प्रस्ताव को मान लिया है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई अध्यादेश लाने पर अगले सत्र में संशोधन लायेंगे या आज सदन में दिये गये सुझाव को मानकर सम्मिलित कर लेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जोड़ दिया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने पहले कहा था कि परिसीमन के बाद जो राजनीतिक आपदा आयेगी, उसके लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपकी सद्भावना बनी रहे तो मिलकर कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4,5,6,7 से 40, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या................वर्ष, 2005)

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो–

## विधेयक

उत्तरांचल राज्य में आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए–

## अध्याय–एक

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य पर है।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषायें–

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "आपदा" से ऐसी विपत्ति, संकट, दुर्घटना, गम्भीर घटना जो प्राकृतिक हो या अन्यथा अभिप्रेत हैं, जिसके कारण मानव पीड़ा, अथवा मानव, जीव/जन्तु व वनस्पति जीवन का विनाश या सर्वनाश, सम्पत्ति की हानि व उसका नाश, पर्यावरण पतन होता हो जो विवेकपूर्ण व संरक्षण उपायों को दबा देता हो तथा व्यापक रूप से सरकार व समाज के सामान्य कार्य–कलापों को विच्छिन्न व अक्षम करता हो तथा अनुसूची में वर्णित घटनाओं में से कोई एक या अधिक घटना सम्मिलित हो;

(ख) "आपदा प्रभावित क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है, जहाँ अनुसूची के अधीन यथा परिभाषित कोई आपदा घटित हुई हो;

(ग) "प्राधिकरण" से धारा–5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्तरांचल राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "आपदा प्रबन्धन आयुक्त" से धारा–10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) "आपदा प्रबन्धन" से निम्न दृष्टि से उपायों के कार्यान्वयन तथा योजना की समेकित और अनवरत प्रक्रिया अभिप्रेत है:

(1) आपदाओं की जोखिम का न्यूनीकरण अथवा उसे कम करना;

(2) आपदाओं की कठोरता या परिणामों का न्यूनीकरण;

(3) आपदा निवारण हेतु क्षमता–निर्माण;

(4) आपात तैयारी;

(5) आपदा के प्रभावों का आकलन;

(6) आपात राहत तथा बचाव प्रदान करना; और

(7) आपदा पश्चात् पुनर्वास तथा पुनः निर्माण।

(च) "आपात तैयारी" से तैयारी की वह स्थिति अभिप्रेत है जो स्टेकहोल्डर्स को सम्भावित या वास्तविक आपदा या किसी आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए सचल, संगठित और राहत प्रदान करने के लिए समर्थ बनाती है;

(छ) "स्थानीय प्राधिकरण" से सुसंगत स्थानीय प्राधिकरण विधि के अधीन गठित, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद्, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड अभिप्रेत हैं;

(ज) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;

(झ) "न्यूनीकरण" से आपदा के प्रभावों या आघात को कम करने के लिए लक्षित उपाय अभिप्रेत हैं;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;

(ट) "निवारण" से वह उपाय अभिप्रेत है, जिनका उद्देश्य आपदा की घटना को टालना है;

(ठ) "पुनर्निर्माण" से आपदा के पश्चात् की गयी सम्पत्ति की मरम्मत तथा पुनः निर्माण अभिप्रेत हैं;

(ड) "विनियमन" से ऐसा कोई क्रियाकलाप, जिसका उद्देश्य आपदा द्वारा उत्पन्न दशाओं को पुनः सामान्य दशा में लाना हो, अभिप्रेत है;

(ढ) "राहत" से आपदा की घोषणा के दौरान या उसके ठीक पश्चात्, आपदा के कारण हुए कष्ट, पीड़ा, क्षति, यातना या कठिनाईयों को कम या समाप्त करना अभिप्रेत हैं;

(ण) "आपदा प्रवृत्त क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ आपदा की घटनाएं बार-बार हुई हों तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने की आशंका हो।

## अध्याय-दो

3. आपदा प्रबन्धन के लिए प्राधिकारी-

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी होंगे, अर्थात्-

(क) राज्य सरकार;

(ख) उत्तरांचल राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण;

(ग) राज्य सरकार के अधीन विभागाध्यक्ष;

(घ) मण्डलायुक्त;

(ङ) जनपदों के जिलाधीश;

(च) स्थानीय प्राधिकरण;

(छ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र।

## अध्याय-तीन

## राज्य सरकार के कृत्य

4. राज्य सरकार के कृत्य-

(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा-3 में वर्णित सभी प्राधिकारी, और अभिकरण आपदा के प्रबन्ध तथा उसके प्रभावों के न्यूनीकरण के प्रयोजन हेतु ऐसे सभी उपाय करेंगे जो आवश्यक या समीचीन है।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों में, निम्नलिखित सभी या कोई उपाय सम्मिलित होंगे, अर्थात्–

(क) यह सुनिश्चित करना कि समुचित नीतियाँ तथा मार्गदर्शन सिद्धान्त विकसित किये जाए;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि राज्य प्रशासन तथा स्थानीय प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की योजना बनाते समय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर विचार करें;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि एक व्यापक संचार व प्रौद्योगिकी तंत्र स्थापित किया जाए तथा बनाये रखा जाए;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार की जाए तथा आपदा के प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिया जाए;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबन्धन हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध रहे;

(च) आपदा के बेहतर प्रबन्धन, निवारण तथा न्यूनीकरण के लिए संस्था खोलने सहित शोध तथा विकास के क्षेत्र में उचित कदम उठाये जायें।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन तथा शक्तियों के प्रयोग, में आपदा के प्रभाव के न्यूनीकरण या आपदा के कारण उत्पन्न आसन्न नुकसान को टालने हेतु, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को निर्देश दे सकती है तथा ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करेगा;

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार अपने कृत्यों के निष्पादन तथा शक्तियों के प्रयोग में, इस अधिनियम के अधीन, किसी कार्यपालिका आदेश के प्रवर्तन को निलम्बित कर सकती है, यदि ऐसा कार्यपालिक आदेश आपदा से निपटने की किसी आवश्यक कार्रवाई में निवारक, बाधक या विलम्बकारी है;

(5) राज्य सरकार के सभी विभाग, प्राधिकरण, मण्डलायुक्त तथा जिलाधीश अथवा स्थानीय प्राधिकरण को संचार केन्द्र स्थापित करने, आकस्मिक योजना का प्रारूप बनाने, क्षमता निर्माण, आँकड़ों का संग्रह तथा कार्मिकों को पहचान कर प्रशिक्षण देने में सहायता प्रदान करेंगे।

## अध्याय–चार

## राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना एवं निगमन

5. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना एवं निगमन–

(1) राज्य सरकार, राज पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, उत्तरांचल राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) प्राधिकरण शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा तथा निगमित नाम से वाद लायेगा या उस पर वाद लाया जायेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पतियों के अर्जन, धारण व व्ययन के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक संविदा तथा सभी कार्य करने के लिए सक्षम होगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित होगा।

(4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजन के लिए राज्य के भीतर या बाहर ऐसे स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है, जहाँ वह उचित समझे।

6. प्राधिकरण का गठन–

(1) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिल कर बनेगा–

(क) राज्य का मुख्यमंत्री–पदेन अध्यक्ष;

(ख) विधान सभा का ऐसा निर्वाचित सदस्य जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाये–पदेन उपाध्यक्ष;

(ग) मुख्य सचिव–पदेन सदस्य;

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तरांचल शासन–पदेन सदस्य;

(ङ) शासन के गृह, चिकित्सा, वित्त, लोक निर्माण, ऊर्जा, सिंचाई, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों में से उत्तरांचल शासन द्वारा नामित तीन प्रमुख सचिव–पदेन सदस्य;

(च) विभागाध्यक्ष, भूकम्प अभियांत्रिकी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की–पदेन सदस्य।

(छ) निदेशक, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून–पदेन सदस्य।

(ज) निदेशक, दूरसंवेदन संस्थान, देहरादून–पदेन सदस्य।

(झ) आपदा प्रबन्धन व नियंत्रण से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य;

(ञ) मण्डल आयुक्त–पदेन सदस्य;

(ट) अधिनियम के अध्यधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नामित आयुक्त आपदा प्रबन्धन–सदस्य सचिव पदेन।

(ठ) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के एन0डी0एम0 का प्रतिनिधि जो निदेशक की पंक्ति के नीचे का न हो–पदेन सदस्य; और

(ड) कार्यपालक निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून–पदेन सदस्य।

(ढ) कमाण्डर, उत्तरांचल, सब एरिया, देहरादून–पदेन सदस्य।

(2) प्राधिकरण के सदस्य पदेन सदस्यों से भिन्न राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और विनियमों में जैसा विहित किया जाए, पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे।

7. प्राधिकरण की बैठकें–

(1) प्राधिकरण ऐसे समय तथा स्थानों पर बैठक करेगा तथा उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन अपनी बैठकों में (गणपूर्ति सहित) अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) यदि बैठक के नियत समय पर अध्यक्ष उपस्थित है तो प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उसके द्वारा की जायेगी और यदि अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य द्वारा की जायेगी।

(3) प्राधिकरण की बैठक में सभी विषयों का विनिश्चय उपस्थित और मत डालने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को एक द्वितीय या निर्णायक मत प्राप्त होगा।

(4) (क) प्रत्येक सदस्य जो प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा या करार में, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी प्रकार से सम्बद्ध या हितबद्ध है तो वह प्राधिकरण की बैठक के पूर्व या उस समय अपनी सम्बद्धता या हित की प्रकृति प्रकट करेगा;

(ख) कोई सदस्य जो किसी संविदा या करार में सम्बद्ध या हितबद्ध है चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या किये जाने वाली किसी संविदा या करार में विचार के समय भाग नहीं लेगा या मत नहीं डालेगा;

परन्तु यह कि, किसी ऐसी संविदा या करार में सम्बद्ध किसी कम्पनी जिसकी कुल समादत्त अंश पूँजी के दो प्रतिशत से कम और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धारण किये हो, ऐसा अंशधारी होने के कारण किसी सदस्य को यथापूर्वोक्त सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं समझा जायेगा।

8. रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना–

प्राधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि–

(क) उसमें कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

9. प्राधिकरण के अधिकारी तथा कर्मचारी–

(1) राज्य सरकार आयुक्त, आपदा प्रबन्धन को प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामित करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्ष निष्पादन हेतु आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे वेतन तथा भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा सेवा के ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(4) प्राधिकरण के अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लिखित रूप में जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन पर अधिरोपित किये जायें।

10. राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त–

(1) राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा और अपर सचिव उत्तरांचल शासन के नीचे की पंक्ति का न होगा।

(2) उक्त आयुक्त, आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जो उस पर इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये जायें।

(3) उक्त आयुक्त ऐसे वेतन व भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाए।

## अध्याय–पाँच

## प्राधिकरण के कृत्य

11. प्राधिकरण के कृत्य–

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकरण, आपदा प्रबन्धन की ऐसी समन्वित व समेकित प्रणाली को प्रोन्नति हेतु मूलतः उत्तरदायी होगा जिसमें स्थानीय प्राधिकरणों, स्टेकहोल्डर्स तथा समुदायों द्वारा आपदा का निवारण अथवा न्यूनीकरण भी सम्मिलित है।

(2) प्राधिकरण :

(क) आपदा प्रबन्धन तथा आपदा पश्चात् पुनःनिर्माण, पुनर्वास, मूल्यांकन तथा निर्धारण के लिए केन्द्रीय आयोजक, समन्वयक तथा मोनिटरी निकाय के रूप में कार्य करेगा;

(ख) इस बात के होते हुए भी कि आपात राहत का कार्यान्वयन राजस्व विभाग व सरकार के अन्य विभागों का उत्तरदायित्व है, आपात राहत से सम्बन्धित नीति की संरचना में सरकार की सहायता करेगा;

(ग) राज्य सरकार तथा उस सरकार के विभागों को आपदा प्रबन्धन में हुई प्रगति की तथा समक्ष आयी समस्याओं की सूचना देगा;

(घ) आपदा प्रबन्धन, आपात योजना व प्रतिक्रिया तथा उससे सम्बद्ध या आनुषांगिक मामलों पर सामान्य शिक्षा और जानकारी व सम्वर्धन करेगा;

(ङ) राज्य सरकार, जिलाधीश, राज्य सरकार के सम्बद्ध अधिकारी तथा राज्य में स्थानीय प्राधिकरण, प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निष्पादन में ऐसी सहायता तथा सहयोग प्रदान करेंगे जो उसके द्वारा अपेक्षित हो और उस आधारिक ज्ञान का सृजन और प्रसार की प्रलेखित सम्भावित परिसंकट और न्यूनीकरण पर जानकारी प्रदान करेगा जो सरकारी और प्राईवेट सेक्टर की निश्चयकर्ताओं तक पहुँच सकें;

(च) भवन सन्निर्माण संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए अधिकरण के रूप में कार्य करेगा;

(छ) वस्तुनिष्ठ चेतावनी प्रणाली का विकास तथा शरण क्षेत्रों की पहचान करेगा;

(ज) एक कुशल तथा अग्र सक्रिय खोज व बचाव तंत्र विकसित करेगा व उसे कार्यान्वित करेगा;

(झ) एक आपात चिकित्सा प्रणाली विकसित करेगा व उसे कार्यान्वित करेगा;

(ञ) जोखिम प्रबन्धन हेतु एक समूह का निर्माण करेगा और उन्हें शिक्षित करेगा;

(ट) मानकों का विकास व प्रख्यापन करेगा;

(ठ) विकास निश्चित कर्ताओं के लिए खुली प्रक्रिया का सृजन करेगा;

(ड) सरकार के भीतर नीतिगत गठबंधन का सृजन, प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक परिसंकटों का विलयन और जोखिम प्रबन्ध;

(ढ) न्यूनीकरण की गतिशीलता हेतु विनियमन व बीमें का उपयोग;

(ण) आपात प्रबन्धन का व्यवसायीकरण व मानकीकरण;

(त) विभिन्न क्षेत्रों में सफल संचार के माध्यम से विस्तृत समेकित सरकारी अनुक्रिया सुनिश्चित करेगा;

(थ) आपदा प्रबन्धन केन्द्रित विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

12. समुचित प्राधिकारी को की जाने वाली संस्तुतियाँ–

प्राधिकरण राज्य में किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी भवन या ढाँचे के निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा तथा जहाँ प्राधिकरण की राय यह है कि ऐसे भवन या ढाँचे के पुनः निर्माण की गुणवत्ता ऐसी है कि यदि आपदा घटित हो तो परिणामस्वरूप जीवन हानि या सम्पत्ति का नुकसान हो सकता हो तो ऐसे परिणाम टालने के लिए संगत स्थानीय प्राधिकरण विधि के अधीन ऐसी कार्यवाही करने के लिए जो आवश्यक हो, स्थानीय प्राधिकारी को संस्तुत कर सकता है।

## अध्याय–छः

## मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ तथा कृत्य

13. मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ तथा कृत्य–

प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्न शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात–

(क) क्षमता निर्माण सहित, आपदा के निवारण व न्यूनीकरण से सम्बन्धित क्रिया कलापों को समन्वित तथा मानिटर करना;

(ख) पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण क्रिया–कलापों को समन्वित तथा मानिटर करना;

(ग) आपदा प्रबन्धन योजनाओं की तैयारी व अद्यतन प्रगति को मानिटर करना व ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(घ) प्राधिकरण द्वारा किये गये क्रिया कलापों पर नियत कालिक रिपोर्ट तैयार करना व प्राधिकरण को प्रस्तुत करना;

(ङ) प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपनी शक्तियाँ तथा कृत्यों को प्रत्यायोजित करना;

(च) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना जैसी प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित की जाये;

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, और;

(ज) यह घोषणा करना कि राज्य का उसका कोई भाग आपदा प्रभावित क्षेत्र है।

## अध्याय–सात

## राज्य आपदा प्रबन्धन आयुक्त की शक्तियाँ तथा कृत्य

**14. आपात राहत–**

(1) उस अवधि के दौरान जिसमें किसी क्षेत्र को "आपदा प्रभावित क्षेत्र" घोषित किया जाता है, आयुक्त, जिलाधिकारी तथा स्थानीय प्राधिकारी को जिनकी प्रभावित क्षेत्र पर अधिकारिता है आपदा प्रबन्धन योजनाओं तथा सीआरएफ/एनसीसीएफ मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार आपात राहत प्रदान करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है तथा जिलाधिकारी को सम्मिलित करते हुए नीचे के सभी स्थानीय प्राधिकारी जिन्हें ऐसे निर्देश दिये जाते हैं, के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह ऐसे निर्देशों के अनुसार कृत्य करे।

(2) आयुक्त–

(क) समुदाय को सहायता व संरक्षण प्रदान करने,

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करने,

(ग) विघटन के निवारण या उस का मुकाबला करने, या

(घ) आपदा के विनाशकारी या अन्य प्रभाव से निपटने के प्रयोजन के लिए,

(1) उपलब्ध संसाधनों के जारी करने तथा उपयोग हेतु व्यवस्था कर सकता है;

(2) प्रभावित क्षेत्र के भीतर, आने और जाने के लिए वाहन यातायात को नियंत्रित तथा निर्बन्धित कर सकता है;

(3) प्रभावित क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति के प्रवेश, गतिविधि तथा प्रस्थान पर नियंत्रण तथा निर्बन्धन लगा सकता है;

(4) मलबा हटा सकता है;

(5) तलाशी तथा बचाव कार्य संचालित कर सकता है;

(6) लावारिस शवों के निस्तारण की समुचित साधनों द्वारा व्यवस्था कर सकता है;

(7) वैकल्पिक शरण प्रदान कर सकता है;

(8) भोजन, दवाइयाँ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है;

(9) अपने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अधीन राहत प्रदान करने के लिए आपदा से सुसंगत क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा परामर्शियों की अपेक्षा कर सकता है;

(10) जब अपेक्षित हो, सुख सुविधाओं का अनन्य या अधिमानी उपयोग उपलब्ध करा सकता है;

(11) किसी सम्पत्ति, वाहन उपकरण, भवन तथा संचार के साधन का ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों पर जैसी कि विहित की जाये, कब्जा और उनका उपयोग कर सकता है;

(12) अस्थायी पुलों तथा अन्य आवश्यक ढाँचों का सन्निर्माण कर सकता है;

(13) जनता को संकटापन्न कर सकने वाले असुरक्षित ढाँचों को ध्वस्त कर सकता है;

(14) यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन साम्यपूर्ण रीति से अपने कार्यकलाप करते हैं;

(15) आपदा के निपटने के लिए जनता में सूचना का प्रसारण कर सकता है;

(16) जीवन संरक्षण के प्रयोजन के लिए किसी भी प्रभावित क्षेत्र से किसी आबादी का निष्क्रमण करवा सकता है, और ऐसे निष्क्रमण के लिए उतने बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो; तथा

(17) किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर प्रवेश करने, किसी द्वार, फाटक या अन्य अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, यदि वह समझे कि ऐसी कार्यवाही जीवन तथा सम्पत्ति के संरक्षण के लिए आवश्यक है व स्वामी या निवासी अनुपस्थित हैं या उपस्थित होते हुए भी द्वार, फाटक या अवरोध खोलने से इंकार करता है।

(3) आयुक्त, किसी व्यक्ति या सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है तथा ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकता है जो आपदा को रोकने या आपदा के प्रभावों के प्रसार को रोकने या आपदा के प्रभाव को घटाने या कम या न्यून करने के लिए आवश्यक हो।

(4) आयुक्त, उसके द्वारा साधारणतः राहत प्रदान करने के लिए और विशिष्टतः उपधारा (1) से (3) के अधीन की गयी कार्यवाहियों से आयोग को अवगत करायेगा।

15. आयुक्त के अन्य कृत्य–

(1) आयुक्तः

(क) आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित बातों, जैसे पूर्व चेतावनी तथा तैयारी की स्थिति से प्राधिकरण को अवगत करायेगा,

(ख) राज्य के संसाधनों तथा संस्थागत क्षमता की दक्षता तथा प्रत्येक जनपद की अपने में विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के परामर्श से राज्य के लिए समुचित राहत कार्यान्वयन नीति विकसित करेगा;

(ग) जनपद या मण्डल स्तर की आपात योजनाएं तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करेगा, पुनर्विलोकन करेगा और उन्हें अद्यतन रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ये योजनाएं तैयार की जायें, पुनर्विलोकित की जायें और अद्यतन रखी जायें तथा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी महायोजना के अनुरूप हों।

(घ) आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित आकस्मिक योजनाओं का समय-समय पर पुनःनिर्धारण करेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन कवायदें नियतकालिक रूप से होती रहें;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि संचार प्रणाली व्यवस्थित है तथा आकस्मिक योजनाओं में स्थानीय अभिकरणों की अधिकतम भागीदारी के लिए व्यवस्था है;

(छ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित की जायें; और

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

## अध्याय-आठ

## आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र

16. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र-

(1) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र प्राधिकरण के लिए एक चिन्तन समूह के रूप में कार्य करेगा तथा आपदा के प्रत्येक चरण अर्थात् आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा पश्चात् चरणों के लिए योजना तैयार करेगा, जिन्हें अन्ततः प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तरांचल में ऐसे स्थान पर अवस्थित होगा जो राज्य सरकार विनिश्चित करे। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र निम्न से मिलकर बनेगा।

(2) कार्यपालक निदेशक-

(i) कार्यपालक निदेशक ऐसे संकाय सदस्य, जिसे राज्य सरकार प्राधिकरण से परामर्श से रखने का विनिश्चय करे,

(ii) कार्यपालक निदेशक,

(क) आपदा प्रबन्धन में वृत्तिक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार प्राधिकरण के परामर्श से रखने का विनिश्चय करेगी;

(ख) कार्यपालक निदेशक आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जो प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जायेंगे;

(ग) कार्यपालक निदेशक ऐसे वेतन व भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसी शर्तों के द्वारा शासित होगा जैसी कि विहित की जायें।

17. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के कृत्य–

(1) आंकड़ों का संग्रह तथा शोध–

(क) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र आपदा तथा प्रबन्धन के सभी पहलुओं पर आंकड़े संग्रह करने या संग्रह करवाने के लिए उचित कार्यवाही करेगा, ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण करेगा तथा ऐसे शोध और अध्ययन करेगा व करवायेगा जिनका सम्बन्ध घटनाओं के भावी प्रभाव से हो, जिनके परिणामस्वरूप आपदा हो सकती है तथा यह भी कि इन आपदाओं का किस प्रकार निवारण, प्रबन्धन व न्यूनीकरण किया जाय;

(ख) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र किसी व्यक्ति से ऐसी अवधि के भीतर जैसी सूचना में विनिर्दिष्ट हो लिखित सूचना देकर ऐसी सूचना अपेक्षित करवा सकता है जो कि उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के लिए उपयोगी हो।

(2) सूचना का भण्डारक:– आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र आपदाओं तथा आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सूचनाओं के भंडारक के रूप में कार्य करेगा, तथा :–

(क) राज्य में संचार माध्यमों की स्थापना तथा आपात संचार व पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करेगा;

(ख) आपदा प्रबन्धन परिचालन हेतु अपेक्षित सूचनाओं का सूचना–संग्रह (डाटा बेस) अनुरक्षित करेगा;

(ग) प्राधिकरण की भांति ही कार्य कर रहे अन्य संस्थानों सहित भारत तथा अन्य देशों से आपदा प्रबन्धन अभिकरणों के साथ संचार माध्यम स्थापित करना सुनिश्चित करेगा;

(घ) सूचना आदान–प्रदान तथा आपदा प्रबन्धन पर अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों तक पहुँच सुनिश्चित करेगा।

(3) आपदा प्रबन्धन योजनायें:–

(अ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र आपदा महायोजनाओं तथा युक्तियों की तैयारी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करेगा या करवायेगा

तथा उन्हें अद्यतन रखेगा तथा सरकार के ऐसे विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा व्यक्तियों की सहायता करेगा जैसे कि योजनाओं तथा युक्तियों की तैयारी में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हों तथा उन्हें समन्वित करेगा;

(आ) उप धारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय योजना तैयार करने वाला अभिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए योजना में समुचित व्यवस्थायें करेगा, अर्थात्–

(क) उन आपदाओं का प्रकार जो कि घटित हो सकती हैं और उनके सम्भावित प्रभाव;

(ख) वे समुदाय तथा सम्पत्ति जिन पर खतरा हो;

(ग) समुचित निवारण तथा न्यूनीकरण युक्तियों हेतु उपबन्ध;

(घ) आपदा से निबटने में अक्षमता तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा;

(ङ) आपदा निवारण के लिए युक्तियों का एकीकरण तथा राज्य में विकास योजनाओं, कार्यक्रमों तथा ऐसे अन्य क्रियाकलापों द्वारा इसके प्रभावों का न्यूनीकरण;

(च) प्रकृति के आकलन हेतु उपबन्ध तथा आपदा के प्रभावों की विशालता;

(छ) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय;

(इ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र राज्य के लिए एक महायोजना तैयार करेगा या करवायेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा।

(4) जागरूकता तथा तैयारी:–

(अ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र जागरूकता तथा तैयारी को बढ़ावा देगा या दिलवायेगा तथा सम्भावित आपदा से निपटने के लिए समुदाय तथा स्टेकहोल्डर्स की क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से समुदाय तथा स्टेकहोल्डर्स को निम्न विषयों पर सलाह देगा और उन्हें प्रशिक्षित करेगा;

(क) इस निमित्त मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा संस्तुतियों के प्रकाशन द्वारा;

(ख) अपने इलैक्ट्रोनिक सूचना सामग्री आधार तक सुगम पहुँच द्वारा;

(ग) आपदा प्रबन्धन क्षमता निर्माण के उत्थान तथा समुदाय व अन्य स्टेकहोल्डर्स के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा;

(घ) आपदाओं की भेद्यता में कमी के लिए कार्यविधि विकसित करने में सहायता द्वारा;

(ङ) विकास योजनाओं, कार्यक्रमों तथा ऐसे अन्य कार्यकलापों द्वारा जागरूकता व तैयारी के लिए कार्यविधियों के एकीकरण में समन्वय द्वारा; तथा

(च) इस निमित्त जैसा उचित समझे वैसे किसी अन्य तरीके से कार्य द्वारा।

(आ) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र जैसा वह आवश्यक समझे, आपदा की तैयारी के लिए बीमे सहित, खतरा स्थानान्तरित करने के यंत्र जाल से सम्बन्धित वैसी नीतियाँ बनायेगा तथा उन्हें क्रियान्वित करेगा या करवायेगा।

## अध्याय–नौ

## मण्डल आयुक्त और जिलाधिकारी की शक्तियाँ तथा कृत्य

18. मण्डल आयुक्त की शक्तियाँ तथा कृत्य–

(1) मण्डल आयुक्त अपने मण्डल में आपदा प्रबन्धन के विषय में स्थानीय निकायों और अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं मार्गदर्शन का कार्य करेगा और ऐसी साधारण एवं विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे प्राधिकरण, आपदा प्रबन्धन आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की जायें।

(2) जनपद स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं के सक्रिय होने पर, मण्डलायुक्त–

(क) मण्डल के भीतर विभिन्न जनपदों से संसाधनों की आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे;

(ख) मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (आपदा प्रबन्धन), आयुक्त, आपदा प्रबन्धन, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र/आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र से निरन्तर सम्पर्क में रहेगा।

19. जिलाधिकारी की शक्तियाँ तथा कृत्य–

(1) जिस अवधि में कोई क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, जिलाधिकारी उस प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों के अधिकारियों तथा स्थानीय प्राधिकारी को, आपदा प्रबन्धन आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन आपदा प्रबन्धन योजनाओं के अनुरूप आपात राहत प्रदान करने हेतु निर्देश दे सकता है।

(2) जिलाधिकारी–

(क) उपलब्ध संसाधनों के जारी करने तथा उपयोग के लिए इन्तजाम करेगा;

(ख) आपदा से प्रभावित क्षेत्र के भीतर तथा उस ओर से या उस ओर को यातायात नियंत्रित तथा निर्बन्धित कर सकता है;

(ग) किसी आपदा क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति का प्रवेश, उसके भीतर आवागमन या वहाँ से प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकता है;

(घ) मलबा हटा सकता है;

(ङ) तलाशी व बचाव कार्य परिचालित कर सकता है;

(च) समुचित साधनों द्वारा लावारिस शवों के निस्तारण के लिए व्यवस्था कर सकता है;

(छ) वैकल्पिक शरण प्रदान कर सकता है;

(ज) भोजन, दवाईयाँ तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करा सकता है;

(झ) अपने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अधीन राहत प्रदान करने के लिए आपदा से सुसंगत विषय के विशेषज्ञ तथा परामर्शियों को अपेक्षित कर सकता है;

(ञ) जैसी विहित हो वैसी शर्तों तथा निबन्धनों पर किसी सम्पत्ति, वाहनों उपकरण, इमारतों तथा संचार के माध्यमों पर कब्जा तथा उनका प्रयोग कर सकता है;

(ट) जब व जैसे अपेक्षित हो, सुख सुविधाओं का अनन्य व अधिमानी उपयोग उपलब्ध करा सकता है;

(ठ) अस्थायी पुलों तथा ढांचों का निर्माण करा सकता है;

(ड) जनता को संकटापन्न कर सकने वाले असुरक्षित ढांचों को ध्वस्त कर सकता है;

(ढ) गैर सरकारी संगठनों से समन्वय रख सकेगा तथा यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ऐसी सत्तायें आपदा प्रभावित क्षेत्र के भीतर अपने कार्यकलाप साम्यिक तरीके से निष्पादित करें;

(ण) आपदा से निपटने के लिए जनता में सूचना का प्रसार करेगा;

(त) जीवन संरक्षण के उद्देश्य के लिए किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र से समस्त आबादी या उसके किसी भाग को निष्क्रमण के लिए निर्देश दे सकता है, बाध्य कर सकता है तथा ऐसे निष्क्रमण के लिए उतने बल का जो आवश्यक हो प्रयोग कर सकेगा;

(थ) किसी सम्पत्ति या जीवन के संरक्षण के लिए यदि वह समझे कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक है तो किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर प्रवेश करने, किसी द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, यदि स्वामी या निवासी अनुपस्थित है या उपस्थित होते हुए भी द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करता है।

(3) जिलाधिकारी उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट शक्तियों का प्रयोग उसी सीमा तक करेगा जितना निम्न प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो:-

(क) समुदाय को सहायता तथा संरक्षण प्रदान करने के लिये;

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करने के लिये;

(ग) विघटन के निवारण या उसका मुकाबला करने के लिए;

(घ) आपदा के विनाशकारी तथा अन्य प्रभावों से निपटने के लिए।

(4) जिलाधिकारी, किसी भी व्यक्ति या सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है तथा ऐसे अन्य कदम उठा सकता है जो कि आपदा की वृद्धि रोकने या आपदा के प्रभावों को कम करने, रोकने या न्यून करने के लिए आवश्यक हों।

20. जिलाधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य–

(1) जिलाधिकारी–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा के निवारण या इसके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु कार्रवाई या ऐसे प्रभावों से निपटने की तैयारी, जैसा विहित किया जाये, मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप की जा रही है;

(ख) आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से, सम्बन्धित बातों जैसे पूर्व चेतावनी तथा तैयारी की स्थिति के प्राधिकरण को अवगत करायेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन से निपटने की जानकारी, जनपद में कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि जिला आपदा प्रबन्धन योजनायें तैयार हों, पुनरीक्षित हों तथा अद्यतन हों;

(ङ) स्थानीय सरकारी निकायों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सुगमता तथा समन्वय रखेगा जिससे कि जनपद में आपदा पूर्व तथा आपदा प्रबन्धन के कार्यकलाप चलाये जाते हैं;

(च) स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्र के समर्थन से आपात सुविधाओं की स्थापना, सामुदायिक प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम को सुकर बनायेगा;

(छ) आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित मामलों पर अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करेगा;

(ज) आपात योजनाओं, आकस्मिक योजनाओं तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पुनर्विलोकन करेगा;

(झ) यह सुनिश्चित करेगा कि जनपद में स्थानीय प्राधिकारी अपनी स्वयं की न्यूनीकरण युक्तियाँ विकसित करने में लगे हैं;

(ञ) आपदा प्रबन्धन कार्यकलापों तथा योजना के मध्य सम्बद्धता सुनिश्चित करेगा;

(ट) यह सुनिश्चित करेगा कि संचार प्रणाली व्यवस्थित है;

(ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन उपकरण तथा आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित अन्य उपकरण इस तरह अनुरक्षित रहें कि उपयोग के लिए तैयार रहें।

(ड) जनपद में पुनःनिर्माण तथा पुनर्वास के कार्यकलापों को समन्वित करेगा;

(ढ) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन कवायदें नियतकालिक रूप से होती रहें;

(ण) पुनःनिर्माण तथा पुनर्वास के लिए प्रयत्नों की प्रगति तथा परिणाम को मानीटर करने में प्राधिकरण को सहायता करेगा;

(त) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसी राज्य सरकार, प्राधिकरण तथा आयुक्त द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाय;

(थ) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग व ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसे विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

## अध्याय–दस

## स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य

21. स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य–

(1) राज्य या उसके किसी भाग के एक बार आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित हो जाने पर, स्थानीय प्राधिकारी ऐसे निर्देशों के अधीन जो प्राधिकरण दें और राज्य आयुक्त तथा जिलाधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन–

(क) प्राधिकरण, राज्य आयुक्त तथा जिलाधिकारी को सहायता देगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारीवृन्द प्रशिक्षित हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी संसाधन इस तरह अनुरक्षित हैं कि प्रयोग के लिए तैयार हों;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार के विभाग तथा प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त अधिकथित विनिर्देशों का स्थानीय क्षेत्र की सभी इमारतों तथा अन्य ढाँचों में पालन किया जाता है;

(ङ) राज्य आयुक्त के निर्देशों के अध्यधीन प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य किया जाता है;

(च) प्राधिकरण द्वारा विरचित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार पुनर्वास तथा पुनःनिर्माण किया जाता है;

(छ) राज्य के संगठनों तथा स्टेकहोल्डर्स के साथ योजना के निर्माण तथा कार्यान्वयन को समन्वित करेगा;

(ज) नियतकालिक आपदा प्रबन्धन कवायदें करेगा; और

(झ) प्राधिकरण, आयुक्त तथा जिलाधिकारी को ऐसी सहायता देगा तथा ऐसे कदम उठायेगा जो आपदा प्रबन्धन हेतु आवश्यक हों।

(2) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित अपनी आपदा प्रबन्धन योजना तथा उसमें किसी संशोधन की एक प्रति प्राधिकरण तथा आयुक्त के पास प्रस्तुत करेगा।

22. जनपद के लिए आपदा प्रबन्धन योजनायें–

(1) जिलाधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी की सहायता से जनपद हेतु एक आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय जिलाधिकारी–

(क) उस आपदा के प्रकार का अनुमान लगायेगा, जो जनपद में घट सकती है तथा उसके सम्भावित प्रभाव;

(ख) समुदाय तथा सम्पत्ति जिन पर जोखिम है, उनकी पहचान करेगा;

(ग) समुचित निवारण तथा न्यूनीकरण युक्तियों के लिए उपबन्ध करेगा;

(घ) सम्भावित खतरों से निपटने में असमर्थता की पहचान तथा क्षमता निर्माण का सम्वर्द्धन करेगा;

(ङ) अधिकतम आपात तैयारी को सुगम बनायेगा;

(च) आपदा की दशा में आकस्मिक योजनाओं तथा विहित आपात प्रक्रिया, निम्नलिखित व्यवस्था करने हेतु रखेगा:–

(1) विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को उत्तरदायित्वों का आवंटन तथा उनके उत्तरदायित्वों को निभाने में समन्वय;

(2) तत्काल आपदा अनुक्रिया तथा राहत;

(3) आवश्यक वस्तुओं की उपाप्ति तथा अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था;

(4) सामरिक संचार सम्पर्कों की स्थापना;

(5) सूचना का प्रसार; और

(6) ऐसे अन्य मामले जो विनियमों में उपबन्धित हों, तथा उसके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय।

(3) जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके जनपद की आपदा प्रबन्धन योजना इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने की तारीख से 90 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाय और राजपत्र में अधिसूचित कर दी जाय परन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि यदि जिलाधिकारी ने इसमें विस्तारण के लिए अनुरोध किया है तो समुचित विस्तारण दिया जाय, किन्तु किसी भी स्थिति में यह विस्तार छः माह से अधिक का न हो।

## अध्याय–ग्यारह

## क्षेत्र की आपदा प्रवृत्त क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषणा

23. क्षेत्र की आपदा प्रवृत्त क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषणा:–

(1) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारियों, जैसी भी स्थिति हो, की रिपोर्ट पर या अन्यथा किसी क्षेत्र को आपदा प्रवृत्त

क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा। इस प्रकार की गयी घोषणा प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए ऐसी घोषणा के एक सप्ताह के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के सम्मुख रखी जायेगी।

(2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट होगी जिस अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आपदाग्रस्त क्षेत्र बना रहेगा:

परन्तु राज्य सरकार समय–समय पर इस अवधि को एक बार में पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकती है, यदि यथास्थिति, राज्य आयुक्त या जिलाधिकारी द्वारा उस निमित्त दी गयी रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना समीचीन होगा।

(3) जिस अवधि में कोई क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्र बना रहेगा, उसमें–

(क) प्राधिकरण ऐसे क्षेत्र में निम्न से सम्बन्धित कृत्य निष्पादित करेगा या करवायेगा:–

(1) आपदा का निवारण, या

(2) आपदा के प्रभावों का न्यूनीकरण,

(ख) आपात राहत को सुगम बनाना, समन्वित करना तथा नियंत्रण करना:

(ग) पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास का समन्वय तथा मॉनीटरी, तथा ऐसे अन्य कृत्य जैसे कि अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन विहित किये जायें या पूर्वोक्त कृत्यों के अनुपूरक, आनुषांगिक या पारिणामिक हों,

(4) जहाँ प्रभावित क्षेत्र एक या अधिक जनपदों में फैला हो वहाँ सरकार तथा जहाँ यह एक जनपद तक सीमित हो वहाँ जिलाधिकारी आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा सौंपे जायें,

(5) (क) जहाँ आयुक्त या जिलाधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट देता है, वहाँ रिपोर्ट देने के साथ ही वह इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा उसको सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन तत्काल प्रारम्भ कर देगा।

(ख) वह कार्यों का निष्पादन नहीं करेगा जहाँ:

(1) ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर, जहाँ एक क्षेत्र धारा–23 की उपधारा (1) के अधीन, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया हो, या

(2) पिछली बढ़ाई गयी अवधि के समाप्त हो जाने पर, जहाँ ऐसी अवधि उक्त उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन समय–समय पर ऐसी अवधि बढ़ायी गयी है।

(3) जहाँ कोई क्षेत्र इस प्रकार घोषित नहीं हुआ है वहाँ उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार से उस आशय की सूचना की प्राप्ति पर।

(6) प्राधिकरण, आयुक्त, जिलाधिकारी तथा सभी अन्य अभिकरण उपधारा (5) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) या (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर पूर्वोक्त क्षेत्र में अपने कृत्यों का निष्पादन नहीं करेंगे।

## अध्याय–बारह

## वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिपोर्ट

24. प्राधिकरण की निधि–

(1) प्राधिकरण की अपनी एक निधि होगी जो आपदा प्रबन्धन निधि कहलायेगी तथा प्राधिकरण की सभी प्राप्तियाँ इसमें जमा की जायेंगी तथा प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान उसमें से किये जायेंगे।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति या निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, से अनुदान, आर्थिक सहायता, संदान तथा उपहार स्वीकार कर सकता है।

(3) निधि में से निम्न के भुगतान हेतु धन का उपयोग किया जा सकता है:

(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकरण द्वारा उपगत खर्च;

(2) सदस्यों को पारिश्रमिक;

(3) प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते;

(4) अधिनियम के ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए व्यय, जो विहित किया जाय;

(4) (क) प्राधिकरण की निधि का सम्पूर्ण धन ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा जिसे साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार निर्देश दें;

(ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु निधि की राशि तुरन्त या किसी शीघ्र तिथि पर उपयोग हेतु अपेक्षित नहीं है इसे भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 के खण्ड (क), (ख), (ख,ख) (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में निवेश किया जा सकता है;

(ग) ऐसे जमा तथा निवेशों पर अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जायेगा।

25. धन का उधार लेना:–

प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए खुले बाजार से या अन्यथा धन उधार ले सकता है।

26. बजट–

(1) (क) प्राधिकरण, ऐसी तिथि तक जो प्रत्येक वर्ष में विहित की जाये, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्रारूप में, उस वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय तथा उस राशि को जो राज्य सरकार से अपेक्षित होनी है दर्शाते हुए एक बजट राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(ख) यदि किसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त राशि पूर्णतया या आंशिक रूप से अव्ययित रहती है तो अव्ययित राशि को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रनीत किया जायेगा तथा उस वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि के अवधारण में उसे हिसाब में लिया जायेगा।

(2) कोई राशि प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से तब तक व्यय नहीं की जायेगी, जब तक कि वह व्यय, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्राविधानों के अन्तर्गत न आता हो।

27. लेखा एवं संपरीक्षा–

(1) प्राधिकरण के लेखे ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार व अनुरक्षित किये जायेंगे जैसा कि विहित किया जाये।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करवायेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

(3) प्राधिकरण के लेखे, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अधीन कम्पनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक् रूप से अर्हता प्राप्त संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।

(4) उक्त संपरीक्षक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकरण के लेखे संपरीक्षित करने हेतु नियुक्त प्रत्येक संपरीक्षक को लेखा बहियाँ, सम्बन्धित वाउचर्स, अन्य दस्तावेज व प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की माँग करने का, प्राधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण करने का तथा प्राधिकरण से ऐसी सूचना, जैसी वह अपने संपरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु आवश्यक समझे, अपेक्षा करने का अधिकार होगा।

(6) संपरीक्षक, लेखों की संपरीक्षित प्रति के साथ अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण को भेजेगा, जो संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(7) राज्य सरकार उपधारा (6) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र इसे राज्य विधान सभा के सम्मुख रखवायेगी।

28. वार्षिक रिपोर्ट–

(1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय के भीतर जैसे कि विहित किये जायें निम्नलिखित तैयार करेगाः–

(क) पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का एक सम्पूर्ण, सत्य एवं उचित लेखा जोखा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट; और

(ख) अगले वर्ष में प्राधिकरण द्वारा सम्भावित रूप से किये जाने वाले कार्यों का कार्यक्रम; तथा ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र इसे राज्य विधान सभा के सम्मुख रखवायेगी।

## अध्याय–तेरह

## अपराध एवं शास्तियाँ

29. अपराध एवं शास्तियाँ–

(1) जो कोईः–

(क) युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या आयुक्त या जिलाधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन से रोकता है या बाधा डालता है; या

(ख) युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य सरकार या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या आयुक्त या जिलाधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निष्पादन के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने से इंकार करता है;

(ग) बिना किसी वैज्ञानिक आधार के किसी आपदा के होने की मिथ्या भविष्यवाणी करता है तथा उसके द्वारा समुदाय में दहशत उत्पन्न करता है; या

(घ) राज्य सरकार या प्राधिकरण के किसी अधिकारी या आयुक्त या जिलाधिकारी से पुनःनिर्माण या मरम्मत के लिए सहायता हेतु मिथ्या दावा करता है, दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

30. अपराध का संज्ञान–

कोई मजिस्ट्रेट धारा–29 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय तब के जबकि आयुक्त या जिलाधिकारी या इस निमित्त साधारणतया या विशिष्टतया प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की गयी हो।

31. कम्पनियों द्वारा अपराध–

(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय, उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझी जायेगी और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के लिए भागी होगी:

परन्तु, इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण–

इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

## अध्याय–चौदह

## प्रकीर्ण

32. प्रवेश की शक्ति–

(1) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से प्राधिकृत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त, मंडल आयुक्त या जिलाधिकारी, सभी समुचित समयों पर किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकते हैं तथा वहाँ ऐसे कोई कार्य कर सकते हैं जो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें सौंपे गये कार्यों के विधिपूर्वक निष्पादन के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से आवश्यक हों।

(2) इस निमित्त सामान्यतः या विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी, सभी समुचित समयों पर किसी भी भूमि पर प्रवेश कर

सकता है तथा वहाँ ऐसे कोई कार्य कर सकता है जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गये कृत्यों के विधिपूर्वक किये जाने के प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक हों।

33. कृत्यों का प्रत्यायोजन--

33. (1) प्राधिकरण लिखित, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने ऐसे कृत्यों को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त, जिलाधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) प्राधिकरण, लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इसके सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एकाधिक समितियों का गठन कर सकता है तथा ऐसी समिति को प्राधिकरण के ऐसे कृत्य प्रत्यायोजित कर सकता है जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(3) आयुक्त लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सौंपे गये ऐसे कृत्य किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(4) जिलाधिकारी लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा व उसके अधीन सौंपे गये ऐसे कृत्य, मुख्य विकास अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(5) उपधारा (1), (3) या (4) के अधीन आदेश में वे शर्तें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी जिनके अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन किया जाना है।

34. निर्देश जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियाँ--

(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में नीतियों के प्रश्नों पर, प्राधिकरण ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा जैसे समय-समय पर राज्य सरकार लिखित में दे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन निर्देश दिये जाने के पहले प्राधिकरण को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

35. प्राधिकरण की निर्देश देने की शक्ति--

(1) प्राधिकरण, आयुक्त, मंडल आयुक्त या जिलाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए तथा लिखित में अभिलिखित कारणों से, प्रभावित क्षेत्र उसमें कि आपात राहत कार्य किये जा रहे हों, के भीतर, किसी व्यक्ति को कोई विनिर्दिष्ट कार्य करने या उससे प्रविरत रहने का आदेश जारी कर सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति, ऐसा आदेश प्राप्त होने पर उसका अनुपालन करेगा।

36. सदस्य तथा कर्मचारी का लोक सेवक होना–

प्रत्येक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त तथा प्राधिकरण का प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी, इन अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में कार्य करते हुए या करने से तात्पर्यित होते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अर्थ के अधीन लोक सेवक समझा जायेगा।

37. अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाहियों का संरक्षण–

इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त या जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं लायी जायेंगी।

38. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति–

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप में नियमों द्वारा विहित किये जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात हो ऐसे सभी या किसी एक विषय का उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकती है।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्त 30 दिन के भीतर राज्य विधान सभा के सम्मुख रखे जायेंगे तथा वह राज्य विधान सभा द्वारा अनुमोदन या ऐसे उपान्तरण के अधीन रहते हुए होंगे जो उस सत्र की अवधि के दौरान, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या इसके ठीक बाद में सत्र में किये जाएं।

(4) राज्य विधान सभा द्वारा इस प्रकार किया गया अनुमोदन या उपान्तरण राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा तदुपरि प्रभावी होगा।

39. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति–

(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में समर्थ होने के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात हों ऐसे सभी या किसी एक विषय का उपबन्ध करने के लिए विनियम बना सकता है।

40. व्यावृत्तियाँ–

प्राधिकरण, इसके अधिकारी तथा कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त तथा जिलाधिकारी, राज्य के सम्बन्ध में या उसके सम्बन्ध में आपदा के पश्चात् पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए उपाय समन्वित तथा नियंत्रित करने तथा आपदा राहत नियंत्रित तथा सुगम करने, समन्वित करने, आपदा के प्रभावों के न्यूनीकरण, आपदा की पुनरावृत्ति निवारण हेतु राज्य के कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित कृत्यों के अतिरिक्त, न कि उनके अल्पीकरण, में इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेंगे।

## अनुसूची

## आपदाओं की सूची

1. जल और जलवायु सम्बन्धी आपदायें–
   - (क) बाढ़ और जलनिकास प्रबन्ध
   - (ख) चक्रवात
   - (ग) तूफान/हवा एवं हरीकेन
   - (घ) बादलों का फटना
   - (ङ) भू–स्खलन
   - (च) बिजली का गिरना
   - (छ) गर्म और ठण्डी लहरें
   - (ज) सूखा
   - (झ) बर्फीले तूफान (एवलांच)
   - (ञ) ओलावृष्टि
2. भूगर्भ सम्बन्धी आपदायें–
   - (क) भूकम्प
   - (ख) बाँध टूटना
   - (ग) खान में आग लगना
3. रासायनिक, औद्योगिक और न्यूक्लीय आपदायें–
   - (क) रासायनिक, औद्योगिक और न्यूक्लीय आपदायें
   - (ख) दावाग्नि
4. दुर्घटना सम्बन्धी आपदायें–
   - (क) सड़क/रेल दुर्घटना
   - (ख) भवन का ढहना
   - (ग) विद्युत सम्बन्धी दुर्घटना
   - (घ) शहर/गाँव में आग लगना

(ङ) त्यौहारों से जुड़ी आपदायें

(च) बम विस्फोट

(छ) यांत्रिकी खराबी (मैकेनिकल फेल्योर)

(ज) पहाड़ से पत्थर गिरकर मृत्यु होने अथवा घायल होना

5. जैविकीय आपदायें–

(क) मानव और पशु महामारी

(ख) भोजन विषाक्तता

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक

इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैं उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 में संशोधन प्रस्तावित करता हूँ। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्तावित विधेयक के अध्याय 4 की धारा–5 की उपधारा (3) में 'प्राधिकरण का मुख्यालय उस स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें', के स्थान पर 'प्राधिकरण का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित होगा'। कर दिया जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, विधेयक पास होने के बाद यह कैसे हो सकता है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, खण्डों में हो सकता है। मान्यवर, जो प्रस्ताव किया गया है उसे स्वीकार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रस्तावित विधेयक के अध्याय 4 की धारा–5 की उपधारा (3) में "प्राधिकरण का मुख्यालय उस स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें" के स्थान पर "प्राधिकरण का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित होगा।" कर दिया जाय। इसे विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि धारा–6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में 'राज्य का आपदा प्रबन्धन मंत्री–पदेन उपाध्यक्ष' के स्थान पर 'विधान सभा का ऐसा निर्वाचित सदस्य जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाये–पदेन उपाध्यक्ष; कर दिया जाय।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जो प्रस्ताव किया गया है उसे स्वीकार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि धारा–6 की उपधारा (1) कि खण्ड–ख में "राज्य का आपदा प्रबन्धन मंत्री–पदेन उपाध्यक्ष" के स्थान पर 'विधान सभा का ऐसा निर्वाचित सदस्य जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाय–पदेन उपाध्यक्ष" कर दिया जाए। अंग माने जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि खण्ड–7 से खण्ड–40 तक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक की अनुसूची के क्रम 4 में दुर्घटना सम्बन्धी आपदाएं में खण्ड (छ) के बाद निम्न खण्ड जोड़ दिया जाय–(ज) पहाड़ से पत्थर गिरकर मृत्यु होने अथवा घायल होना।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि विधेयक की अनुसूची में क्रम 4 दुर्घटना सम्बन्धी आपदाएं में खण्ड (छ) के बाद निम्न खण्ड और जोड़ दिया जाय–"(ज) पहाड़ से पत्थर गिरकर मृत्यु होने अथवा घायल होना" संशोधित अनुसूची विधेयक के अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005, जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005, जैसा कि संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक द्वारा दिये गये नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय क्योंकि कोई भी राज्य तब तक समर्थ

नहीं हो सकता है जब तक वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक न हो सके। मान्यवर, भारत का संविधान कानून का स्रोत है, इस प्रकार संसद और विधान मण्डल कानून का निर्माण करते हैं। इन कानूनों का क्रियान्वयन कराना कार्यपालिका का कार्य होता है। मान्यवर, कार्यपालिकाओं में लोकसेवकों के माध्यम से कानून व्यवस्था स्थापित की जाती है। मान्यवर, हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाये रखने का प्रमुख दायित्व राज्य सरकार का होता है। मान्यवर, राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में लोक सेवकों के माध्यम से कानून व्यवस्था स्थापित करती हैं। मान्यवर, जिले में यह दायित्व जिला अधिकारी का है किन्तु जिलाधिकारी अकेले में बिना पुलिस के सहयोग के कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकता। इस प्रकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस की सहायता की अपेक्षा रहती है। मान्यवर, यह अपेक्षा की जाती है कि काननू की रक्षा के लिए पुलिस समाज की आन्तरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहयोग भी करे।

मान्यवर, केवल पुलिस पर ही समाज का विश्वास है। अपराधों को नियंत्रित करने और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए जनता का विश्वास पुलिस पर रहता है। इसलिए यह जो लोक सेवाएं हैं, पुलिस और प्रशासनिक इनके माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ बनायी जा सकती है। हमारा संविधान भी यही कहता है कि जो राज्य की पुलिस सेवाएं हैं वह समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए राज्य अपनी पुलिस का गठन करते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो यह प्रशासन का मुख्य कार्य है। लेकिन मान्यवर, जैसा आजकल देखने में आया है कि अनेक ऐसी दुर्बलताएं हैं जो पुलिस के बारे में देखने को मिलती हैं जिसके कारण अराजकता, हिंसा, चोरी, डकैती, लूटपाट, आतंकवाद, तस्करी, जातीय हिंसा आदि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तरांचल राज्य बनने के बाद जो उम्मीद थी उस पर सरकार खरी नहीं उतर पायी है। उस कारण जो लोगों का विश्वास पुलिस पर था, उसमें कमी आयी है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर पायेगी। इस कारण अपराधों में वृद्धि होती जा रही है। यदि हमें विकास करना है, हमें उद्योग स्थापित करने हैं, हमें विश्वविद्यालय खोलने हैं तो मान्यवर, विकास का रास्ता शान्ति के पथ से होकर ही जाएगा। जनता का पुलिस पर विश्वास होना चाहिए। तभी समाज में घटित होने वाली घटनाओं में कमी आयेगी और यह सर्वप्रथम जिम्मेदारी सरकार की है।

पिछले 4-5 वर्षों में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आयी है, वह चिंता का विषय है। आज धरना-प्रदर्शन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है तो निश्चित रूप से जनता भी यह जानती है कि शायद इसके बिना उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। यदि आराम से हम अपनी बात कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। जब तक धरना-प्रदर्शन नहीं किया जायेगा कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। आज लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है कि शायद सरकार भी वही भाषा समझती है। आज से ढाई वर्ष पूर्व एक एस0पी0 सिटी किस प्रकार गायब हो गये यह कानून व्यवस्था का कितना बड़ा उदाहरण है। ढाई वर्ष के बाद आज तक पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी है। आज तक पुलिस यह पता नहीं लगा सकी कि वह एस0पी0 सिटी कहाँ पर है। रानीखेत का वह कांड जिसमें 3 पुलिसकर्मी

शामिल थे, हल्द्वानी में किसी प्रकार पुलिस कर्मियों की हत्या की गयी और राज्यपाल सैनी हत्याकांड जिसकी काफी चर्चा भी हुई। बैंक डकैतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा प्रदेश है इसकी सीमाएं अन्य प्रदेशों से भी मिलती हैं। उत्तर प्रदेश से जो हमारे जिले मिलते हैं उनमे कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी शोचनीय है। तो किस कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आ सकता है और किस प्रकार से कानून व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है, यह एक गम्भीर चिन्तन का विषय है और सोचने का विषय है और चिन्ता का विषय है। पुलिस बल के पास आधुनिक हथियारों की कमी है, संख्या बल की कमी है। इस प्रकार से कानून व्यवस्था निरन्तर बिगड़ती चली जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, यह भी शोचनीय विषय है।

मान्यवर, जब भी सरकारें बदलती हैं तो सबसे पहले जनपदों के अधिकारियों को अपने मुताबिक इधर–उधर कर दिया जाता है, यह भी चिन्ता का विषय है। पुलिस का राजनीतिकरण भी कानून व्यवस्था को कमजोर करता है, स्थिति और बिगड़ती है और इसका व्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरा जिस प्रकार का इसका अपराधीकरण हो रहा है। मैंने अभी उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से पुलिस वालों का कत्ले आम हुआ था तो यदि हम इन सबको रोकना चाहते हैं तो सोचना होगा कि किस तरह से हम अपने पुलिस बल और कानून व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। इस पर एक सम्यक नीति बननी चाहिए। मान्यवर, यदि हम 100 स्क्वायर किलो मीटर और 1000 पापुलेशन में पुलिस की स्थिति को देखें और अन्य राज्यों से तुलना करें तो मान्यवर, आंध्र प्रदेश में 62013 सिविल पुलिस तथा 11970 आर्म्ड पुलिस तथा कुल 73983 हैं तथा प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर उनका रेशियो 26:9 तथा 1000 पापुलेशन पर एक का रेशियो है। इसी प्रकार अरूणाचल प्रदेश में 3117 सिविल पुलिस, 2236 आर्म्ड पुलिस, कुल 5353, प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 6:4 का रेशियो तथा प्रति 1000 पापुलेशन पर रेशियो 4:6 का है। इसी प्रकार आसाम में 29688 सिविल पुलिस, 22884 आर्म्ड पुलिस, कुल 52572, प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 6:7 का रेशियो है तथा 1000 पापुलेशन पर रेशियो 2 का है। इसी प्रकार गोवा में 2068 सिविल पुलिस, 609 आर्म्ड पुलिस, कुल 2677, प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 72:3 का रेशियो है तथा 1000 पापुलेशन पर रेशियो 1:7 का है। इसी प्रकार गुजरात में 49690 सिविल पुलिस, 11260 आर्म्ड पुलिस, कुल 60950, प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 31:1 का रेशियो है तथा 1000 पापुलेशन पर रेशियो 1:3 का है। इसी प्रकार हरियाणा में 26695 सिविल पुलिस, 2737 आर्म्ड पुलिस, कुल 29396, प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 66:5 का रेशियो है तथा 1000 पापुलेशन पर रेशियो 1:5 का है। मान्यवर, मेरे पास पूरे देश में आंकड़े हैं, जब हम पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में थे तो वहाँ पर 1311698 सिविल पुलिस थी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 33792 आर्म्ड पुलिस, 165490 कुल और प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर में रेशियो 56.2 तथा 1000 की पापुलेशन में 1 का रेशियो था और इसी रेशियो के आधार पर हमें भी पुलिस बल मिला था। मान्यवर, इसमें आवश्यकता यह विचार करने की है कि किस प्रकार से हथियारों को आधुनिकतम किया जाय, किस प्रकार से इनकी संख्या पूरी करें और किस प्रकार से इनको प्रशिक्षित किया जाय।

गन्ना मंत्री (श्री साधूराम)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य इतना लम्बा–चौड़ा भाषण दे रहे हैं। डायरेक्ट यह बताएं कि आखिर आप चाहते क्या हैं ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, डायरेक्ट यह है कि उत्तरांचल राज्य में पुलिस के पास आधुनिकतम हथियार होते तो इतनी हत्याएं न होती और अपराधों में भी कमी होती। इनको रोकने के लिए पुलिस को आधुनिकतम हथियारों से लैस करना आवश्यक है। इसी प्रकार हमारे यहाँ प्रशिक्षण की भी कमी है। आज प्रशिक्षण की कमी के कारण भी हमारे यहाँ कानून व्यवस्था खराब हो रही है। इसका उदाहरण अर्द्धकुम्भ में देखने को मिला। वहाँ पर पुलिस के प्रशिक्षण की कमी के कारण झगड़ा हुआ। यदि पुलिस को सही प्रशिक्षण दिया गया होता तो वह झगड़ा न होता । इनको प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। इनको आधुनिकतम हथियारों से लैस किया जाय और इनकी संख्या बढ़ायी जाय। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय मदन कौशिक जी नये और बहुत विद्वान सदस्य हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस विषय पर इतनी तैयारी करके आये हैं। आपने प्रस्ताव किया कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय"। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूँ कि पुलिस को आधुनिकतम हथियारों से लैस करने की माँग काफी समय से चली आ रही है। मान्यवर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत मानद संस्था बी0पी0आर0 एण्ड डी0 (ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट), जो पुलिस सम्बन्धी विषयों पर परामर्श प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है, द्वारा हथियारों के सम्बन्ध में मानक निर्धारित हैं, जिनके अनुरूप राज्य पुलिस बल को आधुनिक शस्त्र उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त मानकों के आधार पर पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 अर्थात 02 वर्षों में रु0 313.33 लाख के आधुनिक अस्त्र–शस्त्र उपलब्ध कराये गये। इसी तरह 11वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर भी रु0 313.30 लाख के आधुनिक अस्त्र–शस्त्र उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य बजट से भी रु0 487.09 लाख के आयुधों की खरीद की गयी है। इस प्रकार कुल रु0 1113.72 लाख के अस्त्र–शस्त्र आयुधों की खरीद की गयी है। इस प्रकार पुलिस बल का आधुनिकीकरण अनवरत प्रक्रिया के रूप में प्रचलित है। उक्त आधुनिक अस्त्र–शस्त्र रक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से क्रय किये जाते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पुलिस बल की कमी है, उसको आप कैसे पूरा करेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के भी बहुत से पुलिस कर्मी काम कर रहे हैं और पुलिस बलों की लगातार भर्ती की जा रही है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डी0जी0पी0 से लेकर नीचे तक पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि इतने ही पुलिस कर्मी रखे जायेंगे। आवश्यकता के अनुसार हमारे यहाँ भर्ती की जा रही है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पुलिस कर्मियों की कितनी कमी है। हमारा राज्य बनने के बाद कितने कांस्टेबिल यहाँ पर होने चाहिएं थे और वर्तमान में कितने हैं? कितने हैड कांस्टेबिल होने चाहिए थे और वर्तमान में कितने कार्यरत है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल एक नया राज्य है और राज्य बनने के बाद यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी रही है। अगर हम संख्या में जायें तो अधिकारियों और कर्मचारियों की हर विभाग में कमी है। हम कम लोगों से कार्य चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मदन कौशिक जी, आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उन्होंने तो हमारे प्रस्ताव की प्रशंसा की है। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

## प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एजेण्डे में लिखा है चर्चा जारी रहेगी। इसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी का है।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियम–103 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए नीति बनाई जायेगी। इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 46 में उल्लिखित है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि में लिखा है कि "राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की, विशिष्टया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। श्रीमन्, जो उत्तरांचल राज्य के आंकड़े है, सरकारी आकड़ों से सम्बन्धित जो दो किताबें वर्ष 2002–03 उत्तरांचल एट ए ग्लांस और 2004–05 उत्तरांचल एक दृष्टि है, उनमें अन्तर है। मान्यवर, 2004–2005 की पुस्तक में अनुसूचित जाति जनजाति की कुल संख्या 2.56 लाख है। उसमें ग्रामीण जनसंख्या 2.40 है। और वर्ष 2002–2003 की जो पुस्तक है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति की कुल जनसंख्या 2.19 लाख दर्शाई गई है। ग्रामीण जनसंख्या 2.00 लाख दर्शाई गई है। जब कि 2004–05 में 2.56 लाख दर्शाई गई है। हो सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई हो लेकिन यह जनसंख्या वृद्धि काफी हुई हैं ग्रामीण जनसंख्या 2002–2003 में दो लाख दर्शाई गई है और 2004–05 में 2.40 दर्शाई गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस जनसंख्या के उत्थान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है ? उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिये प्रस्ताव लाया गया है। सरकार इनके उत्थान के लिए क्या नीति बना रही है इसकी जानकारी सदन को होनी चाहिए। आखिर सरकार कौन सी नीति बना रही है और उनका जीवन स्तर कितना ऊपर उठा है। मान्यवर, आंकड़ों में बहुत अन्तर है। मान्यवर, 2002–03 में जो लैण्ड यूटिलाइजेशन के आंकड़े दिये गये हैं। मान्यवर, कुल 5592 हे0 रिर्पोटेट एरिया है। अर्थात् पूरे उत्तरांचल राज्य में 5592 हे0 भूमि इस पुस्तक के हिसाब से है और इसी सरकार के इसी विभाग की दूसरी पुस्तक में यह भूमि 5566 हे0 हमारे पास है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस राज्य की सीमाओं में इतनी अधिक कमी कहाँ हो गयी है ? यह अन्तर 26 हे0 का अन्तर है जो

इन दो किताबों में है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो कृषि योग्य बंजर 323 है0 भूमि है, इसको राज्य के दबे-कुचले, निर्धन लोगों को आवंटित किया जा सकता है, ताकि ये लोग इस जमीन में खेती कर अपना गुजारा कर सकें। मान्यवर, इस समय यह आवश्यक हो गया है कि कुछ न कुछ नीति बनायी जाय, इस वर्ग की चिंता की जाय। मान्यवर, इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं इस पर बल देते हुए यह आग्रह करता हूँ कि सरकार इसको स्वीकार करे और इस पर कार्यवाही करे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, नियम तो यह है कि जो व्यक्ति संकल्प लाता है और वह सदन में नहीं है तो सूचना व्यपगत हो सकती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रस्तुतीकरण पूर्व में हो चुका है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, शासन की ओर से उत्तर आने के बाद सूचना समाप्त हो जाती है। यह प्रस्तुत कर दी गयी है, अभी इस पर चर्चा जारी है। सरकार का उत्तर आने के बाद यह समाप्त हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, सरकार का उत्तर आने के बाद यह सूचना समाप्त हो जायेगी।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल में भोटिया, जौनसारी, थारू, बुक्सा एवं राजी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। इन जनजातियों के विकास हेतु संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में रु0 46.94 लाख, वर्ष 2001–2002 में रु0 78.05 लाख, वित्तीय वर्ष 2002–03 में रु0 78 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2003–04 में रु0 32.75 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। मान्यवर, वर्ष 2003–04 में प्राप्त रु0 32.75 लाख की धनराशि में से रु0 11.93 लाख की धनराशि जनपद देहरादून विकास खण्ड कालसी के ग्राम धनपौं में सामुदायिक मिलन केन्द्र के निर्माण हेतु निर्गत कर दी गई है। जनजातियों के विकास हेतु योजनाएं लागू करने तथा प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में समूहों में रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक मिलन केन्द्र एवं प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में तूलिया बुक्सा धर्मशाला, गदरपुर के पुनर्निर्माण हेतु रु0 15.38 लाख तथा थारू धर्मशाला, खटीमा, ऊधमसिंह नगर के निर्माण हेतु 74.66 लाख का प्रस्ताव दिनांक 13 जनवरी, 2004 को भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय भेजा गया है, जिसके विपरीत वर्ष 2003–04 में थारू सामुदायिक भवन खटीमा, ऊधमसिंह नगर के निर्माण हेतु 45.25 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं, जिसके व्यय की स्वीकृति निर्गत कर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है।

मान्यवर, वर्ष 2004–2005 में भी उक्त भवन निर्माण हेतु अवशेष रु0 29.41 लाख तथा तुलिया बुक्सा धर्मशाला, मदरपुर के पुनर्निर्माण हेतु रु0 15.83 लाख की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है। जिसका उपभोग कर लिया गया है। इसके साथ ही इन गाँवों में निवास कर रहे लोगों के आवागमन की सुविधा हेतु खडंजा निर्माण एवं स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जहाँ तक बुक्सा लोगों के उत्थान हेतु नीति बनाकर इसे लागू किए जाने का विषय है, उत्तरांचल में रहने वाली राजी एवं बुक्सा जनजातियाँ आदिम जनजाति में आती हैं। इनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा आदिम जनजाति योजनान्तर्गत शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता के तहत विशेष अनुदान दिया जाता है जिसमें अन्य तीन जनजातियाँ शामिल नहीं होती हैं। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में भारत सरकार द्वारा बुक्सा एवं राजी जनजातियों के विकास हेतु रु0 100 लाख की वित्तीय सहायता राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई जो इन्दिरा आवास के पैटर्न पर आवास निर्माण, शौचालयों के निर्माण, खडंजा निर्माण तथा सार्वजनिक मिलन केन्द्र एवं उत्पादन के निर्माण हेतु सम्बन्धित जनपदों को वितरित की जा चुकी है। आदिम बुक्सा जनजातियों के विकास हेतु मार्च, 2003 तक 1547 लोगों को रु0 120.61 लाख की धनराशि वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2002–2003 में आदिम जनजातियों के विकास हेतु रु0 700 लाख का प्रोजेक्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया था। किन्तु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–2003 में रु0 60 लाख की धनराशि दिए जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उक्त धनराशि में से रु0 35.20 लाख आवास निर्माण हेतु रु0 9.80 लाख स्नानगृह सहित शौचालय निर्माण हेतु तथा रु0 5 लाख डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण हेतु आवंटित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही यह धनराशि भी जनपदों को वितरित कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करा लिया गया है जिसकी प्रति, भारत सरकार को भेज दी गई है। शेष रु0 10 लाख की धनराशि जो वर्ष 2003–2004 में भारत सरकार द्वारा आदिम जनजातियों के आधार भूत सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई थी, से सर्वेक्षण कार्य उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से करवाया जा रहा है। निगम द्वारा इसमें से रु0 7.62 लाख व्यय कर लिया गया है। वर्ष 2004–05 में बुक्सा आदिम जनजाति के सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार से प्राप्त रु0 17.80 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। इस योजनान्तर्गत वार्षिक योजना 2005–06 में रु0 91 लाख का परिव्यय अनुमोदित है जिसके सापेक्ष रुपये 7.10 लाख की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। परिव्यय के सापेक्ष प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें विशेष रूप से राजी व बुक्सा जनाजतियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु दवाईयों की व्यवस्था, मोबाइल हैल्थ टीम तथा इनके सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने हेतु इनकी रुचि एवं पैतृक व्यवसाय के अनुरुप प्रस्ताव तैयार कराने पर बल दिया जा रहा है। इसी प्रकार विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत जनजाति उपयोजना में थारू एवं बुक्सा जनजाति सहित अन्य जनजातियों के रहन–सहन तथा सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने तथा उनके आवास समस्या के निस्तारण हेतु वित्तीय वर्ष 2000–01 में रु0 58.02 लाख, वर्ष 2001–02 में रु0 92.91 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2002–03 में रु0 75.33 लाख की धनराशि प्राप्त कर वितरित की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2003–04 में रु0 107.05 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। जिसका पूर्ण व्यय कर 1107 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2003–04 से स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत अनुदान की सीमा रु0 6000 से बढ़ाकर रु0 10000 कर दी गयी है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि अब अनुजाति उप योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से व्यक्तिगत लाभार्थी को अनुदान देने की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2004–05 में समाप्त कर दी है। भारत सरकार द्वारा जारी नई दिशा निर्देशानुसार जनजाति उप योजनान्तर्गत अब क्लस्टर एप्रोच के तहत स्वयं सहायता समूह को सामूहिक परियोजना के आधार पर आय–जनित आर्थिक क्रियाकलापों हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी जिससे स्वरोजगार सृजित हो सके। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त रु0 41.81 लाख की धनराशि उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को व्यय करने हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है। गत वित्तीय वर्ष 2003–04 में प्रथम बार जनजातियों को स्वतः रोजगार हेतु रु0 100 लाख की अंशपूँजी का प्राविधान किया गया था, जिसमें रु0 51 लाख (राज्यांश) बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध कराये गये थे। निगम द्वारा इसमें से रु0 1.02 लाख व्यय कर 7 लोगों को लाभान्वित किया गया है। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार से जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का व्यय इस परियोजना के माध्यम से किया जायेगा।

वर्ष 2005–06 में इस योजनान्तर्गत रुपये 41.81 लाख की धनराशि बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 को उपलब्ध करा दी गई है। उत्तरांचल सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत सर्वप्रथम राज्य की निर्धन कार्यशील महिलाओं, चर्मकार, रिक्शा चालक तथा विकलांगों हेतु वर्ष 2002–03 में 31 अक्टूबर, 2002 से जनश्री बीमा योजना आरम्भ की गई। जिसके अन्तर्गत लाभार्थी की तरफ से दी जाने वाली रु0 100 की प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम को प्रदान की गई। इस प्रकार वर्ष 2002–03 के लिए रु0 51.83 लाख की धनराशि का प्रीमियम प्रदान किया गया। तदुपरान्त 29 मई, 2003 से राज्य के आदिम जनजाति बुक्सा एवं राजियों हेतु जनश्री बीमा योजना का संचालन किया गया। इस योजनान्तर्गत भी रु0 8.50 लाख की प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत कुल 446 दावों का निस्तारण कर 89.80 लाख का धनराशि बीमित व्यक्ति के आश्रितों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही जनश्री बीमा की शिक्षा सहयोग योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले बीमित परिवार के अधिकतम दो बच्चों को रु0 100 प्रतिमाह छात्रवृत्ति का प्राविधान है। मान्यवर, जिसके अन्तर्गत कुल रु0 0.65 लाख की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में 109 छात्रों में वितरित की गई। उपरोक्त दावों में से बुक्सा परिवारों के 08 लाभार्थियों को रु0 1.60 लाख की धनराशि तथा 57 छात्रों को रु0 0.34 लाख धनराशि की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

राज्य सरकार द्वारा जनश्री बीमा योजना में अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिनांक 17–1–2004 से राज्य के समस्त गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के मुखियाओं हेतु जनश्री बीमा योजना आरम्भ की गई। इस प्रकार राज्य के

समस्त 3,76,502 बी0पी0एल0 परिवारों के मुखियाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा रु0 376.50 लाख की प्रीमियम की धनराशि जीवन बीमा निगम को भुगतान की गई है। पूर्व में संचालित दोनों जनश्री बीमा योजना को भी इस नवीन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। बी0पी0एल0 परिवारों के मुखिया हेतु जनश्री बीमा योजना में अब तक 1387 दावों को स्वीकृत करते हुए जीवन बीमा निगम द्वारा रु0 277.40 लाख की धनराशि का भुगतान दावाकर्ताओं को किया जा चुका है तथा 563 छात्रों को रुपये 5.928 लाख छात्रवृत्ति जनश्री बीमा की शिक्षा सहयोग योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2005 तक दी गई।

अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्ष 2004—2005 से दो नई योजनाएं संचालित की गई हैं। वर्ष 2004—05 में जनजाति शिल्पी ग्राम योजना के अन्तर्गत रु0 13.26 लाख तथा जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रु0 101.50 लाख अवमुक्त किये गये हैं जबकि वर्ष 2005—06 में इन योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः रुपये 135.00 लाख एवं रुपये 245.00 लाख का प्राविधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 से ट्राईबल सब प्लान/स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण विभाग को नोडल बनाया गया है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु रु0 300 करोड़ तथा ट्राईबल सब प्लान हेतु रु0 63 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चल रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु विशेष मात्राकरण योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन कर एक वरिष्ठ विधायक को अध्यक्ष एवं एक विशेषज्ञ को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। इस हेतु शासन स्तर पर भी पृथक से एक प्रकोष्ठ गठित किया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2004—05 में कुल रुपये 5885.75 लाख जनजातियों के कल्याणार्थ व्यय किये गये।

उत्तरांचल में निवासरत जनजातियों के बच्चों के शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने एवं उनके बहुँमुखी विकास हेतु 15 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा 4 राजकीय छात्रावासों में 2213 छात्र अध्ययनरत हैं एवं 3 प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 138 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जनजाति छात्रों को समुचित शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1998—99 में भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत 10 आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2002—03 में रु0 319.61 लाख की धनराशि राज्यांश के रूप में निर्गत की गई है तथा केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा रु0 217 लाख वर्ष 2003—04 में उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2003—04 में आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माण हेतु रु0 598.35 लाख की धनराशि की स्वीकृति जारी की गई तथा वर्ष 2004—05 में रु0 414.04 लाख की स्वीकृति निर्गत की गई तथा चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 में इस योजनान्तर्गत रुपये 600.00 लाख का प्राविधान किया गया है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2002—03 में प्राइमरी से स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् 62002 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रु0 345.85 लाख छात्रवृत्ति वितरित की गई जबकि वर्ष 2003—04 में 58609 छात्रों को रु0 331.57 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई है तथा वित्तीय

वर्ष 2004–05 में 68880 छात्रों को रु0 469.32 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। जबकि वर्ष 2005–06 में सितम्बर, 2005 तक 39635 छात्रों को रुपये 298.87 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई। जहाँ तक बंगाली जाति के लोगों के उत्थान हेतु नीति की बात है नमोशूद्र, पोड और मांझी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा दी गई आख्या तथा तत्कालीन उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 01 अगस्त, 2002 द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अपनी संस्तुति भेजी है कि 'बंगाली समुदाय नमोशूद्र पोड और माझी जाति के ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी हो एवं जो वर्ष 1952 से 25 मार्च, 1971 के बीच विस्थापित होकर उत्तरांचल आये हैं, को उत्तरांचल की अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाये' प्रेषित किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001 में उत्तरांचल विधान सभा ने दिनांक 03 सितम्बर, 2001 को उक्त जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया। उत्तरांचल के जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत.........। मान्यवर, यह इतना लम्बा विषय है ही। निर्बल वर्ग के लिए इसी प्रकार....।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

## जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तू को चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम की कार्ययोजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री बलवीर सिंह नेगी द्वारा दिये गये नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

*श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे, "यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तू को, चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्य–योजना से जोड़ा जाए", इस प्रस्ताव पर चर्चा करने का सुअवसर दिया। श्रीमन्, पर्यटन, तीर्थाटन की बात जोर–शोर से की जा रही है। इसमें कुछ सच्चाई भी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कल असरकारी दिवस है यदि माननीय सदस्य चाहें तो कल इस पर चर्चा कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप शॉर्ट में अपनी बात कह दें।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, यह प्रसन्नता की बात है कि उत्तरांचल पर्यटन बोर्ड को इस वर्ष 2004–05 में देश के सर्वोत्तम पर्यटन बोर्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसमें दस राज्यों का चयन किया गया था, पर चयन के लिए निर्धारित मानकों पर उत्तरांचल पर्यटन बोर्ड पूरी तरह खरा उतरा। श्रीमन्, उत्तरांचल को एशिया का सबसे बड़ा वाटर टावर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 917 ग्लेशियर हैं और देवभूमि गंगा, यमुना का उद्गम होने की वजह से राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है और इसके लिए पर्यटन का आधारभूत ढांचा तैयार किया जाना आवश्यक है। श्रीमन्, चार धाम यात्रा मार्ग पर अवस्थापना सुविधाओं व धामों के विकास हेतु महायोजना तैयार की जा रही है और इसका क्रियान्वयन भी प्रारम्भ किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कि जो चार धाम पद यात्रा मार्ग है। गंगोत्री, भटवाड़ी, मल्ला, बेलक, रेहवांगी, पंगराण, धुत्ता, माला, बूढ़ाकेदार, कलदी, हरकुणी, रघुनाथ मन्दिर घुत्तू, पंवाली कांठा और त्रिजुगी नारायण जो चार धाम पद यात्रा मार्ग के आज अपेक्षित क्षेत्र हैं, इनको भी चिन्हित कर धामों को विकास की कार्ययोजना में सम्मिलित कर तीर्थाटन के आधार को मजबूती प्रदान करने का सुअवसर दें।

श्रीमन्, आज से 150 वर्ष पूर्व एक कहावत थी कि "पंवाली की चढ़ाई और काबुल की लड़ाई एक समान थी।" काबुल की लड़ाई में जितने लोग मारे गये थे उतने ही चार धाम पद यात्री पंवाली की चढ़ाई चढ़ते–चढ़ते मर गये थे। चूँकि अवस्थापना सुविधाओं का अभाव था, पेयजल का इंतजाम नहीं था, पद यात्रियों के ठहरने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, धर्मशालाएं और चट्टियाँ नहीं थीं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। श्रीमन्, बाबा काली कमली को इस घटना से बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने अपने बाबा काली कमली के ट्रस्ट से इन पद यात्रा मार्गों पर बेलक, पंगराणा, बूढ़ाकेदार, बिनकखाल, कलदी, हरकुणी, रघुनाथ मन्दिर घुत्तू, पौबागी, पंवाली कांठा और त्रिजुगी नारायण से सबसे पहले पद यात्रियों के लिए पेयजल का इंतजाम किया और प्याऊ लगाये। और चार धाम पद यात्रियों के रुकने के लिए धर्मशालायें बनवाई, चट्टियाँ बनवाई। इन स्थानों पर जो 150 वर्ष पूर्व धर्मशालायें बनी थीं उनकी मरम्मत न होने के कारण वह भूकम्प से जर्जर और जीर्ण–शीर्ण हो गई हैं और खंडहर में बदल रही हैं, आज इन क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का अभाव है।

इसलिए मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि इन जगहों पर अवस्थापना सुविधाओं को प्रदान करें और चार धाम पद यात्रा की जो महायोजना सरकार बना रही है उनमें इन जगहों को सम्मिलित करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। इसी के साथ–साथ बूढ़ाकेदार जो एक धार्मिक तीर्थ स्थल है और ट्रेकिंग

रूट भी है। चार धाम पद यात्रा मार्ग में भी आता है और धार्मिक पर्यटक स्थल भी है। वहाँ पर आज तक कोई पर्यटक आवास गृह नहीं है और कोई अवस्थापना सुविधायें भी नहीं हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि बूढ़ाकेदार में पर्यटक आवास गृह की स्वीकृति प्रदान की जाय और इसके साथ ही घुत्तू जो खतलिंग ग्लेशियर का रूट है। खतलिंग से पवाली कांठा के बीच में भी कोई पर्यटक आवास गृह नहीं है, मैं आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी पर्यटक आवास गृह की स्वीकृति दी जाय और अवस्थापना सुविधायें प्रदान की जायं। इसके साथ ही इन जगहों को चार धाम पद यात्रा की जो महायोजना हमारी सरकार की है, उसमें भी इन जगहों को सम्मिलित किया जाय।

पर्यटन एवं आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा, श्री बलवीर सिंह नेगी द्वारा अभिसूचित एवं नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव "यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तू को चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्ययोजना से जोड़ा जाय" के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि उत्तरांचल सरकार द्वारा चार धाम परिपथ से सम्बन्धित एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कराया गया है। वर्ष 2002 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के उत्तरांचल भ्रमण के दौरान उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि उत्तरांचल स्थित चार धाम परिपथ को विकसित करने हेतु केन्द्र सरकार से सम्पूर्ण सहायता प्रदान की जायेगी। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी अपेक्षा की थी कि यह सहायता तभी दी जायेगी, जब राज्य सरकार द्वारा चार धाम परिपथ से सम्बन्धित एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर केन्द्र सरकार को प्रेषित की जायेगी। सूचनार्थ है कि उत्तरांचल सरकार द्वारा चार धाम परिपथ से सम्बन्धित विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर भारत सरकार को माह अप्रैल, 2003 में प्रेषित कर दी गई है। इस कार्ययोजना के तहत मुख्य रूप से चारों धामों यथा श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के विकास, चारधाम के रास्ते पर आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास, इस परिपथ पर जाने वाले दर्शनार्थियों व पर्यटकों को आधारभूत सुविधायें देने हेतु व्यवस्था एवं इस परिपथ पर पड़नेवाले छोटे–छोटे कस्बों तथा पाँच प्रयागों का विकास सम्मिलित है।

मास्टर प्लान में पार्किंग, सड़क संयोजन, घाटों का विकास, पुल निर्माण, आवासीय सुविधा, मार्गीय सुविधायें, पेयजल, सौन्दर्यीकरण, पर्यटन सूचना केन्द्र, वर्तमान मन्दिरों या दुकानों आदि का विकास, विद्युत सब स्टेशन का निर्माण, सूचना पट आदि अवस्थापना सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है एवं श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री धामों के अतिरिक्त चार धाम परिपथ पर पड़ने वाले सभी छोटे कस्बों व पंच प्रयागों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के प्रस्ताव प्रस्तुत हैं। मान्यवर, मास्टर प्लान में इस प्रकार के विकास हेतु कुल रु० 212.46 करोड़ पूँजी निवेश निहित है। चार धाम मास्टर प्लान के अन्तर्गत दिये गये सुझावों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से तत्कालीन माननीय केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री द्वारा सड़क मार्ग से बद्रीनाथ धाम तक दिनांक 01 से 04 अक्टूबर, 2003 के बीच भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान मैं भी उनके साथ

था। तत्पश्चात् तत्कालीन माननीय केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी की अध्यक्षता में चार धाम विकास परिषद् की बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 को देहरादून में आहूत की गयी थी, जिसमें इस क्षेत्र से सम्बन्धित सभी जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में भ्रमण व इस परिषद् की प्रथम बैठक में हुए विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त तत्कालीन माननीय केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी द्वारा संकेत दिया गया कि प्रथम चरण में उनके द्वारा चार धाम के रास्ते पर पड़ने वाले सभी मार्गों व छोटे–छोटे कस्बों के विकास एवं बद्रीनाथ धाम के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य सरकार केन्द्र सरकार के चार धाम के विकास हेतु धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। श्री बद्रीनाथ धाम के लिए वर्ष 2004–05 में रु0 7.02 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है।

सूचनार्थ है कि राज्य सरकार द्वारा चार धाम विकास हेतु 11वें वित्त आयोग की सहायता से बद्रीनाथ में अलकनन्दा नदी पर एक अन्य पुल का निर्माण, केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, यमुनोत्री पैदल मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, श्री बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की लाईन के ऊपर शेडों के निर्माण, उत्तरकाशी बस अड्डा का निर्माण आदि के लिए लगभग रु0 13 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निश्चित रूप से राज्य सरकार केन्द्र सरकार की सहायता व सहयोग से चार धाम परिपथ का विकास करने के लिए पूर्णरूपेण तत्पर है। जहाँ तक माननीय सदस्य, विधान सभा, श्री बलवीर सिंह नेगी द्वारा अभिसूचित एवं नियम–103 के प्राप्त प्रस्ताव का प्रश्न है, सूचनार्थ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में ट्रैकों से सम्बन्धित एक महायोजना तैयार कराई गई है। इस महायोजना के तहत 27 मुख्य पद यात्रा मार्ग चिन्हित किये गये हैं। चिन्हित किये गये पद यात्रा मार्गों में घुत्तू–गंगी–खतलिंग–मासरताल–बासुकी ताल ट्रैक मार्ग को सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की है। इस ट्रैक में बासुकी ताल को श्री बद्रीनाथ तक जोड़ने हेतु भी ट्रैक मार्ग विकसित करने की संस्तुति की गयी है। इस प्रकार इस मास्टर प्लान में घुत्तू क्षेत्र को चार धाम से जोड़े जाने की संस्तुति की गयी है, जिससे यह क्षेत्र स्वाभाविक रूप से चार धाम से जुड़ जायेगा तथा माननीय सदस्य द्वारा जो अपेक्षा की गयी है, उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। प्रदेश शासन द्वारा पदयात्रा मार्गों पर विकास हेतु तैयार कराई गई कार्ययोजना में परीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

इस संदर्भ में स्पष्ट है कि माननीय सदस्य, विधान सभा श्री बलवीर सिंह नेगी जी द्वारा अभिसूचित एवं नियम–103 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव को सम्भवतः चार धाम यात्रा की कार्ययोजना के स्थान पर इसे पद यात्रा/ट्रैक कार्ययोजना के अन्तर्गत विकसित किया जाना अधिक उपयोगी होगा। जहाँ तक मासरताल, सहस्त्रताल, क्यार्खी बुग्याल पैदल मार्ग पर आवश्यक सुविधायें दिये जाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्ष 2001–02 में मासरताल, पट्टी हिन्दाव में पैदल यात्रा मार्ग के सुधार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 9.68 लाख, वर्ष 2004–05 में बूढ़ाकेदार–मासरताल पैदल यात्रा मार्ग के विभिन्न विश्राम स्थलों पर बैठने हेतु बैंचों के निर्माण हेतु रु0 4.00 लाख, मन्जयाणताल से

जरालताल तक पैदल मार्ग के सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 3.44 लाख एवं उखनीमाड से मासरताल तक के पैदल मार्ग हेतु रु0 2.39 लाख की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है। इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों यथा–रीह, गंगी, झाला एवं पिन्सवाड में वर्ष 2003 में पर्यटक सुविधा केन्द्रों के निर्माण हेतु रु0 65.59 लाख की धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। इस प्रकार पर्यटन विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मान्यवर, इस संदर्भ में स्पष्ट है कि माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह नेगी जी द्वारा अभिसूचित नियम–103 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तू को चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर, चार धाम पद यात्रा को चिन्हित चार धाम यात्रा मार्ग की कार्य योजना के स्थान पर इस पद यात्रा को ट्रैक कार्य योजना के अन्तर्गत विकसित किया जाना अधिक उपयोगी होगा।

श्री अध्यक्ष–

बलवीर सिंह जी, आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, प्रस्ताव वापिस लेने से पहले मैं कृपा पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि चार धाम पद यात्रा मार्ग चार धाम यात्रा मार्ग में दोनों अलग–अलग हैं। मेरा आग्रह था कि चार धाम मार्ग को पद यात्रा मार्ग के रूप में सम्मिलित करने की बात कही है। इसके साथ ही बूढ़ाकेदार को भी चार धाम पद यात्रा मार्ग से जोड़ने की बात कही है। गंगोत्री, अखाड़ी, मल्ला, बूढ़ाकेदार, कलदी इटकुणी, रघुनाथ मन्दिर घुत्तू और त्रिजुगी नारायण आदि जो चार धाम यात्रा मार्ग हैं वे आज उपेक्षित हैं इनको भी चिन्हित कर धामों के विकास के विकास की कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए और तीर्थाटन के आधार को मजबूती प्रदान की जाए।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, तमाम हमारे जो ट्रैकिंग रूट हैं उनके माध्यम से आपके क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है। आपके क्षेत्र के तीर्थाटन के विकास हेतु लगभग 1 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तू को चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम पद यात्रा को चिन्हित चार धाम यात्रा मार्ग की कार्य योजना से जोड़ा जाए को वापस लेने की सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात को पाँच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, पाँच मिनट तो बहुत कम हैं, कल ले लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत हो गया है। चर्चा जारी रहेगी।

## नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पवार, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट, श्री मातबर सिंह कन्डारी, श्रीमती आशा नौटियाल, श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्री नारायण पाल की कुल 09 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2003-2004 में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल की सूचना को नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

## उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन विकल्प के आधार पर उत्तरांचल राज्य हेतु सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति का कोटा समान न होने के सम्बन्ध में डा0 हरक सिंह रावत, श्री फूल सिंह बिष्ट, डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गणेश गोदियाल, श्री रणजीत सिंह रावत एवं श्री उम्मेद सिंह मांजिला स0वि0स0 द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

ससंदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

[उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की सुसंगत धाराओं के अधीन राज्य गठन के उपरान्त उत्तरांचल राज्य में उत्तर प्रदेश सचिवालय से कुल 173 अधिकारी/कार्मिकों ने विकल्प के आधार पर योगदान दिया। चूँकि तत्समय सचिवालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के कारण शासकीय कार्य में व्यवधान हो रहा था। फलस्वरूप शासकीय कार्यों के सुचारू एवं सफल सम्पादन हेतु विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगमों आदि के कतिपय कार्मिकों को सचिवालय में सम्बद्ध किया गया। कालान्तर में उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल सचिवालय के मध्य कार्मिकों का अन्तिम आवंटन न होने के फलस्वरूप तथा सम्बद्ध कार्मिकों द्वारा समायोजन की माँग किये जाने के

कारण सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इन कार्मिकों को उनके पद एवं वेतनमान के समकक्ष पदों/वेतनमानों में संविलीन कर दिया जाय। तद्नुसार इन कार्मिकों के समायोजन हेतु उत्तरांचल वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, सहायक लेखाकार टंकक एवं अनुसेवक संविलियन सेवा नियमावली, 2002 प्रख्यापित की गई तथा इस नियमावली के प्राविधानों के अधीन विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगमों के लगभग 400 कार्मिकों को विभिन्न समकक्षीय पदों पर सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष संविलीन कर दिया गया।

2. उक्त संविलियन की कार्यवाही के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के मध्य कार्मिकों के आवंटन हेतु 1228 पद उत्तरांचल सचिवालय को आवंटित करते हुए उस पर उत्तरांचल शासन की सहमति माँगी गई थी। चूँकि उत्तरांचल सचिवालय द्वारा विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगमों के लगभग 400 कार्मिकों को सचिवालय में संविलीन कर दिया गया था और इन कार्मिकों का संविलीन पदों पर स्थाईकरण करते हुए निर्धारित सेवा अवधि में छूट प्रदान करते हुए पदोन्नति भी प्रदान की जा चुकी थी, अतः उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त कार्मिक उत्तरांचल सचिवालय को न भेजे जायं। जिस पर राज्य परामर्शीय समिति एवं भारत सरकार द्वारा सहमति नहीं दी गई, फलस्वरूप उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के मध्य सचिवालय के कार्मिकों के अन्तिम आवंटन की प्रक्रिया लम्बित रही। इसी बीच उत्तरांचल के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सचिवालय के कार्मिकों के आवंटन के सम्बन्ध में एक बैठक आहूत की गई जिसमें मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तरांचल मूल के कुल 53 ऐसे कार्मिक जिन्होंने उत्तरांचल राज्य हेतु स्वेच्छा से विकल्प दिया है, को उत्तरांचल राज्य में कार्यभार ग्रहण करा दिया जाय। उत्तर प्रदेश शासन से इन 53 कार्मिकों की सूची प्राप्त हो जाने के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से यह अनुरोध किया कि वे पूर्व में आवंटित 173 कार्मिकों एवं उक्त 53 कार्मिकों को अन्तिम रूप से उत्तरांचल शासन को आवंटित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध करने का कष्ट करें ताकि इन 53 कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण कराया जा सके, किन्तु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अब 202 उत्तरांचल मूल के निवासियों की सूची इस आशय से उपलब्ध कराई है कि इन कार्मिकों को उत्तरांचल शासन में लिये जाने पर सहमति प्रदान कर दी जाय जिस पर उत्तरांचल शासन द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।

3. चूँकि उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल सचिवालय के कार्मिकों का अन्तिम आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है, अतः सम्बन्धित पात्र अधिकारियों/कार्मिकों को कार्य हित में प्रत्येक संवर्ग में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष भारत सरकार के अन्तिम आवंटन के अधीन नियमानुसार पदोन्नति दी गई है।

4. कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 1169/कार्मिक–2/03 दिनांक 14–08–2003 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु उपयुक्तता जाँचने के लिए निर्धारित मानक को शिथिल करने के अधिकार चयन समिति को दिये गये हैं। जबकि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 1168/कार्मिक–2/03 दिनांक 14–08–2003 द्वारा आरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये गये

रोस्टर के अनुसार आरक्षित वर्गों के लिए पदों की गणना करते हुए आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को भरने हेतु विशेष प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है तथा पदोन्नति श्रेणी में आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध पदों को आरक्षित वर्ग के उपलब्ध कार्मिकों से यथा सम्भव सेवा नियमों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए भर दिये गये है तथा आरक्षित वर्ग के अन्य कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण अवशेष पद रिक्त रखे गये है। जहाँ तक सीधी भर्ती का प्रश्न है आरक्षित वर्ग के लिए रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है।

5. प्रस्तुत सूचना में उल्लिखित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 में निम्न व्यवस्था है :–

(1) जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ, पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं,

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद को उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप–

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथा स्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती हैं यथास्थिति, नियम–6 या नियम–7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी
भर्ती दोनों प्रकार से की जाय वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये
गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहाँ तक हो सके दोनों स्रोतों के
लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति
का होगा) अवधारित की जायेगी।

6. उत्तरांचल सचिवालय में भी विभिन्न संवर्गों में ज्येष्ठता नियमावली के उपरोक्त
प्राविधानों के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता निर्धारित की गई
है अर्थात् जो कार्मिक जिस चयन वर्ष में चयनित होकर आये हैं उन्हें उसी वर्ष की
ज्येष्ठता प्रवीणता क्रम के अनुसार प्रदान की गई है।

7. किसी भी सेवा संवर्ग में प्रवेश स्तर पर प्रवेश सीधी भर्ती से अथवा पदोन्नति
से अथवा दोनों स्रोतों से होता है। पदोन्नति के मामले में पदोन्नति एक संवर्ग से या
एक से अधिक संवर्गों से हो सकती है। इस प्रकार किसी संवर्ग में प्रवेश के लिए सीधी
भर्ती तथा विभिन्न पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा प्रवेश के लिए अनुपातिक पद निर्धारित
होते हैं। पोषक संवर्ग में प्रवेश करने पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति की विभिन्न शाखाओं
से आये व्यक्तियों के बीच परस्पर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में ज्येष्ठता नियमावली के
प्राविधानों के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित होती है। सचिवालय में सचिवालय सेवा में प्रवेश
समीक्षा अधिकारी से शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा होता है तथा अनुभाग अधिकारियों से
उच्चतर प्रक्रम यथा अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव व अपर सचिव पर सेवा
नियमावली के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति द्वारा पद भरे जाते हैं। समीक्षा अधिकारी
के संवर्ग में 50 प्रतिशत व्यक्ति सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत व्यक्ति सहायक समीक्षा
अधिकारी से पदोन्नति होकर के प्रवेश करते हैं। ज्येष्ठता नियमावली के अनुसार जहाँ
पदोन्नति और सीधी भर्ती का कोटा 50–50 प्रतिशत हो वहाँ एक ही चयन वर्ष में सीधी
भर्ती एवं पदोन्नति दोनों से भर्ती होने पर परस्पर ज्येष्ठता के लिए इन्हें चक्रीय अनुक्रम
में इस प्रकार व्यवहरित करते हैं कि पहला पद पदोन्नति का होता है, दूसरा क्रमांक पर
सीधी भर्ती, तीसरे क्रमांक पर पदोन्नति और चौथे क्रमों पर सीधी भर्ती और इस प्रकार
आगे उनको स्थान दिये जाते है। समीक्षा अधिकारियों में उपरोक्तानुसार परस्पर ज्येष्ठता
निर्धारित होने के बाद सचिवालय सेवा जो अनुभाग अधिकारी के पद प्रक्रम से लेकर अपर
सचिव के पद प्रक्रम के पदों पर समूह है, में पदोन्नति के सिद्धान्तों के अनुरूप ज्येष्ठता
सूची से पात्र व्यक्तियों को लेकर उनके सेवा अभिलेख व चरित्र पंजिकाओं के आधार पर
किया जाता है। किसी एक संवर्ग में दो या अधिक भिन्न स्रोतों से प्रवेश करने वाले
व्यक्तियों के बीच कोई भेद नहीं रहता है। वे संवर्ग में आने के साथ ही, माने एक समूह
है, के रूप में व्यवहरित होते हैं। वे किस स्रोत से आये यह नहीं देखा जाता है। कार्मिक
प्रबन्धन में किसी भी सेवा संवर्ग में पदोन्नति के विभिन्न प्रक्रमों पर भिन्न–भिन्न स्रोतों
से आये व्यक्तियों के लिए पदों का बंटवारा नहीं किया जाता। यह अवश्य है कि चक्रीय
अनुक्रम में रखने के कारण दो या अधिक स्रोतों से आये व्यक्ति पदोन्नति में ऊपर के
प्रक्रमों पर भी उसी अनुपात में स्वाभाविक रूप से चढ़ते हैं न कि कोटा निर्धारित करने

के कारण। इस प्रकार सीधी भर्ती व पदोन्नति के कार्मिकों की ज्येष्ठता चक्रानुक्रम में निर्धारित करने के बाद उच्च प्रक्रमों में कोटे के अनुसार पदों का विभाजन किया जाना नियम संगत नहीं होगा।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 6 बजकर 26 मिनट पर अगले दिन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून :
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2005

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 विधान सभा/576–13–12–2007–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।